राजस्थान विधान सभा

१६ वीं बैठक, बुधवार, दिनांक २१ दिसम्बर, सन् १६५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८–५५ पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २६६.

पुनलोता (त० डेगाणा) ग्राम के चूना खाती का मकान स्कूल के लिए

बलात् तहसीलदार द्वारा खाली करवाना

श्री भोपालसिंह—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या पुनलोता तहसील डेगाणा ग्राम पंचायत ने तहसीलदार डेगाणा की सलाह से चूना वल्द गंगाराम खाती का मकान स्कूल के लिये बगैर मुआवजा दिये, बगैर नोटिस दिये दीवारें ढाह देना और बाड़ उठा देना व सामान बाहर दूसरे वार्ड में रख देना अपनी अनबनती से गैर कानूनी नहीं है ?

(ख) क्या तहसीलदार डेगाणा से जब खाती शिकायत करने गया तो बाड़ा उठाने का जबरदस्ती अंगूठा हाथ पकड़ कर करा लिया है, जो अंगूठा देखने से अंगूठा की लकीर मंडी हुई है जो गैर कानूनी नहीं है ?

(ग) क्या पुलिस ने भी इसकी कोई सुनवाई नहीं की है ?

(घ) क्या सरकार पुलिस के उच्च अधिकारी द्वारा उसकी जांच करा कर खाती जो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है मकान वापिस दिला कर जिन लोगों ने हरकत की है उन्हें सजा दिलाने की कृपा करेगी ?

Page No.2

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) यह बिल्कुल असत्य है कि पुनलोता ग्राम पंचायत ने तहसीलदार डेगाणा की सलाह से चूना वल्द गंगाराम खाती का मकान गिरा दिया व बाड़ा हटा दिया। असलियत तो यह है कि इस ग्राम में स्कूल बनवाने के लिये जमीन की आवश्यकता थी। चूना खाती ने अपना बाड़ा राजीखुशी से दिया।

(ख) यह असत्य है।

(ग) पुलिस ने कार्यवाही बाजाब्ता की।

(घ) जब कि जबर्दस्ती मकान गिराने और बाड़ा हटाने का मामला ही बिल्कुल असत्य है तो किसी को सजा देने का, मकान का मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भोपालसिंह—क्या यह सही है कि जब पुलिस ने तहसीलदार से इन्क्वायरी की तो उसने तहरीरी जवाब दिया और मंजूर किया है कि यह मेरी मंजूरी से किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह उस व्यक्ति की रजामन्दी से गिराया गया।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह रजामन्दी तहसीलदार की है या उस व्यक्ति की ?

श्री रामकिशोर व्यास—उस व्यक्ति की रजामन्दी से।

श्री भोपालसिंह—क्या यह सही है कि तहसीलदार ने उसका अंगूठा जबर्दस्ती पकड़ कर कराया।

श्री रामकिशोर व्यास—ठीक है, अगर जबर्दस्ती कराया गया तो सिविल कोर्ट में जाता।

श्री भैरूसिंह (१६)—क्या यह सही है कि उसने पुलिस में रिपोर्ट की जिसमें उसने लिखा है कि उसका अंगूठा जबर्दस्ती तहसीलदार ने कराया ?

श्री रामकिशोर व्यास—रिपोर्ट की होगी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—उसकी रिपोर्ट है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—उसकी रिपोर्ट यह है कि जमीन पर कब्जा कर लिया है।

श्री भोपालसिंह—क्या यह सही है कि उसने पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास रिपोर्ट की कि मुझसे जबर्दस्ती अंगूठा करा लिया गया और मुझे बर्बाद करने के लिये जमीन का जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है ?

Page No.3

श्री रामकिशोर व्यास—यह दीवानी सूरत रह जाती है ।

श्री जवानसिंह—क्या इन्क्वायरी के दौरान में यह पाया गया कि वह जमीन लैंड एक्वीजिशन रूल्स के अनुसार ली गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसका पट्टा नहीं है ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या उसको कब्जे से बेदखल किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने कहा कि उसने रजामन्दी से जमीन दी और लिख कर दिया ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या उसने मकान गिराने के बाद में लिखकर दिया या पहले लिख कर दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास—पहले दिया ।

श्री भोपालसिंह—क्या इसके लिये उसको पहले कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी ?

श्री अध्यक्ष—आप कोई इन्फोर्मेशन पूछिये ।

श्री भोपाल सिंह—क्या उसने सिविल कोर्ट में दावा किया है ?

श्री भैरूसिंह (वि. स. १६)—क्या यह मकान खाती की अनुपस्थिति में जबर्दस्ती तोड़ा गया या उपस्थिति में ?

श्री रामकिशोर व्यास—जबर्दस्ती का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री भोपाल सिंह—उसकी जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा किया गया या उसने रजामन्दी से उस जमीन का कब्जा दिया ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दे दिया गया है । नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २६७

जयपुर डिविजन में हरिजनों में से सन् ५४-५५ में कांस्टेबल व सब इन्सपेक्टर्स लेना

श्री लालूराम— क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री लालूराम]

(क)पुलिस विभाग जयपुर डिविजन में सन् ५४-५५ में हरिजनों में से कितने कितने कॉस्टेबिल व सब-इन्सपेक्टर लिये गये ?

(ख) क्या यह संख्या अब तक भर्ती किये गये लोगों में से १२ एवं १५ प्रतिशत के हिसाब से है ?

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(क) सन १९५४ में १८ कॉन्सटेबिल तथा एक सब इन्सपेक्टर और सन १९५५ में ६ कॉन्सटेबिल तथा एक सब इन्सपेक्टर पुलिस विभाग, जयपुर डिविजन में हरिजन लिये गये।

(ख) जी नहीं।

(ग) स्वास्थ्य एवं शिक्षा की दृष्टि से तथा निर्दिष्ट (प्रेस्क्राइब्ड) ऊंचाई एवं सीने के नाप में योग्य आदमियों की कमी इसका कारण है।

श्री लालूराम—और जिलों में कितने लिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग प्रश्न है।

श्री जसवन्तसिंह—क्या जयपुर के हरिजनों के लिये ही स्थान निर्धारित है ?

श्री रामकिशोर व्यास—सब जगहों के लिये १२॥ पर्सेन्ट निर्धारित है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६८

रिफ्रेशर कोर्स के हेतु लिये जाने वाले पुलिस अधिकारियों को भत्ता देने का प्रबन्ध करना

श्री जवानसिंह—Will the Home Minister be pleased to state:-

(a) What Police Officers are sent for Refresher Course and what is the duration of this Course?

(b) What allowances, if any, are paid to them during this period?

(c) Is it a fact that they have to meet their expenses from their pay?

(d) Is it compulsory for the officers to attend this Course?

Page No.5

श्री रामकिशोर व्यास—(१) डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस, इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर, हैड कॉन्सटेबिल व कॉन्सटेबिल रिफ्रेशर कोर्स के लिये भेजे जाते हैं। इस कोर्स की मयाद (ड्यूरेशन) ३ माह की है।

(२) कुछ भी नहीं।

(३) जी हां, यह सत्य है।

(४) जी हां। सिलेक्शन का यह सिद्धान्त है कि इस कोर्स के लिए पहले उन अफसरान को भेजा जाता है जिन्होंने कोई ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की है। इनके बाद उनको भेजा जाता है जिन्होंने नाकाफी (इनएडिक्वेट) ट्रेनिंग प्राप्त की है। इनके बाद वे लोग भेजे जाते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ५ साल पूर्व प्राप्त की हो। ४५ साल की आयु से ऊपर वाले आदमी नहीं भेजे जाते।

श्री जवानसिंह—क्या सभी ऑफिसरों को एक ही जगह रिफ्रेशर कोर्स के लिये भेजा जाता है?

श्री रामकिशोर व्यास—हां, एक ही जगह; किशनगढ़।

श्री खेतसिंह—क्या कारण है कि डी. आई. जी., सुपरिन्टेन्डेन्टों को नहीं भेजा जाता?

श्री रामकिशोर व्यास—इनको नोलेज होता है।

राजश्री हिम्मतसिंह—कितने समय में एक ऑफिसर को दुबारा इस कोर्स के लिए भेजा जाता है?

श्री रामकिशोर व्यास—After 5 years

श्री भैरोंसिंह—क्या आर. पी. एस. वालों को भी जाना पड़ता है?

श्री रामकिशोर व्यास—हां, जाना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६६

पुलिस कर्मचारियों द्वारा बसेज़ तथा ट्रक्स में मुफ्त में सफर करने संबंधी रोक लगाना

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार की जानकारी में है कि पुलिस कर्मचारी टैक्सी, बसेज़ व माल ढोने के ट्रकों में मुफ्त सफर किया करते हैं?

Page No.6

[श्री छीतरलाल शर्मा]

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में कोई ठोस कदम उठा कर इसको रोकने का शीघ्र ही यत्न करेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(क) इस प्रकार की कोई साधारण शिकायत सरकार की दृष्टि में नहीं आई ।

(ख) दृष्टि में लाई गई विशेष घटना की जांच करने को सरकार सर्वथा तत्पर है ।

(ग) यदि किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो गये तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना है ?

श्री रामकिशोर व्यास—अब तक कोई शिकायत नहीं है ।

श्री सन्तोषसिंह—क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि हर बस में इस प्रकार की शिकायत होती है ? क्या सरकार इसकी एन्टीकरप्शन के जरिये जांच कराने के लिये तैयार है ?

श्री अध्यक्ष—जो प्रश्न था उसका जवाब दे दिया गया है । नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २७०.

सितम्बर १९५५ के पश्चात् टोंक जिले में हुई डकैतियों के पकड़े गये डाकू एवं माल की बरामदगी

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १ सितम्बर, १९५५ के पश्चात् टोंक जिले में कहां २ डकैतियां हुईं ?

(ख) प्रत्येक डकैती में कितना २ माल लूटा गया व कितना बरामद किया गया ?

(ग) कितने डकैत पकड़े गये और कितने मारे गये ?

(घ) जिनके द्वारा डकैत मारे गये या पकड़े गये उन्हें सरकार ने क्या २ पारितोषिक प्रदान किये ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)— (क) १ सितम्बर १६५५ के बाद टोंक जिले में पिलाई तथा देशमी में डकैतियां हुई ।

(ख) ग्राम पिलाई में रु० ४,१८५ तथा देशमी में रु० ८००० का माल लूटा गया।

(ग) रु० ३१५० के मूल्य की सम्पत्ति केवल ग्राम पिलाई की डकैती में से बरामद हुई।

(घ) ३ डकैत मारे गये तथा एक जीवित पकड़ा गया।

(ड) उपरोक्त कार्य के लिये जनता के उपयुक्त आदमियों को इनाम देने की कार्यवाही की जा रही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—किसकी मदद से उनको पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास—गांव वालों की मदद से।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या इसमें किसी एम. एल. ए. ने भी मदद दी थी ?

श्री रामकिशोर व्यास—मेरे सामने किसी एम. एल. ए. का नाम नहीं है। हां, यह है कि डकैत एम. एल. ए. के गांव से गुजर रहे थे और उस समय पुलिस उनकी गाड़ी में जरूर गई।

श्री संतोषसिंह—क्या ठिकाने वालों को इनाम दिया जावेगा ?

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या यह बात सही है कि जिस सेठ महाजन ने माल नहीं बताया उसको डकैतों ने तेल पटक कर जला दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास—हो सकता है। जहां तक हमें मालूम हुआ है एक आदमी को पेट्रोल डाल कर जलाया गया था और वह बाद में मर गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह—वह कहां मरा ?

श्री रामकिशोर व्यास—वह शफाखाने में मरा।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या यह सही है कि उसको कोई डॉक्टर और कम्पाउन्डर वहां पर सम्भालने वाला नहीं मिला ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह सही नहीं है।

राज श्री हिम्मतसिंह—पुलिस में किसने रिपोर्ट दी ?

श्री रामकिशोर व्यास—डाकुओं की बात थी। रावराजा साहब के गांव से जा रहे थे। उनको मालूम हुआ, उन्होंने इसकी सूचना दी; आप यही चाहते हैं?

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या उनको इनाम मिलेगा ?

प्रश्न संख्या २७१.

सन् ५४-५५ में जसवन्तपुरा में हुई डकैतियों का पता चलाने के लिए स्पेशल पुलिस पार्टी

श्री छतरसिंह—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जसवन्तपुरा तहसील में सन् ५४-५५ में कितनी डकैतियां कहां कहां पर हुईं ?

(ख) उक्त डकैतियों में कितना माल किस किस गांव का गया है ?

(ग) क्या सरकार ने डाकुओं को पकड़ने के लिये कोई स्पेशल पुलिस पार्टी लगाई है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) सन् १९५४ में कोई भी डकैती नहीं हुई। सन् १९५५ में अब (१७-१२-५५) तक दो डकैतियां हुईं ; एक ग्राम कलापुरा में तथा दूसरी ग्राम सेवडा की ढाणी में।

(ख) ग्राम कलापुरा में रु० ८०००) के मूल्य की सम्पत्ति अपहृत हुई और ग्राम सेवडा की ढाणी में लगभग रु० ५००) के मूल्य की।

(ग) जी हां।

राज श्री हिम्मतसिंह—यह गैंग कौनसा था जिसने डकैती की ?

श्री रामकिशोर व्यास—कानिया का गैंग था।

श्री भोपालसिंह—क्या इन डकैतियों का कोई पता चला है ?

श्री रामकिशोर व्यास—उनमें से एक केस का मुल्जिम पकड़ा गया, उसका चालान हुआ है। एक केस में एन्काउन्टर हुआ, निकल गया।

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २७२.

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राजस्थान को ऋण

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.9

[श्री चांदमल मेहता]

(क) अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के लिये भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को कुल कितना कर्ज मिला है ?

(ख) उक्त कर्ज में अब तक कितना २ रुपया किन किन कामों में लगाया गया है व कितना भारत सरकार को लौटाया जा चुका है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मंत्री)—(क) अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के लिये भारत सरकार द्वारा राजस्थान को कुल अब तक २,२६,४५,०००) रुपया कर्ज मंजूर हुआ है।

(ख) यह सूचना संलग्न तालिका नं० १ व २ में है जो सदन की मेज पर रख दी गई है। इसका विवरण इस प्रकार है :

१—१९५२-५३	२,२२,०००
२—१९५३-५४	६,५०,३४३।७।०
३—१९५४-५५	१६,०३,७२७।७।०
४—१९५५-५६	२४,६१,१०२।१२।
२५ नवम्बर १९५५ तक	५२,३७,१७३।१०।०

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—एक जवाब नहीं मिला कि भारत सरकार को कितना रुपया लौटाया जा सका है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने बताया कि ५२-५३ में आदि में जो हैं वे लौटाने के फीगर्स हैं, कुल अभी तक २५ नवम्बर, १९५५ तक ५२,३७,१७३।१०।० है।

श्री चांदमल मेहता—यह लोन किन शर्तों पर मिला था ?

श्री रामनिवास मिर्धा—लोन की विभिन्न शर्तें हैं। शोर्ट टर्म लोन की अलग शर्त है, लोंग टर्म लोन की अलग शर्त है। कोई पांच साल में और कोई दस साल में पेएबल है।

श्री चांदमल मेहता—कितना रुपया सरकार के पास अब तक बचा हुआ है इस सम्बन्ध में।

Page No.10

श्री रामनिवास मिर्धा—यहां बचने का प्रश्न नहीं है। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्कशन होता है और फिर अगले साल के लिए रकम निर्धारित की जाती है। इस साल कुछ बचा है। पहले का कोई बचा हुआ नहीं है।

कु० श्री जसवंतसिंह—क्या आन्दोलन के करवाने के लिए भी सरकार लोन एडवान्स करती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी हां। अन्न उपजाओ आन्दोलन के लिए।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब तक कितना रुपया भारत सरकार को देना चाहिए।

श्री रामनिवास मिर्धा—इसका मेरे पास अभी उत्तर मौजूद नहीं है। जितना लोन मिला है उसमें से कितना एक्चुअली पड़ा हुआ है, यानी उसमें से ५२ लाख ३७ हजार निकाल देने से पता लगेगा कि कितना देना है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अलग अलग कंडीशन के मुताबिक ?

श्री रामनिवास मिर्धा—फीगर्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री खेतसिंह—कर्जा मिला हुआ है तो अन्नोत्पत्ति में वृद्धि हुई है या कमी हुई है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—काफी वृद्धि हुई है ?

श्री हिम्मतसिंह—अन्न उपजाओ का एजीटेशन किस तरह से किया गया ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक सप्लीमेंटरी और है।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २७३.

किशनगढ़ सब डिवीजन की विभिन्न तहसीलों द्वारा उनालू की फसल हेतु बीजों की की गई मांग

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.11

[श्री चांदमल मेहता]

(क) किशनगढ़ सब डिवीजन की किस २ तहसील में उनालू फसल के लिये कितने २ बीज़ की मांग कब २ की है ?

(ख) किस २ तहसील को कब २ कितना बीज़ भेजा गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मंत्री)---(क) तहसील किशनगढ़ ने १३२ मन और तहसील अरांई ने ५०० मन गेंहू सी ५९१ की मांग ता० २३.९.५५ को व ता० २६.९.५५ को क्रमशः की है।

(ख) तहसील किशनगढ़ का ११० मन गेहूं ता० २३.१०.५५ को भेजा था। तहसील अरांई नहीं भेजा जा सका।

श्री चांदमल मेहता—तहसील अरांई को बीज़ के लिए अनाज नहीं भेजने के क्या कारण हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—वहां से उनकी डिमान्ड बहुत लेट आई थी। पहले सरकार के पास जिनकी डिमान्ड आयी थी उनको भेज दिया गया था और बीज बंट चुका था।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो तारीख बतायी २६.९.५५, वह लेट नहीं है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—उसके पहले भी वितरण हो चुका था काफी मात्रा में।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि २६.९.५५ के पहले भी अरांई तहसील पंचायत ने बीज़ के लिए अनाज भेजने की मांग की थी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैं निश्चयतः नहीं कह सकता कि तहसील पंचायत ने कब मांग की। जिन्होंने मांग की उनको सब को कन्सोलिडेट करके बीज भेज दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार ने बीज भेजने के लिए समुचित व्यवस्था न होने से वहां बीज़ नहीं भेजा है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—डिमान्ड लेट आयी थी।

श्री चांदमल मेहता—क्या डिमान्ड भेजने के लिए सरकार ने कोई तिथि निश्चित कर रखी है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—निश्चित तिथि तो नहीं है लेकिन जब नवम्बर में वितरण होता है तो जुलाई में ही डिमान्ड मांग ली जाती है। तहसीलदार को हिदायत है कि ज्योंही जिनकी डिमान्ड आये उनको जल्दी से जल्दी यहां भेज दिया जाय ताकि जल्दी से जल्दी यहां पर उनको कन्सोलिडेट करके सबको डिमान्ड के माफिक बीज का वितरण कर दिया जाय।

श्री चांदमल मेहता—क्या डिमान्ड भेजने में राज्य सरकार के अधिकारियों की ओर से शिथिलता रही ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—फिर किनकी ओर से शिथिलता रही ?

श्री रामनिवास मिर्धा—डिमान्ड नहीं आई इसलिए वहां बीज नहीं गया।

श्री चांदमल मेहता—डिमान्ड तहसीलदार ने समय पर नहीं भेजी, क्या यह सही है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—डिमान्ड इस तरह करते हैं कि गांव वालों से, लोगों से, पंचायतों से एप्लीकेशन्स आती हैं और उनके बेसिस पर हर डिमान्ड को कन्सोलिडेट किया जाता है और फिर वे सरकार के पास भेजी जाती हैं और सरकार बीज वितरण करा देती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ तहसील को जो बीज दिया गया वह पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—१३२ मन मांगा और ११० मन दिया।

श्री चांदमल मेहता—२२ मन कम देने का क्या कारण है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इतना ही उपलब्ध था।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार फसल के शुरू होने पर ही बीज की आवश्यकता को मिटाती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जब डिमान्ड आती है भेज देती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ तहसील के कई किसानों ने जो तारीखें बतायीं उनमें रजिस्टर्ड पोस्ट से बीज सप्लाई करने के लिए मांग की थी ?

श्री अध्यक्ष—This is not within the scope of this.

श्री चांदमल मेहता—स्कोप में है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न के 'ख' खंड में है कि किस किस तहसील को कब कब भेजा गया, यह बता दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—'क' खंड में है कि कब कब मांग की है ?

श्री हंसराज आर्य—क्या मन्त्रीजी के ध्यान में है कि असली बीज जो भेजा जाता है वह कर्मचारियों द्वारा बेच कर उसके स्थान पर नकली भेजा जाता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी नहीं।

श्री हंसराज आर्य—क्या जांच करवायेंगे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—कोई निश्चित बात बतावेंगे तो उसकी जांच करूंगा।

श्री हिम्मतसिंह—बीज कौनसी क्वालिटी का भेजा गया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—सी ५६०।

श्री हिम्मतसिंह—लोकल मार्केट से बीज़ खरीद कर भेजा गया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—लोकल मार्केट से नहीं खरीदा जाता है। सी ५६० भेजा जाता है।

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २७४

जयपुर राज्य के समय और राजस्थान में कृषकों से अच्छी किस्म के बीज वितरण हेतु बाढ़ी

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भूतपूर्व जयपुर स्टेट के वक्त में किसानों को अच्छी किस्म के बीज के वितरण पर क्या बाढ़ी ली जाती थी ?

(ख) राजस्थान के निर्माण के बाद उक्त रेट क्या रही है ?

Page No.14

[श्री चांदमल मेहता]

(ग) क्या यह सही है कि किशनगढ़ में इस वर्ष उस रेट में कुछ परिवर्तन किया गया है ?

(घ) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किया गया है ?

श्री **रामनिवास मिर्धा** (कृषि मन्त्री)—(क) फसल उनालू के जैसे गेहूँ–जौ पर ढाई सेर फी मन हिसाब से बाढ़ी ली जाती थी ।

(ख) पांच सेर फी मन ।

(ग) हां ।

(घ) पांच सेर फी मन से बढ़ाकर साढ़े सात सेर फी मन की गई ।

श्री **चांदमल मेहता**—इस बाढ़ी की उत्तरोत्तर वृद्धि की जाने का क्या कारण है ?

श्री **रामनिवास मिर्धा**—यह एड-होक बेसिस (Ad hoc basis) पर राजस्थान बनने के बाद मुकर्रर की गई थी । उससे पहले १० सेर से अधिक बाढ़ी ली जाती थी । अब यह कर रहे हैं कि १० सेर से घटा कर ७॥ सेर कर दी जाय और पांच सेर से घटा कर २॥ सेर कर दी जाय ।

श्री **चांदमल मेहता**--क्या यह सही है कि बाढ़ी में वृद्धि करके सरकार ने कमाई का जरिया बना लिया है ?

(विरोधी पक्ष से "हियर, हियर")

श्री **रामनिवास मिर्धा**—इसमें सरकार को कोई आमदनी नहीं होती ।

श्री **चांदमल मेहता**—बीज के वितरण में सरकार को क्या खर्चा पड़ता है ?

श्री **रामनिवास मिर्धा**—स्टोरेज का, ट्रान्सपोर्ट का और डिस्ट्रिब्यूशन का ।

(घंटी)

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि बीज को लाने और ले जाने का सारा खर्चा किसानों के जिम्मे होता है जो बीज लेते हैं ?

श्री **रामनिवास मिर्धा**—'नो प्रोफिट नो लोस' के बेसिस पर उसका वितरण किया जाता है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पिछले टाइम पर यह बताया गया था कि पांच सेर बाड़ी लेते थे वह 'नो प्रोफिट नो लोस' पर थी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—पांच सेर से सरकार को घाटा रहता था।

श्री चांदमल मेहता—क्या पहले जांच की गई थी वही आधार था और इसलिए जवाब दिया गया ?

(घंटी)

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या अब जो बीज़ दिया गया है वह २५ परसेन्ट पर, यानी सवाये पर दिया गया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—कुछ इलाकों में दिया गया है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—सवाये पर दिया गया है, २५ प्रतिशत पर दिया गया है तो जो प्रोफिट होता है उतना खर्चा हो जाता है क्या ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इस साल कुछ इलाकों में काटा गेहूँ बंटवाना था इसलिए बाजार से काटा गेहूं सिलेक्ट करके खरीद कर बांटा गया।

(विरोधी पक्ष द्वारा "हियर, हियर")

श्री चांदमल मेहता—जब जयपुर स्टेट थी उस वक्त ढाई सेर बाडी पर अनाज दे सकते थे ; फिर जयपुर स्टेट के मुकाबले और कौन २ से नये नये खर्च इस वक्त बढ़ गये ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जयपर स्टेट के वक्त की जानकारी मुझे नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कमीशन बिठायगी जो यह जांच करे कि जो अनाज दिया जाता है, जिस भाव से दिया जाता है वह ठीक है या नहीं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जांच कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं।

श्री हिम्मतसिंह—यह बाड़ी कब ली जाती है साल में या छ महिने में ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जिस समय फसल पक जाती है उस वक्त ली जाती है।

श्री किशनलाल शाह—रेट्स किस पर्सेन्टेज से तय की जाती हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह हिसाब लगाने की बात है।

श्री किशनलाल शाह—जो पर्सेन्टेज बाढ़ी का आपने रखा है जब कि आपके खर्च नहीं होता तो क्या वह पीनल नहीं है क्या ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी, पीनल नहीं, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। जितना दिया जाता है उसके पीछे साढ़े सात सेर के हिसाब से ज्यादा वसूल किया जाता है।

श्री किशनलाल शाह—जब आप बाढ़ी पर, जो तीन सेर लेने का था उसको आप अब साढ़े सात सेर बढ़ा रहे हैं तो क्या उससे बेलेन्स नहीं बढ़ता ?

श्री रामनिवास मिर्धा—आप किन रेट्स का जिक्र कर रहे हैं ?

श्री किशनलाल शाह—पर्सेन्टेज ऑफ इनटरेस्ट बाढी का पांच सेर से क्या आप सात सेर कर रहे हैं तो क्या यह पीनल जैसी बात नहीं है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—सरकार का जो दर असल खर्चा होता है वही वसूल करती है।

श्री हिम्मतसिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय मन्त्रीजी ने जवाब दिया था; एक मेरे प्रश्न के सिलसिले में बाजार से अनाज नहीं खरीदा गया और अब एक दूसरे माननीय सदस्य ने जब पूछा तो यह कह दिया गया कि बाजार से खरीदा गया ! यह दोनों विरोधी बातें कैसे हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का स्पष्टीकरण कर दूं कि मैंने पहले यह कहा था कि बाजार से नहीं खरीदा गया, अभी जो यह कहा गया वह इस कारण कि इस साल बारिश के ज्यादा होने की वजह से सरकार के पास काठे गहूं की मांग ज्यादा आई और वह सरकार के पास नहीं था क्योंकि इसकी जरूरत पहले नहीं थी। जब इस प्रकार की तीन चार जगहों ये मांगे आई तो हमने अपने चार पांच अनाज विशेषज्ञों को चार पांच मंडियों में भेजा और उनके द्वारा जो अच्छा धान मिल सकता था, खरीद किया गया जनता की सुविधा की दृष्टि से।

श्री हिम्मत सिंह—यह बिलकुल गलत है

प्रश्न संख्या २७५.

ग्राम सुरेर (त० राजगढ) के बंध सुरेर के टूटने पर उसके जीर्णोद्धार पर व्यय हुई रकम

श्री भवानी सहाय शर्मा—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या ग्राम सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर का 'बन्ध सुरेर' ता० ४. १०. ५५ को सवेरे ६ बजे टूट गया ?

(ख) इस बन्ध की मरम्मत किस वर्ष हुई थी और सरकार ने कितना रूपया इस बन्ध की मरम्मत में बकाया था ?

Page No.17

[श्री भवानी सहाय शर्मा]

(ग) इसके टूटने के खास कारण क्या हैं तथा इसके टूटने से जनता का कितना नुकसान हुआ ?

(घ) जिला अलवर में ६ महिने के समय में कितने बन्ध टूटे हैं, उनके क्या नाम हैं तथा उनके कारण हैं ?

(ङ) इन बन्धों की मरम्मत कराने में सरकार का कितना रूपया लगेगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) हां।

(ख) इस बन्ध की मरम्मत सन् १९५३ में कराई गई थी जिस पर २४,२८९ रूपये व्यय हुए थे।

(ग) इस बन्ध के टूटने का कारण यह था कि इसकी बाहर की सलामी में एक पीपल का पेड़ खड़ा था। उस रात को बड़े बेग से आंधी चली जिससे उसकी जड़ें ढीली हो गईं और उनके साथ साथ पानी ने निकल कर कुछ समय में बंध को तोड़ दिया।

(घ) छोटा बन्ध होने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ।

(ङ) जिला अलवर में ६ माह के अन्तर्गत ३ बन्ध टूटे हैं जिनके कारण इस प्रकार हैं :

१. बन्ध सुरेर के कारण ऊपर बता दिये गये हैं।

२. ३. रामपुर कोला का वास व हरसोरा ये बन्ध अपूर्ण थे और उनके ऊपर से पानी निकल गया।

(च) इनकी मरम्मत के लिये क्रमशः ३५,००,६८०० व ५०,००० रूपया चाहिये। अन्तिम दो बन्धों की मरम्मत का खर्चा काम अधूरा होने के कारण, एग्रीमेंट के कारण, सम्बन्धी ठेकेदारों को ही भुगतना पड़ेगा।

श्री भवानी सहाय—जब पीपल की वजह से बन्ध टूटा तो सरकार के पास बड़े इन्जीनियर हैं, जब बन्ध बंधने लगा तो क्या उन्होंने यह राय नहीं दी कि पीपल की वजह से बन्ध टूट सकता है।

श्री रामनिवास मिर्धा—जब इसकी मरम्त हो रही थी उस वक्त इन्जीनियरों ने कहा था कि पीपल को काट दिया जाय किन्तु गांव वालों ने आपत्ति की कि पीपल का पेड़ होने की वजह से न काटा जाय और उन्होंने काटने नहीं दिया।

श्री भवानीसहाय—अब की दफा तो पीपल की वजह से टूटा उसके पहले किस वजह से टूटा था ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री संतोष सिंह—क्या यह सही है कि यह बन्ध पीपल की वजह से नहीं टूटा बल्कि इसलिये टूटा था कि इसका केचमेन्ट एरिया बहुत कम था और पानी ज्यादा आ गया।

श्री अध्यक्ष—Tabling questions in air, without any personal knowlege. The Hon,ble Member must have personal knowledge of all these facts. No use of putting questions in air.

श्री भवानी सहाय—क्या गांव वालों ने यह भी कहा था कि इसमें मिट्टी ठीक तरह से नहीं डाली जा रही; इसलिये यह फिर टूट जायगा।

श्री रामनिवास मिर्धा—ऐसी बात नहीं।

श्री सन्तोष सिंह—आपने जैसा फरमाया कि ठेकेदार नुकसान भरेंगे; इसमें ठेकेदारों का या कुसूर है जब कि आपके विभाग के इन्जीनियर खुद देखते हैं?

श्री अध्यक्ष—आखरी दो बन्धों के लिये कहा है, एग्रीमेन्ट के अनुसार काम अधूरा रहने से नुकसान ठेकेदारों को भुगताना पड़ेगा।

श्री सन्तोषसिंह—इन्जीनियर्स मौजूद रहते हैं वे डिफेक्ट्स बता सकते हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा—दो बान्ध कम्पलीट नहीं किये गये और समय पर कम्पलीट हीं किये गये, उसका समय निकल चुका था इसलिये बारिश का पानी निकल गया।

श्री रामदयाल उपाध्याय—अब क्या पीपल का पेड़ वहां से जड़ सहित निकाल दिया गया?

श्री रामनिवास मिर्धा—अपने आप निकल गया।

श्री भवानी सहाय—क्या बन्ध टूटने के पहले सरकार को इत्तला मिल चुकी थी?

श्रीरामनिवास मिर्धा—सरकार के पास इस तरह की कोई इत्तला नहीं थी?

श्री भवानी सहाय—क्या यह सही है कि यहां से जब अफसरान वहां गये थे तब गांव वालों ने यह शिकायत की थी कि इसमें पानी बहुत भर गया है और अब यह टूटने वाला है?

श्री रामनिवास मिर्धा—इस तरह की जानकारी हमारे पास नहीं है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या इरीगेशन विभाग बन्ध पर जान बूझकर पेड़ लगाते है

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या २७६.

प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालयों में टेलीफोन व्यवस्था

श्री प्रभुदयाल—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में अव्वल नम्बर के पशु चिकित्सालय में कहां कहां टेलीफोन हैं और कहां कहां से हटाये गये हैं ?

(ख) हटाने का क्या कारण है ?

(ग) क्या यह सही है कि बीकानेर पशु चिकित्सा महा विद्यालय के सभी छात्र प्रेक्टिकल कार्य सीखने रोजाना पशु चिकित्सालय में आते हैं और उनको कोन्टेक्ट करना बहुत जरूरी होता है।

(घ) अगर हां, तो क्या सरकार बीकानेर पशु चिकित्सालय में आर्थिक व सामयिक महत्व को ध्यान में रखते हुए फोन लगाने की व्यवस्था करेगी ?

(ड़) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मन्त्री)—(क) राजस्थान के प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालयों से जोधपुर, भरतपुर एवं अलवरमें टेलीफोन हैं। बीकानेर पशु चिकित्सालय से टेलीफोन हटाया गया है।

(ख) रेशनेलाईजेशन ऑफ टेलीफोन्स के अन्तर्गत इस टेलीफोन को हटाया गया था।

(ग) हां।

(घ) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—बीकानेर पर यह नाराजगी क्यों ?

श्री रामनिवास मिर्धा—और भी जगह से हटाये गये हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या दूसरों के साथ बीकानेर पर भी गुस्सा हुआ ?

श्री प्रभुदयाल—बीकानेर में जब वेटरनरी कॉलेज़ खुल गया है, क्या इस वजह से टेलीफोन का लगना आवश्यक नहीं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—वेटरनरी कालेज होने के बाद वापिस लगाने का सरकार विचार कर रही है।

श्री प्रभुदयाल—यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा—शीघ्र।

श्री प्रभुदयाल—'शीघ्र' का मतलब ?

श्री अध्यक्ष—एक साल और है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—वहां वेटरनरी कालेज खोले कितना समय हो गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—सरकार के कृषि विभाग द्वारा लिख दिया गया है। आशा है कि शीघ्र ही तफसिया हो जायगा।

श्री प्रभुदयाल—चार साल से यही कहा जा रहा है कि शीघ्र से शीघ्र कर दिया जायगा, आखिर इस 'शीघ्र' की भी कोई मियाद है ?

श्री अध्यक्ष—एक साल और समझिये।

प्रश्न संख्या २७७

बीकानेर पशु चिकित्सालय में रोगी ऊंटों को धूप व बारिश से बचाने की व्यवस्था

श्री प्रभुदयाल—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर पशु चिकित्सालय में बीमार ऊंटों को धूप व बारिश से बचाने के लिए छप्पर आदि की क्या व्यवस्था है ?

(ख) अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मन्त्री)—(क) छप्पर की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) अर्थाभाव के कारण छप्पर अब तक नहीं बन सका।

श्री प्रभुदयाल—यह कब तक बन जायेंगे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसके लिए कागज चल रहे हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या इसके लिए एस्टीमेट बनाया गया है कि कितना रुपया इसके बनने में खर्च होगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा—पांच हजार रुपये का एस्टीमेट था उसको एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट के लिए मूव किया गया किन्तु अर्थाभाव के कारण मन्जूर नहीं हो सका ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या पांच हजार रुपये का काम नहीं हो सकता जानवरों के आराम के लिए ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इससे भी कई ज्यादा उपयोगी चीजें थी जिनमें पैसा खर्च हो गया ।

श्री संतोषसिंह—जब सरकार फेस्टीवल पर दस हजार रुपये खर्च कर सकती है तो पांच हजार रुपये इस कार्य के लिए नहीं मिले ।

श्री प्रभुदयाल—इस देरी का कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २७८.

प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत बहुद्देशीय बड़ी मध्यम एवं लघु सिंचाई राजस्थान में योजनायें

रावत श्री शम्भूसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन कौन सी बहुद्देशीय बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई योजनायें राज्य सरकार के हाथ में हैं, यह कितनी बन चुकी हैं, कितनी बाकी हैं और कब तक समाप्त हो जावेंगी ? प्रत्येक की निर्धारित निधि कितनी थी जिसमें से कितनी व्यय हो चुकी है व कितनी शेष है ?

(ख) किस किस बांध से इस समय कितनी कितनी भूमि सिंचित होती है, भविष्य में फिर कितनी हो सकेगी तथा बिजली कहां तक पहुँचेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) विवरण-पत्र सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) विवरण पत्र सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(सूचियें अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

रावत श्री शम्भूसिंह—विवरण पत्र मुझे मिला नहीं।

श्री अध्यक्ष—आप नोटिस ऑफिस से ले लीजिये।

रावत श्री शंभूसिंह—जहां निर्धारित निधि से कम खर्च हुआ वहां रकम लैप्स हो जाने के क्या कारण हैं?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसके कई कारण हैं। स्टाफ नहीं मिला। सैंक्शन्स में देरी हो जाती है, मशीनरी इक्विपमेन्टस आदि नहीं मिलते हैं इसलिए जितनी रकम मन्जूर होती है उससे कम खर्च होती है।

श्री शम्भूसिंह—क्या यह सही है कि किसानों की मांग होते हुए भी बहुत से तालाबों को नहीं खोला गया और इससे विशेष सिंचाई नहीं हो सकी?

श्री रामनिवास मिर्धा—मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है। फिर यह एक बिल्कुल प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २७६

कोटा डिविजन के इर्रिगेशन इन्जीनियर श्री बक्शी का स्थानान्तर बूंदी करने के कारण

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने कोटा डिविजन इर्रिगेशन इन्जीनियर श्री बक्शी का ट्रान्सफर हाल ही में बूंदी से किया है?

(ख) यदि यह सही है तो कब और ट्रान्सफर करने के क्या कोई खास कारण सरकार बतलावेगी?

(ग) क्या ट्रान्सफर के आदेश जारी होने पर चार्ज हेतु दूसरा इन्जीनियर बूंदी पहुँचा? उसको,सरकार के आदेश की अवहेलना करके, श्री बक्शी ने चार्ज नहीं दिया इस कारण उसको मजबूर होकर बूंदी से वापिस लौटना पडा है.?

(घ) क्या श्री बक्शी का बाद में सरकार ट्रान्सफर कैन्सिल कर चुकी है? यदि हां, तो कब और क्यों?

(ङ.) क्या यह सही है कि श्री बक्शी की मांग पर ट्रान्सफर कैन्सिल हुआ। और ऐसा हुआ है तो ट्रान्सफर के आदेश की तामील में बूंदी पहुँचने वाले इन्जीनियर को टी. ए. डी. ए. की रकम सरकार श्री बक्शी से वसूल करने का विचार करेगी?

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) जी हां।

(ख) श्री बक्शी लगभग ६ साल से बूंदी में थे इसलिये उनका तबादला सरकारी आज्ञा संख्या १०। (१०) इर्रिगे०। ५५ दिनांक १६।१०।५५ द्वारा किया गया।

(ग) दूसरा इन्जीनियर बूंदी पहुंचा, यह सही है। श्री बक्शी ने सरकारी आदेश की कोई अवहेलना नहीं की।

(घ) सरकार के तबादले के हुक्म को केन्सिल नहीं किया है। सिर्फ उसे सरकारी आज्ञा १०। (१०) इर्रि०। ५५ दिनांक २१।११।५५ द्वारा कुछ अरसे के लिये स्थगित कर दिया गया है।

(ङ.) यह सही नहीं है।

श्री **छीतरलाल शर्मा**—क्या चार्ज नहीं देना सरकार की आज्ञा की अवहेलना नहीं है?

श्री रामनिवास मिर्धा—सरकार का आदेश ऐसा था, यह सही है। इस पर सरकार का दूसरा आदेश यह था कि चार्ज न दो जब तक कि दूसरी इन्सट्रक्शन जयपुर से न पहुंचे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो फिर दूसरे इन्जीनियर साहब वहां बक्शी साहब से हाथ मिलाने के लिये गये थे क्या?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी नहीं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो फिर किसलिये गये थे?

श्री रामनिवास मिर्धा--चार्ज लेने गये थे, यह सही है और ट्रान्सफर की जो लिस्ट निकली थी उसके अन्तर्गत वे चार्ज लेने चले गये। पर बाद में हमने सोचा कि बक्शी का वहां ठहरना अभी ठीक है इसलिए फिर उस ट्रान्सफर को स्थगित करने के आदेश जारी किये, पर चूंकि ये वहां इसकी बिना जानकारी के लिए ही पहुंच गये थे इसलिये ऐसा हुआ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो क्या वे फ्री ऑफ टिकिट गये थे। इसके लिए किस हैड से सरकार पैसा देगी?

श्री रामनिवास मिर्धा—मेरे ख्याल से जहां तक होगा वहां तक टी० ए०, डी० ए० के हैड से मिलेगा?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्यों मिलेगा? जब आपने ट्रान्सफर के ऑर्डर दिए और वह ट्रान्सफर के आर्डर होते हुए भी चार्ज नहीं दे रहा है तो उससे खर्चा लिया जावे। सरकार से पैसा मिले, क्या यह फिजूल खर्ची नहीं हुई?

श्री रामनिवास मिर्धा—इस तरह से ट्रान्सफर तो होते रहते हैं। यह ट्रान्सफर में रख दिया गया और इसकी सूचना उसके पास समय पर नहीं पहुंच सकी और अगर वह वहां चार्ज लेने चला गया तो उसे दूसरी जगह पर भेज दिया गया।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आम तौर पर इसलिए ये ट्रान्सफर होते हैं कि सरकार के पास पैसा बहुत ज्यादा है और उसे किसी न किसी प्रकार खर्च किया जावे।

श्री रामनिवास मिर्धा—नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री छीतरलाल शर्मा—अगर कोई सरकारी अधिकारी जान बूझ कर चार्ज नहीं देता है तो आप इस बारे में क्या करते हैं?

श्री रामनिवास मिर्धा—अगर जान बूझ कर नहीं देता है तो सख्त कार्यवाही उसके खिलाफ करते हैं।

श्री छीतरलाल शर्मा—किस तारीख को ट्रान्सफर अबेयेन्स में किया गया?

श्री रामनिवास मिर्धा—२१।११।५५ को।

श्री छीतरलाल शर्मा—और इन्जीनियर साहब कब पहुंचे थे?

श्री अध्यक्ष—It was a very great arrival to note.

श्री छीतरलाल शर्मा—उनका ट्रान्सफर किसी शिकायत पर हुआ था और क्या यह सही है कि बक्शी की गलती से बहुत से बांध टूट गये?

श्री अध्यक्ष—Question in the air! नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २८०

श्री नाथद्वारा तहसील में सन ५२ से जुलाई ५५ तक नए बनाये गए तालाब व पुरानों का जीर्णोद्धार

श्री शिवदानसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

श्री नाथद्वारा तहसील में सन् ५२।५३।५४।५५ की जुलाई तक कुल कितने छोटे मोटे तालाब नये बनाये गये व पुराने दुरुस्त किये गये और उपरोक्त दोनों कामों के लिए कुल कितना खर्चा लगा है?

श्री राम निवास मिर्धा—श्री नाथद्वारा तहसील में सन् १६५२।५३ में कोई तालाब न तो बनाया गया और न किसी पुराने की दुरुस्ती की गई।

सन १६५३।५४ से निम्नलिखित काम किये गए :

तालाब का नाम	नया या दुरुस्ती	खर्चा
१. गोडच का तालाब	नया	१०६२०॥≡)
२. गाम गुडा तालाब	दुरुस्ती व नहर का काम	६५८३।॥)
३. माना तालाब	दुरुस्ती	१०८८६।॥)
४. भूताला तालाब	दुरुस्ती	३१८६।)

सन १६५४।५५ में सलोदा तालाबकी नहर का काम नया किया गया जिसमें १५३६७॥≡) रुपया खर्चा लगा।

प्रश्न संख्या २८१

सरवाड नगरपालिका द्वारा महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने के लिये रकम की स्वीकृति की मांग

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सरवाड नगरपालिका ने महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने के लिये कोई रकम की स्वीकृति की मांग की है ?

(ख) यदि हां, तो कब और कितने रुपयों के लिये ?

(ग) उक्त नगरपालिका द्वारा इस सम्बन्ध में कितने रिमाइन्डर दिये गये है ?

(घ) इस सम्बन्ध में स्वीकृति नहीं देने के क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी हां।

(ख) १७। ११। ५४ को २००० रुपये के लिये।

(ग और घ) निर्देशक स्थानीय निकाय ने पत्र संख्या २१२१ दिनांक १२। १। ५५ द्वारा अध्यक्ष, नगरपालिका, सरवाड को सूचित किया कि वह अपनी नगरपालिका के संशोधित बजट

Page No.26

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

एवं महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने की जगह का मान-चित्र लेकर कार्यालय में विचारार्थ आवे। अब जो विवरण आये हैं वो विचाराधीन हैं ।

श्री चांदमल मेहता—यह विवरण कब आ गया सरकार के सामने ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह लोकल बोडीज़ से आया है।

श्री चांदमल मेहता—मैं पूछता हूं कब आया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसकी तारीख नहीं है मेरे पास इस समय ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि विवरण आने के बाद सरवाड़ नगरपालिका ने ८--१० रिमाइन्डर भेजे हैं सरकार को ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उनको बुलाया गया था ।

श्री चांदमल मेहता—बुलाने का क्या कारण था जब कि विवरण मांगा और वह भेज दिया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बजट में दो हजार रुपया प्रोवाइड किया था इसलिये डिस्कशन करने के लिए बुलाया गया था।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में बजट में पहले से प्रोवीजन था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने जवाब में कहा है कि संशोधित बजट लेकर और मूर्ति का प्लान लेकर बुलाया था।

श्री चांदमल मेहता—वे आ गये या नहीं फिर लेकर के ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मालूम हुआ कि वे आ गये।

श्री चांदमल मेहता—फिर आने के बाद भी उन्होंने कितने रिमाइन्डर दिये इसकी स्वीकृति के लिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रिमाइन्डर की सूची तो मेरे पास नहीं है पर अब जल्दी मन्जूर हो जावेगा, यह मैं कह सकता हूँ।

प्रश्न संख्या २८२

जनवरी ५५ के पश्चात् यज्ञनारायण अस्पताल किशनगढ़ के कम्पाउन्डरों के स्थानान्तर

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) १ जनवरी, १६५५ के बाद यज्ञनारायण हॉस्पिटल किशनगढ़ के किन किन स्थानीय कम्पाउन्डरों के तबादले अन्यत्र किये गये ?

(ख) ऐसे कौन कौन कम्पाउन्डर हैं जिनका होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर ट्रान्सफर किया गया है ?

(ग) ऐसे कौन कौन कम्पाउन्डर हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से उक्त अस्पताल में तब्दील करके भेजे गये हैं ?

(घ) उक्त तबादलों के क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) १ जनवरी, १६५५ के बाद यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़ से एक कम्पाउन्डर का स्थानान्तरण किया गया।

(ख) एक कम्पाउन्डर को बाहर प्रोमोशन की वजह से भेजना पड़ा।

(ग) तीन कम्पाउन्डर ऐसे हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से उक्त चिकित्सालय में आये।

(१) श्री नारायणसिंह श्रेणी ३ भीलवाड़े से।

(२) श्री मुकुटबिहारीलाल श्रेणी ४ भरतपुर से।

(३) श्री गंगानारायण भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से।

(घ) उक्त स्थानान्तरों के निम्न कारण हैं :

(१) श्री ओम प्रकाश कम्पाउन्डर एक्सरे ट्रेनिंग के लिये गया था।

(२) श्री मुकुट बिहारी लाल कम्पाउन्डर श्रेणी ४ इसलिये भरतपुर से किशनगढ़ भेजे गये क्योंकि श्रेणी ३ के कम्पाउन्डरों को दूसरी जगह भेजना था जो किशनगढ़ डिस्टिक्ट से श्रेणी ३ के लिये चुने गये थे।

(३) श्री गंगानारायण कम्पाउन्डर श्रेणी ३ भरतपुर से किशनगढ़ आना चाहते थे और श्री नारायणसिंह श्रेणी ३ जो कि आजकल सस्पेन्डेड हैं उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को लगाना जरूरी था।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि श्री यज्ञनारायण अस्पताल में लोकली एक्सरे ट्रेन्ड कम्पाउन्डर मौजूद है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह अलग से सवाल है ।

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ में एक्सरे ट्रेन्ड कम्पाउन्डर के मिलते हुए भी बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के व्यक्ति को वहां लाने की क्यों आवश्यकता हुई ?

श्री अध्यक्ष—तो टेबुल करते इसको ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने बताया कि एक कम्पाउन्डर सस्पेन्ड हुआ था, दूसरा एक्सरे की ट्रेनिंग के लिए बाहर गया हुआ था तो इसलिए बाहर से वहां कम्पाउन्डर भेजना पड़ा ।

श्री चांदमल मेहता - मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक्सरे ट्रेन्ड कम्पाउन्डर जब वहां मौजूद था पहले से ही तब बाहर से बुला कर वहां भेजने की क्या आवश्यकता हुई और अगर लोकली कोई कम्पाउन्डर ट्रेन्ड नहीं था तो ऐसा बताइये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

प्रश्न संख्या १८३

बड़ी सादड़ी नगरपालिका के चुनाव करवाना

श्री जगतसिंह झाला—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि बड़ी सदड़ी नगरपालिका का चुनाव अभी तक नहीं कराय जा सका है ?

(ख) इस चुनाव के इतने लम्बे अर्से तक नहीं कराये जाने का क्या कारण है ?

(ग) सरकार भविष्य में कब तक यहां का चुनाव करा देने का विचार रखती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी नहीं, निर्वाचन की कार्यवाही जारी है ।

(ख) यहां नये बोर्ड की स्थापना की जा रही है । अतः इस बोर्ड की हद निश्चित करने के पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र निश्चित कर मतदाता सूची बनवाने में समय लगा है ।

(ग) निर्वाचन सूचियां तैयार हो चुकी हैं तथा सम्बन्धित कलेक्टर को शीघ्र ही चुनाव करवाने का आदेश दिया जा चुका है । निर्वाचन नियमानुसार ४।५ माह में पूर्ण होने की आशा की जाती है ।

श्री जगतसिंह झाला—पहले इसके मुतल्लिक आश्वासन दिया जा चुका है और लम्बे समय से उस आश्वासन के पूरे होने का लोग इन्तजार कर रहे हैं, तो अब भी आपके आश्वासन की वही गति न हो इसकी क्या गारन्टी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुमकिन है किसी को आश्वासन दिया गया हो, फिर भी कार्यवाही इसके लिए की जा रही है।

प्रश्न संख्या २८४

छोटी सादड़ी नगरपालिका को भंग कर प्रशासक की नियुक्ति

श्री जगतसिंह झाला--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) छोटी सादड़ी नगरपालिका का कार्यकाल कब समाप्त हुआ ?

(ख) क्या सरकार नये चुनावों तक इसे भंग कर किसी सरकारी अधिकारी द्वारा इसके कार्य को कराने का विचार रखती है ?

(ग) नया चुनाव कब तक होने की सम्भावना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) इस नगरपालिका के कार्यकाल की अवधि दिनांक १४।११।५५ को समाप्त हुई।

(ख) जी नहीं।

(ग) दिनांक १।५।१९५६ तक नया निर्वाचन होने की सम्भावना है।

प्रश्न संख्या २८५

जि० भीलवाडा में हुरडा ग्राम के आयुर्वेद औषधालय के लिए अतिरिक्त औषधियों का प्रबन्ध

श्री किस्तूर चन्द—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) हुरडा, जिला भीलवाडा में क्या कोई आयुर्वेद औषधालय चल रहा है ? यदि हां तो कब से ?

(ख) गत ६ महीनों में वहाँ औसत मरीजों की संख्या क्या है ?

(ग) इस औषधालय के लिये कितनी रकम दवाइयों के लिए निर्धारित की गई है और क्या वह मरीजों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त है ? यदि नहीं है, तो क्या सरकार उसे बढ़ा देगी

Page No.30

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी हां, सन् १९५० से।

(ख) करीब ८०० के रही है।

(ग) ४००) सालान की औषधियों के हेतु निर्धारित है। मरीज संख्या को देखते हुए रकम निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था औषधालय के अनुसार ही की गई है। अगले वर्ष के बजट में औषधालयों के इस मद के खर्चे पर पुनर्विचार होगा।

प्रश्न संख्या २८६.

धोलपुर नगरपालिका द्वारा ऋण देने की प्रार्थना

श्री हंसराज जटिया—क्या स्वायत शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) धोलपुर नगरपालिका ने कर्जा लेने की कोई प्रार्थना की है?

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है?

(ग) अगर नहीं देना चाहती तो क्यों नहीं? अगर (ख) का उत्तर हां में है तो कब तक?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) नगरपालिका ने अभी तक वाटर सप्लाई व नाली बनाने की योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा नहीं भेजा जिससे इस विषय में कोई प्रगति नहीं हो सकी।

(ग) विवरण आ जाने पर विचार हो सकेगा।

श्री हंसराज जटिया—यह कर्जा किस लिये मांगा गया था?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने बताया कि वाटर सप्लाई के लिए और नाली बनाने के लिए।

प्रश्न संख्या २८७

बीकानेर में मादा बकरियें काटने संम्बन्धी शासकीय जांच

श्री प्रभुदयाल—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या राजस्थान में मादा बकरी काटने की इजाजत है?

Page No.31

[श्री प्रभुदयाल]

(ख) यदि नहीं, तो फिर बीकानेर में रोजाना काफी मादा पशु क्यों काटे जाते हैं ?

(ग) क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

(घ) क्या यह सही है कि वहां पर जो अधिकारी काफी वर्षों से नियुक्त है उसके नोटिस में होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) राजस्थान के आदेश संख्या एफ (१) (८४७) एल. एस. जी. ५५ दिनांक २५, ५, ५० के अन्तर्गत ऐसा नहीं हो सकता।

(ख) बीकानेर में भी ऐसा नहीं होता है।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। फिर भी यदि माननीय सदस्य कोई खास बात बतलावें तो मैं जांच कराऊंगा।

(घ) जी नहीं।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार इसकी दुबारा जांच कराने के लिए तैयार है ?

श्री अध्यक्ष—यह बताया है।

(हंसी)

श्री प्रभुदयाल—यह क्वेश्चन पुट अप किया है, उसके बाद सरकार जांच कराने के लिए तैयार है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—जांच करके ही जवाब दिया है।

श्री बद्रिप्रसाद गुप्ता—म्युनिसिपैलिटी ने इन्फोर्मेशन दी है। म्युनिसिपेलिटी ने इन्कवायरी की है कि ऐसा नही होता है।

श्री शम्भूसिंह—जांच करवाने के लिए पहले जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है उस पर एक्शन नहीं लिया गया।

श्री अध्यक्ष—बीकानेर का है यह प्रश्न। आप किसका पूछ रहे हैं सवाल ?

श्री शंम्भूसिंह—मैं बीकानेर का ही पूछ रहा हूं। जो आवेदनपत्र प्रस्तुत हुए, उन पर एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई आवेदन-पत्र दिया गया।

श्री अध्यक्ष—There can be no objection for asking supplementaries, but then members who are sure of the facts should ask those questions, There is no use tabling questions in the air, about which Members have no knowledge at all-

श्री प्रभुदयाल—अध्यक्ष महोदय, अभी पचासों बकरियां कटती है। यदि जांच करवाई जाय तो पचासों बकरियां मैं पकड़वा सकता हूं। वे बकरियां मादा होने के साथ साथ बीमार भी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, यह सारा इन्तजाम म्युनिसिपेलिटी के अन्दर है। वह इलेक्टेड म्युनिसिपेलिटी है और वहां के आदमी ही जिम्मेदार है, वह रोक सकते हैं।

श्री प्रभुदयाल—उनके ऊपर कौन से ऑफिसर नियुक्त हैं।

श्री अध्यक्ष—वह म्यूनिसिपैलिटीज़ का इन्तजाम है और स्लॉटर हाउसेज़ म्यूनिसिपेलिटीज़ के अन्दर होते हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ उसके लिए जिम्मेदार हैं।

श्री प्रभुदयाल—गवर्नमेंट का सुपरवीजन तो है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या बकरियों के मारने का कारण यह हो सकता है कि अच्छे अच्छे बकरे नस्ल सुधारने के लिए जयपुर भेज दिये जाते हैं?

(हंसी)

प्रश्न संख्या २२३

वेगूं, भेसरोड़गढ़ तहसीलों में पंचायतों के चुनाव

श्री सुगनचन्द जैन—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) वेगूं भेसरोडगढ़ तहसील के अन्तर्गत कितनी ग्राम पंचायतें है और कहां कहां?

(ख) इन पंचायतों के चुनाव कब कब हुए और कौन कौन तारीख को तथा हर एक पंचायत को कार्य करते हुए कितना कितना समय हो चुका है?

(ग इन पंचायतों में कौनसी पंचायतें ऐसी है जिनका समय निकल चुका हैं और अभी तक काम कर रही हैं?

(घ) इनका अब तक चुनाव नहीं कराने का क्या कारण है और अब कब तक चुनाव हो जायेगा?

Page No.33

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता–(क) (ख बेंगू तहसील में ६ व भैंसरोड़गढ़ तहसील में ७ पंचायतें हैं जिनके नाम व कार्य का इस प्रकार हैं–

तहसील बेगू

पंचायत	दिनांकचुनाव	कार्यारम्भ का दिनांक	कार्यकाल
१. भींचोर	२५.१.५३	७.७.५३	२ वर्ष ६ माह
२. नंदवाई	२४.१.५३	१२.७.५३	२ वर्ष ६ माह
३. चैंची	१६.१.५३	१.७.५३	२ वर्ष ६ माह
४. पारसोली	२१.२.५३	१०.१.५४	२ वर्ष
५. हुकराई	२७.६.५३	३.६.५३	२ वर्ष ३ माह
६. दौलतपुरा		१६.५.५५	६ माह

तहसील भैंसरोडगढ़

पंचायत	दिनांकचुनाव	कार्यारम्भ का दिनांक	कार्यकाल
१. भैंसरोडगढ़	५.३.५२	५.१०.५२	३ वर्ष २ माह
२. बोराव	२.३.५२	१८.१०.५२	३ वर्ष १ माह
३. कुआखेडा	१२.१०.५२	२८.५.५३	२ वर्ष ६ माह
४. बडोदिया	१५.६.५३	५.१०.५३	२ वर्ष २ माह
५. भातासर	११.७.५३	१४.२.५४	१ वर्ष ८ माह
६. जावदा		१३.२.५२	३ वर्ष १० माह
७. खातीखेडा		१७.३.५२	३ वर्ष ८ माह

(ग) इन पंचायतों में से जावदा, खातीखेड़ा, भैसरोड़गढ़ व बोराव के कार्यकाल की अवधि सरकार ने बढ़ाकर इन निर्वाचन करवाने की व्यवस्था करवा दी है। जावदा, खातीखेड़ा, भैंसरोडगढ़ व बोराव के निर्वाचन का दिनांक क्रमश; २. १. १९५६, २५. १. ५५, १५. १. ५५, व २०. १२. ५५ निश्चित हो चुका है।

[भाग घ का उत्तर नहीं दिया गया]

श्री रामदयाल उपाध्याय—जो नये चुनाव करवाने की घोषणा की गई है वह सवाल टेबिल करने के पश्चात की गई या पहले ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दोनों बात हो सकती है। मैंने आपको कहा कि चुनाव करा दिये हैं व अपने आप भी होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह जो ३ साल १० माह हो गये हैं तो क्या लिमिटेशन के अन्दर ही यह घोषणा करादी गई है या १० महीने ज्यादा काम करने के बाद आवश्यक था कि मियाद बढ़ादी जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हां, मयाद बढ़ा दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष—कौनसी तारीख को मयाद बढ़ाने की आज्ञा हुई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया कि मयाद बढ़ाकर उनका चुनाव कराया गया है। पिछले को लीगेलाइज़ किया है और आयन्दा के लिए चुनाव करवा दिये हैं।

प्रश्न संख्या २८६.

ग्राम रसूलपुर के मूल सिंह की थाना खेतड़ी की हवालात में मृत्यु होने सम्बन्धी मेडीकल ऑफिसर का रजिस्टर जब्त करना

श्री भैरूसिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि एस. डी. एम. खेतड़ी ने मूलसिंह राजपूत सा० रसूलपुर की धानी खेतड़ी की हवालात में मृत्यु होने के कारणों के जांच के संबंध में खेतड़ी के मेडीकल ऑफिसर के एक रजिस्टर को सितम्बर सन् १९५५ में जब्त किया था ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त रजिस्टर इस संदेह में जब्त किया था कि तत्कालीन डाक्टर ने उसमें झूठे इन्द्राज किये थे ?

(ग) इस संबंध में कोई इन्क्वायरी हुई या नहीं ? यदि हुई, तो किसके द्वारा और उसका क्या नतीजा निकला ? यदि नहीं हुई तो क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) मूलसिंह की मृत्यु हवालात में न होकर अस्पताल में हुई थी। अस्पताल का रजिस्टर एस० डी० एम० ने देखने को मंगाया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि एस० डी० एम० ने रजिस्टर इस कारण से जब्त किया था कि उसमें सही एन्ट्रीज़ थीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह एस० डी० एम० के पास है। हमारे पास कोई रेकॉर्ड नहीं है। इस सम्बन्ध में जांच की गई। जांच का कोई आर्डर नहीं दिया गया।

श्री भैरूसिंह—क्यों नहीं दिया गया जबकि एस. डी. एम. ने यह कहा कि एन्ट्रीज़ जो ऊपर से की गई हैं वे गलत हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एस. डी. एम. के यहां होगा। हमारे यहां कोई रेकार्ड नहीं है और न डाक्टर की कोई कम्प्लेन्ट है।

श्री भैरूसिंह—एस. डी. एम. ने उसको देखा था और लिखा भी है, क्या सही है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने यह निवेदन किया कि अस्पताल से रजिस्टर एस० डी० एम० ने मांगा था।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि उस रजिस्टर पर एस. डी. एम. ने नोट लिखा था कि सारे का सारा अन्धेर राइटिंग है, वह गलत है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— यह रजिस्टर अभी तक उन्हीं के पास है हमारे पास भेजा नहीं।

श्री भैंरूसिंह—क्या सरकार ने जानकारी करने की कोशिश की कि वह रजिस्टर उनके पास क्यों है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एस. डी. एम. की कोर्ट है उन्होंने आर्डर देकर मंगा लिया, वह उनके पास रखा हुआ है।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि इस प्रकार का मुकदमा किसी भी कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। वह रजिस्टर इसलिए पड़ा हुआ है कि उसमें गलत एन्ट्रीज़ हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एस. डी. एम. ने इन्क्वायरी की थी तभी से रजिस्टर वहां रखा हुआ है। उस एस. डी. एम. का ट्रान्सफर हो गया है, दूसरा आ गया है।

श्री भैरूंसिंह—क्या इस बात की जांच करने की कोशिश की गई कि दो साल से वह रजिस्टर एस. डी. एम. की कोर्ट में क्यों पड़ा है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कोर्ट से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट ने आॅर्डर भेजा कि रजिस्टर भेजो तो रजिस्टर भेज दिया। कोर्ट से क्वेश्चन नहीं कर सकते है कि क्यों रखा हुआ है।

श्री भैरूसिंह—क्या एस. डी. एम. ने सरकार के इस विभाग को लिखा है कि उक्त डाक्टर ने गलत एन्ट्रीज़ की हैं उनकी जांच की जानी चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया कि हमारे पास इस प्रकार का कोई रेकार्ड नहीं है, कोई कम्प्लेन्ट नहीं है और कोई जांच का ऑर्डर नहीं दिया गया ।

श्री भैरूसिंह—क्या यह रजिस्टर उन्होंने जुडीशियल एन्क्वायरी के दौरान में मंगाया है या एक्जीक्युटिव इन्क्वायरी के दौरान में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुझे पता नहीं । उन्होंने कहा कि रजिस्टर भेज दिया जाय और वह भेज दिया गया ।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि एस. डी. एम. ने लिखकर किसी डाक्टर या विभाग के किसी अधिकारी को दिया है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुमकिन हो कि दिया हो । तहकीक इत्तिला नहीं है ।

श्री भैरूसिंह—मुमकिन से मेरा प्रश्न स्पष्ट नहीं होता है । मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया कि कोई सप्लीमेंट्री सवाल पैदा नहीं होता है । आपने पूछा कि मंगाया था उसका जवाब मैंने निवेदन कर दिया । आप इसके लिए अलग से प्रश्न पूछ लें तो मैं और जवाब दे दूंगा ।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि उक्त डाक्टर ने किसी अधिकारी को यह सूचना दी थी कि एस. डी. एम. ने जो रजिस्टर मंगा लिया है उसको वापिस मंगाये जाने की कार्यवाही की जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है ।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि एस. डी. एम. ने सरकार को यह सूचना दी थी कि इस रजिस्टर के अन्दर गलत एन्ट्रीज़ हैं और डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही की जाय ?

श्री अध्यक्ष—Medical Department...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं बार बार कह चुका हूँ कि मेरे पास कोई रेकार्ड नहीं है ?

श्री भैरूसिंह—क्या यह रजिस्टर वापिस मंगाया जायगा ? मजिस्ट्रेट की एन्क्वायरी हो जाने के बाद क्यों रखा हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसलिये रखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट एन्क्वायरी करके अपने आप भेज देंगे ।

Page No.37

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि एस. डी. एम. ने इसकी सूचना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को दी थी ?

श्री अध्यक्ष—उनसे पूछिये।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि इस प्रकार की सूचना राजस्थान के आर. जी. पी. को भी एस. डी. एम. ने दी थी ?

श्री अध्यक्ष—How can the Medical Minister reply ?

श्री भैंरूसिंह—सवाल यह है कि जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यह रजिस्टर भेजा गया इसकी जानकारी आप दे रहे हैं। अगर होम डिपार्टमेंट को दी थी तो होम मिनिस्टर से पूछिये और जी. ए. डी. का चीफ मिनिस्टर से पूछिये।

श्री भैंरूसिंह—मेडीकल डिपार्टमेंट को सूचना दी थी और मेडीकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने ऐसा किया है उस एन्क्वायरी के सम्बन्ध में, इसलिये आवश्यक है कि माननीय मंत्रीजी इसका उत्तर दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पुलिस ने एन्क्वायरी की, इसका हमारे डिपार्टमेंट में कोई रेकॉर्ड नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि जांच करने के वक्त रजिस्टर की एन्ट्रीज़ गलत थीं, इसलिए एस. डी. एम. ने उसको जब्त कर रखा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रजिस्टर वापस आ जायगा, then I will make enquiries.

श्री भैंरूसिंह—क्या सरकार जांच करवाने के लिए एस. डी. एम. को मूव करेगी कि रजिस्टर जल्दी से जल्दी भेजा जा जाय।

श्री अध्यक्ष—Is some enquiry pending ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हमारे यहां कोई रिकॉर्ड नहीं है एन्क्वायरी का। इसमें कोई एन्क्वायरी हुई हो, हमारे यहां कोई ऑर्डर नहीं है। मुमकिन हो कि एस. डी. एम. ने एन्क्वायरी की हो।

श्री भैंरूसिंह—क्या सरकार इस बात की आवश्यकता नहीं समझती कि रजिस्टर एस. डी. एम. ने जब्त किया तो इस बात की जानकारी करनी चाहिये कि वह रजिस्टर क्यों जब्त किया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कोर्ट के ऑर्डर को हम क्वेश्चन करने वाले नहीं हैं। कोर्ट अगर ऑर्डर करती है तो फौरन ओबे करता हूँ।

श्री भैंरू सिंह—इस रजिस्टर की सूचना उक्त डॉक्टर ने उच्चाधिकारियों को दी या नहीं।

श्री अध्यक्ष—Same question over and over again. No purpose will be served from the Medical Minister.

श्री अध्यक्ष—मेडिकल मिनिस्टर से इसका क्या ताल्लुक ?

श्री भैंरू सिंह—मेडिकल मिनिस्टर से यह मतलब है कि जानबूझकर इन्क्वायरी नहीं कराते।

श्री अध्यक्ष—मेडिकल वाले क्या करते ?

श्री भैंरू सिंह—यह नहीं बताया गया कि यह रजिस्टर किसलिये भेजा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कोर्ट ने मंगाया इसलिये भेजा गया, यह मैंने बतलाया था।

श्री भैंरू सिंह—हां यह तो बताया गया लेकिन क्या यह कोर्ट है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एस. डी. एम. ने मंगाया था।

श्री भैंरू सिंह—यह रजिस्टर एस. डी. ओ. ने एग्जीक्युटिव साइड में मंगाया था या एस. डी. एम. ने ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मैंने बतलाया था कि एस. डी. एम. ने मंगाया था।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. ने मंगाया था।

श्री अध्यक्ष—He is the same person.

श्री भैंरू सिंह—उसने किस हैसियत से मंगाया था और क्यों भेजा गया ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भैरोसिंह—एक प्रश्न का उत्तर और चाहता हूं। एस. डी. एम. ने एज़ ए कोर्ट मंगाया था या एज़ ए रेवेन्यू ओफिसर ?

श्री अध्यक्ष—यह बतला तो दिया कि एस. डी. एम. ने मंगाया था।

(विराम)

नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या २९०

सन् ५४से५६ तक लालसोट नगरपालिका की अनुमति से लालसोट कस्बे की जमीन तहसील द्वारा बेचना

श्री भैरूसिंह(१६)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५४–५५ व ५५-५६ में लालसोट नगरपालिका की अनुमति से लालसोट कस्बे की कितनी जमीन तहसील द्वारा फरोख्त की गई ?

(ख) क्या यह सही है कि लालसोट की जमीन महकमा अरबन इम्प्रूवमेंट की बिना अनुमति के नहीं बेची जा सकती ?

(ग) यदि हां, तो जो जमीन बेची गई है उसकी स्वीकृति अरबन इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट से ली गई या नहीं और नहीं तो क्यों नहीं ?

(घ) क्या वहां की जनता द्वारा उसकी शिकायत डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ को की गई है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) २५८४ रु० १५ आ० की कीमत की जमीन व हिसाब सवा रुपया व पांच आने स्क्वेयर गज से तहसील द्वारा फरोख्त की गई है । एरिया के इन्द्राज का कोई रजिस्टर न होने से यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जहां बोर्ड है वहां स्वीकृति लेना आवश्यक है, लालसोट में कोई बोर्ड नहीं है ।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(घ) श्री वृद्धिचन्द द्वारा एक शिकायत अध्यक्ष के विरुद्ध पेश होने पर सहायक प्रादेशिक निरीक्षक द्वारा जांच करवा ली गई है और उससे मालूम हुआ है कि यह जमीन कायदे के माफ़िक ही बेची गई है ।

प्रश्न संख्या २९१

डाइरेक्टर मेडिकल एण्ड पब्लिक हेल्थ द्वारा भीलवाड़ा जिले का दौरा

श्री अध्यक्ष—श्री सोहनलाल भटनागर फॉर श्री जयसिंह ।

(श्री जयसिंह और श्री सोहनलाल दोनों ही अनुपस्थित)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—It is an important question. The Minister may like to reply.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—The reply is laid on the table of the House.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या २६२

जिला बांसवाड़ा में कुल ग्राम पंचायतों के चुनाव

श्री धूलजी भाई—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला बांसवाड़ा में कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं, इनमें ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनका चुनाव करीब होने वाला है ?

(ख) क्या यह सही है कि पंचायतों के नये चुनाव किये बिना ही जिला बोर्ड के चुनाव की तारीख घोषित की गई है ?

(ग) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत इन्सपेक्टर ग्राम पंचायतों का निरीक्षण साल भर से नहीं कर रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—जिला बांसवाड़ा में कुल ६० ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से ३० ग्राम पंचायतों के वार्षिक निर्वाचन होने वाले हैं।

(ख) जिला बोर्डों के चुनाव कराने की तारीख इस उम्मीद में कि पंचायतों के चुनाव तब तक पूरे हो सकेंगे, घोषित कर दी गई थी। बहुत कोशिश करने पर भी यह कार्य सम्पन्न न हो सका इसलिए तारीखें बढ़ा दी गईं। इस समय बांसवाड़ा जिले की उन ३० पंचायतों के जिनके कि अवधि काल समाप्त हो गये हैं चुनाव भी करा दिये जावेंगे।

(ग) इस वर्ष २४ पंचायतों का निरीक्षण इन्सपेक्टर द्वारा किया गया। यह अवश्य है कि उनके अवकाश पर रहने के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका है। अब इन्सपेक्टर व सब इन्सपेक्टर कार्य कर रहे हैं और इन्सपेक्शन हो रहे हैं।

प्रश्न संख्या २६३

ग्राम बनेठा तहसील उनियारा की पंचायत का चुनाव व चुनाव याचना

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्राम बनेठा तहसील उनियारा की पंचायत का चुनाव हो चुका है ?

[राव राजा श्री सरदारसिंह]

(ख) अगर हां, तो कब ?

(ग) क्या यह सही है कि सरपंच और पंचायत के विरुद्ध कोई चुनाव याचिका पेश हुई है ?

(घ) उक्त चुनाव याचिका की सुनवाई किस अधिकारी द्वारा की जा रही है और इसके निर्णय की कब तक आशा की जावे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) जी हां।

(ख) दिनांक ८-६-१९५४ को।

(ग) जी हां।

(घ) जिलाधीश इसकी सुनवाई कर रहे हैं और सम्भवतः बहुत जल्दी ही इसका फैसला वह दे सकेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या यह एक साल की अवधि के अन्दर हो जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो उनके देखने की बात है। It is for the District Magistrate.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह अक्सर सुनने में आता है कि उनियारा की तहसील तोड़ दी गई है और उसके बजाय अलीगढ़ कर दी गई है, फिर उनियारा का नाम कैसे आता है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या यह तहसील ही तोड़ दी गई है या हैडक्वार्टर बदला गया है ?

श्री अध्यक्ष—Now questions of 20th December. Questions No. 250.

प्रश्न सख्या २५०

एस. के. एन. इन्स्टीट्यूट, जोबनेर को सरकार द्वारा कब्जे में लेना

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने एस. के. एन. एग्रीकल्चरल इन्सटीट्यूशन जोबनेर, जिला जयपुर, को अपने कब्जे में ले लिया है ?

[श्री भगवानसिंह तरंगी]

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ?

(ग) क्या सरकार ने जोबनेर इन्स्टीट्यूशन को अपने कब्जे में लेकर वहां के प्रिन्सिपल और इंगलिश व जेनेटिक्स वगैरह कई सबजेक्ट्स के लेक्चरार्स को जोबनेर से उदयपुर भेजा है ?

(घ) यदि हां, तो किस किस को और किस कारण से भेजा है ?

(ङ) क्या सरकार की जानकारी में है कि जोबनेर में काफी समय से प्रिन्सिपल और कई लेक्चरार्स के न होने से वहां पढ़ने वालों की पूरी पूरी पढ़ाई नहीं होती है और समय बेकार जा रहा है ?

(च) क्या सरकार की जानकारी है कि फाइनल इम्तिहान नजदीक आ रहा है और जोबनेर में पूरा पूरा स्टाफ नहीं है ?

(छ) क्या सरकार जोबनेर में शीघ्रातिशीघ्र स्टाफ की कमी को पूर्ण करेगी ?

(ज) यदि हां, तो इस कमी की पूर्ति कब तक कर दी जायगी ?

(झ) यदि भाग 'छ' का उत्तर ना में है, तो क्या सरकार जोबनेर से इसे हटाकर किसी दूसरी जगह पर रखने का विचार कर रही है और यदि कर रही है तो किस कारण से और इसे कब तक कहां पर स्थापित करना चाहती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मन्त्री)—(क) जी हां।
(ख) जुलाई ५५ से।

(ग) हां, लेकिन सिर्फ तीन को उदयपुर भेजा है जिनके नाम इस प्रकार हैं :

(१) श्री चन्द्रप्रकाश त्रिवेदी, बोटोनी विशेषज्ञ होने से।

(२) श्रीमती कुसुम राठौर, अर्थशास्त्री।

(३) डाक्टर अमरसिंह राठौर, प्रिन्सिपल के लिए।

(ङ) वर्तमान अवस्था में शिक्षा कार्य गतवर्ष की भांति ही चल रहा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[श्री रामनिवास मिर्धा]

(ज) प्रश्न नहीं उठता ।

(झ) स्टाफ की कमी नहीं है और न इसको हटा कर दूसरी जगह पर रखने का विचार है ।

श्री भगवानसिंह तरंगी—अभी स्वीकार किया गया है कि ३ प्रोफेसरों का स्थानान्तर किया गया है, तो क्या उनकी पूर्ति कर दी गई है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी हां, तीनों की कर दी गई है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या श्रीमती राठौर और श्री राठौर एक दूसरे के सम्बन्धी हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी हां, श्रीमती राठौर श्री राठौर की पत्नी हैं ।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री मोतीचन्द खजांची ने दिनांक २१-११-५५ से सत्र के अन्तिम दिन तक विधान सभा की बैठक से अनुपस्थिति रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है ।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

भू-स्वामी आन्दोलनकार्य कर्ता ठा० मदनसिंह जी इत्यादि के कारावास में लेने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री भैरूंसिंहजी का एक स्थगन प्रस्ताव आया है जिसे पढ़कर सुनाता हूं ।

"इस सदन की कार्यवाही भूस्वमी संघ के सत्याग्रह के सम्बन्ध में ठा० मदनसिंह जी दांता व अन्य लोगों की अनुचित गिरफ्तारी से उत्पन्न गंभीर परिस्थिति पर विचार करने हेतु स्थगित की जावे ।"

मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त आवश्यक सार्वजनिक प्रश्न नहीं है इसलिए मैं इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता ।

कुं० श्री **जसवन्तसिंह**—क्या माननीय मंत्री जी इसके लिये स्टेटमेंट इश्यू करेंगे, जिससे हमें पता हो कि सरकार क्यों ऐसी बातें कर रही है, क्यों नहीं कर रही है। कृपा करके स्टेटमेंट दे दें तो पता लगे।

श्री **रामकिशोर व्यास** (गृह मंत्री)—इस स्टेज पर तो कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, बाद में अगर जरूरत हुई तो दूंगा।

कुं० श्री **जसवन्तसिंह**—कितने आदमी पकड़ने के बाद स्टेटमेंट देंगे ?

श्री **रामकिशोर व्यास**—यह परिस्थिति पर निर्भर करेगा।

श्री **भैरूसिंह**—यह हमारी आजादी का प्रश्न है। पी. डी. एक्ट (Preventive Detention Act) के अन्तर्गत गिरफ्तारियां हो रही हैं। आज दांता ठाकुर को गिरफ्तार किया तो कल दूसरों को भी इस तरह कर सकते हैं।

श्री **अध्यक्ष**—लॉ कोर्ट्स पड़े हैं।

श्री **भैरूसिंह**—पी. डी. ए. के अन्तर्गत गिरफ्तार करके हमारी आजादी छीनना चाहते हैं।

कुं० श्री **जसवन्तसिंह**—हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य श्री तनसिंह को तो गायब ही कर दिया है, कई दिनों से उनका पता ही नहीं है।

श्री **रामकिशोर व्यास**—आपने कहीं छिपा दिया होगा।

श्री गुरुदयालसिंह संधु की भूख हड़ताल सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव पर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

डॉ० श्री **मंगलसिंह**—अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूँ :

"That this House do discuss the breach of privilege committed by Shri Tikaram Paliwal in having intentionally mis-informed the House regarding the details of hunger strike and removal of Shri Gurdayal Singh."

श्री **अध्यक्ष**—Legislative Business Rajasthan Municipal Bill, 1954.

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५४
(अग्रेतर विचार-विमर्श)

श्री **जवानसिंह**—(जारी) अध्यक्ष महोदय, कल मैं अपने विचार इस सम्बन्ध में व्यक्त कर रहा था कि म्युनिसिपेलिटीज़ को कहां तक हमने विधेयक द्वारा अधिकार दिये हैं और कहां तक

[श्री जवानसिंह]

उनको हम स्वतंत्र बना सकते हैं। मैंने इस बिल में पाया कि जहां तक अधिकार देने चाहिये थे वे नहीं दिये गये और जहां तक अधिकार नहीं देने चाहिये थे वे दे दिये गये। जो अधिकार आवश्यक रूप से देने चाहिये थे उनके सम्बन्ध में मैं एक दो बातें निवेदन करना चाहता हूं; जैसे वे अधिकार हैं पॉवर हाउस को चलाने के, प्राइमरी एज्युकेशन आवश्यक रूप से चलाने के, इसी प्रकार जल की व्यवस्था आवश्यक रूप से करने के। जहां तक गरीबों का प्रश्न है और जो बेगर्स हम देखते हैं शहरों में इधर उधर घूमते हुए उनकी व्यवस्था करना, उनके लिए समुचित साधन उपलब्ध करना आदि इन बातों की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए था और जब यह कानून पास करना है तो इसमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये थी, ऐसी मेरी मान्यता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि इस विधेयक में इन बातों पर कतई विचार नहीं किया गया है। वैसे सिद्धान्त की बातें जब हम करते हैं तब सभी मानते हैं कि जहां तक प्राइमरी एज्युकेशन का सवाल है वह अनिवार्य रूप से होना चाहिए। किसी को यह मौका कहने का नहीं मिलना चाहिए कि सरकार की तरफ से या म्युनिसिपेलिटीज़ की तरफ से प्राइमरी एज्युकेशन की व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार जहां तक जल और बिजली का सवाल है वहां भी इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। वहां के आदमी जब इन कामों के लिए पैसा देने को तैयार हैं तो फिर सरकार या म्युनिसिपेलिटी क्यों नहीं व्यवस्था करे? वहां पर जल की व्यवस्था हो, बिजली की रोशनी का प्रबन्ध हो।

इसके अलावा एक दो बातें जो मैंने इस विधेयक में देखीं उनसे मुझे अन्दाज लगता है कि हमारी सरकार कोई निश्चित मत, कोई निश्चित धारणा नहीं बना सकी है। हम ग्राम पंचायतों में चेयरमैन का इलेक्शन कराते हैं, चुनाव कराते हैं तो इसका तरीका दूसरा होता है...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—We are discussing the report of the Select Committee and not the mis-deeds of the Government.

इसलिए गवर्नमेंट के लिए कुछ कहना, this is not the point here. Before the Select Committee the hon'ble member, being its member, has had the opportunity of discussing all these things.

श्री जवानसिंह—थोड़ा सा अगर समय देते तो मैं बताता ..

श्री अध्यक्ष Select Committee Members—they have got responsibility.

श्री जवानसिंह—With that responsibility, with the full realization of that responsibility I am speaking whatever I want to say in the light of my Note of Dissent.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस पोइन्ट पर तो माननीय अध्यक्ष, उनका कोई नोट ऑफ डीसेन्ट नहीं है। जो सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर हैं वे ही इसको इस तरह क्रिटिसाइज़ करेंगे तो...

श्री जवानसिंह—They are entitled to the extent they have put it in the Note of Dissent.

श्री चन्दनमल वैद—अब इन्होंने अपने विचार बदल दिये हैं।

श्री जवानसिंह—कम से कम विचार व्यक्त करने का तो मौका होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—There will be so many others.

श्री गोपीलाल यादव—यह कहिये कि मुझसे गलती हो गई सिलेक्ट कमेटी में।

श्री जवानसिंह—यह तो आप कहें।

तो आवश्यक बातों पर हमें विचार करना चाहिये था। धारा ४५ में मैंने अपने नोट ऑफ डीसेन्ट में इन बातों का जिक्र किया है, उसी तरह धारा ४७ के बारे में कह रहा हूं। हमें इस तरह की निश्चित धारणा बना लेनी चाहिए। यहां इलेक्शन करवा रहे हैं तो कम से कम इलेक्टेड बोर्डीज़ में से एक ही तरीका अपनाइये। पर अगर हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि चेयरमैन का इलेक्शन उस बोडी से कराना चाहिए या डाइरेक्ट होना चाहिए तो इस कन्फ्यूज़न को हमें साफ कर देना चाहिये।

इस तरह की कई बातें मैंने बिल में देखी हैं, जिस प्रकार की सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट की है और उनमें जैसा कि पहले कहा गया है मैं उसी चीज पर जोर देता हूं कि ऐसे शहर हैं जहां म्युनिसिपेलिटीज़ हैं, पर न वहां सिविल कोर्ट्स हैं और न क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, वहां इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि म्युनिसिपेलिटी को इस प्रकार के अधिकार दिये जायं जिस प्रकार कि ग्राम पंचायतों को दिये हैं कि वे अपने मुकद्दमों को सुनें।

मेरा विश्वास है कि इन सब बातों को लेकर इस बिल में इन बातों की समुचित रूप से व्यवस्था की जायगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, सिलेक्ट कमेटी से इस बिल पर जो रिपोर्ट पेश हुई है उस पर सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की है। इसमें मुख्य जो आपत्ति की है वह यह है कि दफा ४५ के अनुसार इसमें जो कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को मेम्बर्स के हटाने का अधिकार दिया है और उन्हें सस्पेन्ड करने का अधिकार दिया है, यह उचित नहीं है।

दूसरी आपत्ति यह की गई है कि दफा ६९ में महतरों के सम्बन्ध में उनको एक महीने का नोटिस देने के बाद ही काम छोड़ कर जाना चाहिये, बिना नोटिस दिये छोड़ जाते हैं तो उनका चालान होना चाहिये, इसका माननीय सदस्यों ने एतराज जाहिर किया है और कुछ सदस्यों ने यह

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

राय जाहिर की है कि यह बिल डेमोक्रेटिक नहीं है और इसे ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाने के लिये वापिस सिलेक्ट कमेटी को भेज देना चाहिये।

मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी के सभी मेम्बर्स ने यूनोनिमस राय रखी है और कोई भी प्रोविजन इस बिल में ऐसा नहीं है कि जिसे अनडेमोक्रेटिक कहा जा सके या जिसको अभी मौजूदा हालत में है उससे ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जा सके। हिन्दुस्थान में कई जगह अभी भी इस प्रकार के कानून हैं कि वहां पर नामजद सदस्य रखे जाते हैं और इसी लाइन में काम करते आते हैं। बोम्बे और यू. पी. में नामजदगी का प्रोविजन था, उसको हटा कर कॉर्पोरेशन का प्रोविजन रखा था, पर हमने नामजदगी का प्रोविजन हटा कर एक रिज़र्व सीट शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये दी है। कुछ माननीय सदस्यों ने एतराज किया कि महिलाओं के लिये रिज़र्व सीट नहीं रखी, पर मैं समझता हूं कि महिलाओं का समान स्थान है इसलिये अलग नहीं रखना चाहिये। तो पहले कानून में नामजदगी मौजूद थी, उसको सिलेक्ट कमेटी ने कहा कि नहीं रहनी चाहिये और इस नामजदगी के प्रोविजन को सिलेक्ट कमेटी ने खत्म कर दिया।

अब सब से बड़ी बात थी वह यह बात थी कि गवर्नमेंट के और म्युनिसिपैलिटी के किस प्रकार के सम्बन्ध रहें। आया सरकार को इस प्रकार के अधिकार हों कि नहीं कि वह एग्ज़ीक्युटिव ऑफीसर मुकर्रर कर सके, अगर कोई अपने पॉवर मिसयूज़ करे तो प्रेसीडेन्ट या किसी मेंबर के खिलाफ कार्यवाही कर सके, या किसी म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड कर सके।

माननीय अध्यक्ष, मैं नम्रता के साथ अर्ज करूंगा कि मैं खुद इसके पक्ष में नहीं हूं कि सरकार हस्तक्षेप करे। गवर्नमेंट के जितने पॉवर्स रखे थे वे सिलेक्ट कमेटी ने तब्दील करके कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को दे दिये, अपील सुनने के अधिकार, मेम्बर्स के साथ कार्यवाही करने के अधिकार और जहां तक और जो अधिकार थे, जहां तक हो सके गवर्नमेंट की बजाय कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को दे दिये सिलेक्ट कमेटी ने और अब भी मैं अर्ज करूंगा कि इन मामलों में मैं ज्यादा डेमोक्रेट हूं और अगर कोई भी अनडेमोक्रेटिक बात यहां बताई जायगी तो उसे दूर करने में इन्कार नहीं करूंगा। पर सदन से मैं यह निवेदन जरूर करूंगा कि गवर्नमेंट या कमिश्नर या कलेक्टर किसी को ये अधिकार नहीं देने के पहले यह विचार कर लें कि हमारे यहां म्युनिसिपैलिटीज़ की अभी ऐसी हालत नहीं है। मेरे खुद के थोड़े दिनों के तजुर्बे से मुझे खुशी नहीं हुई है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जिस समय हमारे यहां ब्रिटिश शासन था तो उस समय गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटीज़ के झगड़े हो जाते थे और हम लोग इस बात की कोशिश करते थे कि म्युनिसिपैलिटीज़ को पूरे अधिकार दें लेकिन जब से आजादी मिली है और सब जगह डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स कायम हुए हैं तो अब यह होना चाहिये कि गवर्नमेंट और पंचायतों का तथा म्युनिसिपैलिटीज़ का किस प्रकार का सम्पर्क होगा और गवर्नमेंट को इस सम्बन्ध में कोई पॉवर होंगे या नहीं होंगे, यह सोचने की बात है। अब म्युनिसिपैलिटीज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम कर रही हैं। अब वे

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

पहले की तरह सिर्फ सफाई का इन्तजाम नहीं करती हैं। अब खास तौर से सोश्यलिस्टिक पेटर्न के काम, प्रथम पंच वर्षीय योजना के काम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काम करने हैं। इसमें गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों का सहयोग होना चाहिये। गवर्नमेंट ने म्युनिसिपैलिटी को लोन दिये हैं ताकि उनका काम अच्छी तरह से चल सके और पब्लिक युटिलिटी के काम हो सकें। इसलिये यदि गवर्नमेंट और पब्लिक का आपस में सहयोग नहीं रहा तो पब्लिक युटिलिटी के काम सरकार नहीं कर सकेगी। अब इसके साथ साथ सरकार को काम की एफिशियेन्सी पर भी ध्यान देना पड़ेगा और इसके लिये सरकार को अच्छे अच्छे ऑफिसरों को एपोइन्ट करना पड़ेगा और उनके लिये प्रोविजन हमें प्रोवाइड करना होगा। इसलिए म्युनिसिपैलिटी के कानून बनाते समय हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिये। इस संबन्ध में मैं मथाई कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने इस संबन्ध में एक बहुत अच्छा चेप्टर लिखा है और बताया है कि इस संबन्ध में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। जो बातें उन्होंने लिखी हैं उनको पढ़ कर सदन का समय नहीं लेना चाहता लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि उसने यह लिखा है कि बगैर अच्छे स्टाफ के काम की एफिशियेन्सी अच्छी नहीं हो सकती हैं। डेमोक्रेसी को कामयाब बनाने के लिये मैं समझता हूं कि यदि जितने काम वेलफेअर स्टेट के हैं और उसके लिये काम करने हैं उन सारी बातों को म्युनिसिपैलिटी पर छोड़ देगें तो हमारे ये सारे काम एफिशिएन्टली नहीं हो सकेंगे।

सिलेक्ट कमेटी ने एपोइन्टमेंट का अधिकार गवर्नमेंट को दिया। अभी इस संबन्ध में मैंने जो बातें कही हैं उन सब पर आप गंभीरता पूर्वक विचार करें, महज इस ख्याल से कि जब सरकार को अधिकार मिल जावेगा तो म्युनिसिपेलिटी के अधिकार का अपहरण हो जावेगा और वह म्युनिसिपेल्टी के अधिकार का अपहरण किया जा रहा है। इस प्रकार की भावना पर नहीं चलना चाहिये। इसलिये मैं यह निवेदन करुंगा कि आप इस पर विचार करें।

एक बात महतरों को सजा आदि के प्रोविजन के बारे में कही गई है। अगर कोई हरिजन नौकरी छोड़ना चाहे तो उसे एक महीने का नोटिस अवश्य देना चाहिये। यदि म्युनिसिपेलिटी उनको निकालना चाहे तो उनको एक महिने का नोटिस दे या उनको एक महीने की तनख्वाह दे। अगर बगैर नोटिस के कोई महतर छोड़ना चाहे तो उसका चालान किया जा सकता है और जुर्माने की सजा और एक महिने की जेल हो सकती है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रोविजन १६५० में एमेन्ड करके दो महीने की रखी थी क्योंकि बहुत सी जगह हड़तालों की कार्यवाही होती है तो बहुत दिक्कत पड़ती है। इसलिये यह कहना पड़ता है कि शहर के सारे म्युनिसिपेलटी के महतर इक्कठे होकर शहर की सफाई बन्द न करदें। अगर जयपुर शहर के सारे महतर इकट्ठे होकर हड़ताल कर दें तो इसमें कुछ दिक्कत आवेगी। इसलिये इसको रोकने के लिये यह प्रोविजन रखा है। मैं खुद इससे सहमत नहीं हूं कि

Page No.49

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

ऐसा हो लेकिन फिर भी इस प्रकार करना ही पड़ता है, परिस्थितियों के कारण । अगर फिर भी सदन चाहे तो इस पर पुनः विचार हो सकता है। इसके बारे में मैं कोई हार्ड एन्ड फास्ट नहीं हूँ।

इसके बाद डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपेल्टीज़ को अलग अलग अधिकारों की बात हमारे यहां पर विचार के लिये हमारे सामने आई। यह कहा जाता है कि सिटी म्युनिसिपेल्टी को उनको विशेष अधिकार हैं और बहुत से लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उनको अधिकार बराबर दिये जावें। मैं यह निवेदन करूंगा कि ५००० की आबादी से ज्यादा के सभी कस्बों को बराबर अधिकार दिये गये हैं जो छोटी म्युनिसिपेल्टी को दिये हैं। मैं समझता हूं कि जो इस संबन्ध में किया गया है वह अनुचित नहीं। यह मैं मान कर चलता हूं।

कुछ लोग कोरपोरेशन के बारे में कह रहे हैं। कोरपोरेशन एक बहुत बड़ी चीज है। पहले सारे हिन्दुस्थान में तीन म्युनिसिपल कोर्पोरेशन थे; बंबई, कलकत्ता और मद्रास और अब कुल १० कोर्पोरेशन हिन्दुस्तान भर में हैं। अगर माननीय सदस्य यह चाहें कि केवल नाम बदल दिया जावे तो इससे कोई लाभ नहीं होगा।

इसके बाद टेक्सेशन के बारे में यह बात कही गई कि राजाओं को और उनकी प्रोपर्टीज़ को टैक्स से मुक्त रखा गया है। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि अन्य कर तो उनसे लिये हैं, सिर्फ प्रोपर्टी के ही कर नहीं लिये हैं और इसके लिये हमने इसलिये यह व्यवस्था की है कि जिन्होंने अपना राज छोड़ा और कौवेनेन्ट में उस समय जो बातें दर्ज हैं वे कानून बनाते समय अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये। उन लोगों ने जो सेक्रीफाईज़ किया है उनको इतने थोड़े से दिनों बाद भुलादें, भारत सरकार ने उनको जो आश्वासन दिया था उनको हम भुला दें और जिन्होंने अपना राज्य छोड़ा उसके कारण उनको कुछ विशेष सुविधाएं मिली हैं उनको भी हम न दें और उन पर टैक्स लगादें, यह तो मैं कहूंगा कि ठीक नहीं होगा। टैक्स के बारे में मथाई समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसमें इस बात का एतराज किया गया है कि बहुत से टैक्स गवर्नमेंट खुद वसूल करती है। हम यह चाहते हैं कि म्युनिसिपेलटीज़ टैक्स लगावे, जो नहीं लगाती हैं।

टैक्स के मामलों में हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये क्योंकि म्युनिसिपेल्टीज़ की हालत बहुत खराब है। गवर्नमेंट के पास जो कुछ उनको देने को था वह उसने उनको दे दिया। उनको जमीन को बेचने का हक दिया है। फिर भी जयपुर और जोधपुर की म्युनिसिपेल्टीज़ को मालूम है कि उनकी हालत कितनी खराब है। इसलिये आयन्दा में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि म्युनिसिपेल्टीज़ के खर्चे के लिये टैक्स से रुपया वसूल करें और अपने घाटे को पूरा करें। यह बात नहीं होनी चाहिये कि वह लोन ले कर अपने घाटे की पूर्ति करें।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

मैंने म्युनिसिपेलीटीज़ से कह दिया है कि जो म्युनिसिपेलिटीज़ टेक्सेज़ नहीं लगावेंगीं उनको हम बाद में लोन या एड नहीं देंगे।

श्री चन्दनमल वैद—टेक्सेज़ लगावेंगी तो आप उनको कैन्सल कर देंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चुनी हुई म्युनिसिपेलिटीज़ वह करेंगी तो उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा।

श्री चन्दनमल वैद—चुनी हुई म्युनिसिपेलिटीज़ ने टेक्सेज़ लगाये और उनको कैन्सल कर दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे ध्यान में ऐसा नहीं है। मेरे ध्यान में है कि कई म्युनिसिपेलिटीज़ ने टेक्स नहीं लगाया। उनको एड दी गई, लोन दिया गया।

श्री चन्दनमल वैद—मेरे ध्यान में यह है कि म्युनिसिपेलिटी ने टेक्स लगाया तो उसको कैंसल कर दिया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—तो मैं निवेदन कर रहा था कि अब तक इस बात की व्यवस्था की गई है कि शहरों के रहने वालों के लिये सड़कें, बिजली और पानी की व्यवस्था की जाय तो उनके लिए गांवों से पैसा लेकर लगाया जाता है वह क्यों लगाया जाय? इस जनतन्त्र में यह बात नहीं चलने वाली है।

(विरोधी पक्ष द्वारा "हियर, हियर")

इसीलिए टेक्सेज़ का प्रोविज़न किया है। गवर्नमेंट स्पष्ट मानती है कि जो म्युनिसिपेलिटीज़ टेक्सेज़ नहीं लगायेंगी उनको कोई पैसा नहीं दिया जायगा। इस बारे में हिदायत जारी कर दी गई है। म्युनिसिपेलिटीज़ का कानून बन रहा है उसमें यह सारी व्यवस्था कर दी जानी चाहिए।

मैं समझता हूँ कि जैसा कि यह बिल सदन के सामने है बहुत डेमोक्रेटिक है। इसमें गवर्नमेंट को बहुत सारे पॉवर्स हैं और पावर्स गवर्नमेंट के पास रहने भी चाहिए क्योंकि इनके बिना वह बात चलने वाली नहीं है। अगर सदन को कोई एतराज हो तो मैं नहीं समझ सका कि इसमें क्या एतराज होना चाहिए। यह तो एक छोटी सी बात थी, गवर्नमेंट को इनको रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि एतराज है तो फिर म्युनिसिपेलिटीज़ की यदि हालत खराब है तो फिर सरकार के पास उसकी शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर सदन यह कहे कि (अश्रव्य) उनको पूरा फायदा उठाना चाहिए, गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन जो प्रोग्रेस है, लोन देने की जो बात करते हैं, उनको बहुत तरह की सुविधायें देने की बात करते हैं, मिसमैनेजमेंट की बात करते हैं, मैं उनसे बहुत नम्रता

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

पूर्वक निवेदन करूंगा कि तो फिर कोई गवर्नमेंट उनको एड देने वाली नहीं और न ही लोन देने वाली है।

ये सारे इसके पहलू हैं, इसके सारे कान्सिक्वेन्सेज़ हैं। इस पर यदि सोच समझ कर कोई आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं। वैसे यह बिल बहुत डेमोक्रेटिक है।

श्री **संतोषसिंह कछवाहा**—हिन्दी अनुवाद कब तक आ जायगा ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—तैयार हो रहा है।

श्री **संतोषसिंह**—कब तक तैयार हो जायगा ?

श्री **अध्यक्ष**—तैयार हो रहा है।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—माननीय अध्यक्ष, दो-तीन दिनों से सदन इस बात पर विचार कर रहा है कि यह बिल जिस रूप में सिलेक्ट कमेटी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वैसे ही क्लॉज़ बाई क्लॉज़ विचार किया जाय अथवा फिर से दुबारा ज्यादा गम्भीरता से इस पर जांच करने के लिए उसी सिलेक्ट कमेटी को या दूसरी सिलेक्ट कमेटी को कुछ आदेश देकर यह बिल सदन में प्रस्तुत किया जाय। पक्ष और विपक्ष में काफी बातें इस सदन में काफी कहा जा चुकी है और मैं बड़ी उम्मीद से और आशा से मंत्री महोदय की बात सुनने के लिए बैठा था। मुझे कुबूल करना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, कि इस बिल के स्वरूप को देने से जितना मुझे डिसअपोइन्टमेन्ट हुआ उससे कहीं ज्यादा आज उनकी बातें सुनकर हुआ।

(हंसी)

जो सबसे बड़ी दलील यहां दी गई कि हमने इस बिल को डेमोक्रेटिक बना दिया है, जो सबसे बड़ा तर्क उसके पक्ष में दिया गया वह यह था कि दूसरे दूसरे राज्यों में और अपने राज्य में भी आज जैसी स्थिति है उसके मुताबिक सदस्यों को नामजद करने की व्यवस्था है। हमने नामजदगी के अप्रजातान्त्रिक व्यवस्था का खात्मा कर दिया और इस प्रकार यह बिल ज्यादा प्रजातान्त्रिक बन गया। एक कहावत है अध्यक्ष महोदय, कि "In an effort to escape from the frying-pan, fall into the fire." समय पर किसी तकलीफ से बचने की कोशिश में आग में जाकर गिर जाय।

तो हमने इस बिल में यह तो जरूर किया कि एक या दो व्यक्ति जिनको नामजद करने के गलत अधिकार आज तक राज्य सरकार को दिया हुआ था वह गलत अधिकार तो रद्द कर दिया

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लेकिन एक-दो की नामजदगी का अधिकार रद्द करने के साथ साथ सारे के सारे बोर्ड का स्टेटस, नामजद बोर्ड के स्टेटस के नजदीक लाकर रख दिया। एक दो की नामजदगी ने सारे के लिए यह स्थिति पैदा कर दी है।

यदि नोमिनेशन का अधिकार भी राज्य सरकार को देना अप्रजातान्त्रिक है तो फिर मिस्कन्डक्ट के लिए किसी सदस्य को हटाने का अधिकार कब से प्रजातान्त्रिक बनने लगा? जब तक जांच हो तब तक उस सदस्य को सस्पेन्ड करने का अधिकार कब से प्रजातान्त्रिक बनने लगा? अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ परसों के दिन कि इधर बैठने वाले माननीय सदस्य जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, कहने लगे कि आज कल म्युनिसिपेलिटीज़ की जो हालत है और उसमें जिस प्रकार आप और हम देखते हैं करेक्टर अथवा यह समझ लीजिये कि स्टेन्डर्ड है, तो इसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें रखनी पड़ेगी। मुझे क्षमा करें वो। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर करेक्टर और स्टेन्डर्ड का तखमीना लगाना पड़े, अगर राजस्थान सरकार के अधिकारी, कलेक्टर और कमीश्नर का तखमीना लगाना पड़े तो शायद इतना संतोष नहीं होने वाला है जितना कि होना चाहिए और राजस्थान सरकार के मंत्री महोदयों के स्टेन्डर्ड का तखमीना लगाना पड़े तो इतना संतोष नहीं होने वाला है जितना कि होना चाहिए।

(हंसी)

तो फिर म्युनिसिपेलिटीज़ के सदस्यों ने ऐसा क्या कर लिया है कि हम उनके लिए ऐसा प्रोविजन रखें कि उनको कलेक्टर और कमीश्नर हटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट खुली पड़ी है।

श्री गोपीलाल यादव—उन्होंने कहा कि आप चैन्ज करा लीजिये, अमेन्डमेन्ट लाइये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसा है कि एक, दो, तीन, चार चीजें हों जिनकी बिना पर मैंने यह प्रस्ताव किया हो तो यह बात वाजिब है और सही है कि चेन्ज कराया जाय लेकिन जब उसके मुख्य अंग के अन्दर ही इस प्रकार की चीजों से मतभेद है सदन में तो उसको वापिस ठीक किया जाय। वैसे बगैर सिलेक्ट कमेटी में ही जाये इसको सदन रिकोंस्टिट्यूट कर सकता है।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि यदि कोई प्रश्न यहां हल करना है, बहुत तात्विक प्रश्न है, गंभीरता से हल करना है तो इस स्टेन्डर्ड से और इस परेशानी से बचने के लिए, यदि ज्यादा प्रजातान्त्रिक बनानी है तो फिर राइट ऑफ रिकॉल दीजिये, जिन लोगों ने चुन कर भेजा उनको ही वापिस बुलाने का अधिकार दीजिये। वही है एक इलाज जो प्रजातान्त्रिक है, स्टेन्डर्ड का इलाज है और गड़बड़ का भी इलाज है।

Page No.53

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लेकिन राइट ऑफ रिकाल देने में हमको हिचकिचाहट क्यों है ? अगर आप यह अधिकार नहीं देते हैं, आपके नागरिक अधिकार देने से इलाज होने वाला नहीं । राइट ऑफ रिकाल का प्रश्न सिलेक्ट कमेटी के सामने आया या नहीं आया और आया तो उसने क्या व्यू लिया, यह मुझे पता नहीं औरमैं नहीं कह सकता कि उसका क्या हुआ । लेकिन जहां तक इसका तात्विक संबन्ध है इसका संबन्ध सिद्धान्ततः सारे क्लॉज़ेज़ से है, इसी वजह से इसके पुनर्विचार की आवश्यकता है । लेकिन जो कुछ कहा गया यह कह करके कि हमने इसको ज्यादा प्रजातांत्रिक बनाया है वैसे ही लागू कर दिया जाय, यह दलील सही नहीं है ।

एक बात और कही गई कि पुराने जमाने में अंग्रेजों और राजाओं के जमाने में हम लड़ते थे, हममें मतभेद थे लेकिन आजादी के बाद आजादी के जमाने में ऐसी स्थिति नहीं । मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा समय सदन का न लेते हुए इतना ही अर्ज करूंगा कि सन् १९५३ में जब अलवर म्युनिसिपैलिटी ने एडीशन ऑफ टेक्सेज़ के सिलसिले में राजस्थान सरकार से जो पत्र-व्यवहार किया, अधिकारों के बारे में जो मतभेद था वह तो पोस्ट इन्डीपेन्डेन्स यानी आजादी के बाद का जमाना था । मेरे माननीय मित्र अलवर म्युनिसिपैल कमेटी के सभापति थे, उन्होंने स्वयं ने, जो आज स्वायत्त शासन मंत्री हैं, जो स्टेंड पोइन्ट लिया वह आजादी के बाद लिया हुआ कदम है, वह ठीक है उससे विचलने की आवश्यकता नहीं । तो मेरा यह निवेदन है कि प्री इन्डीपेन्डेन्स और पोस्ट इन्डीपेन्डेन्स में तो फर्क पड़ना चाहिये । वे जिस चीज के लिये लड़े थे उसके मुकाबले कुछ ज्यादा लागू करें बनिस्बत इसके कि कम करने की कोशिश करें ।

अभी अभी इस सिलसिले में सदन के सामने मथाई टेक्सेशन इन्क्वायरी कमिशन का उल्लेख किया गया । मुझे अफसोस इस बात का रह गया कि माननीय मंत्री महोदय ने वह रिपोर्ट तो हाथ में उठाई लेकिन उसके एक पोर्शन को भी कोट वे नहीं कर सके, न उन्होंने उल्लेख ही किया । कौनसी रिपोर्ट से उनका तात्पर्य है ? मेरा ऐसा खयाल है कि जिस प्रकार का उल्लेख इस रिपोर्ट का किया गया वह एक्चुअली इनकरेक्ट और मिस लिडिंग हैं । मथाई कमीशन की रिपोर्ट को लेकर मैं कह सकता हूं कि जहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट की सर्विसेज के बारे का जिक्र किया गया है उसमें केवल यह शब्द प्रयोग में लाये गये हैं :

"for improving the standards of administration in local bodies there is a very good case for separating as far as possible their purely executive functions etc etc" मथाई कमीशन की यह राय थी कि पोलिसी मेकिंग के कार्य, रोजमर्रा के एक्जीक्यूटिव के कार्य, इन दोनों का तसफिया करके रोजमर्रा के एक्जीक्यूटिव कार्य अधिकारियों के हाथ में सौंपने चाहिये । आगे स्टेंडिंग क्या रहेगा इसके दूसरे अंग में कहा गया है: "Responsibility must be vested in a single individual who would be answerable directly to the municipality." 'directly answerable to the municipality' मथाई कमीशन की यह राय है ।

Page No.54

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

पट्टे का मामला हो, बिल्डिंग का मामला हो, बिल्डिंग की इजाजत का मामला हो, तो इस प्रकार के मामलों का फैसला करने का जिम्मा नीति सम्बन्धी म्युनिसिपल कमेटी करे और रोजमर्रा के हुक्म निकालने का काम अटेचमेंट ऑफिसर करें।

मथाई कमीशन की रिपोर्ट में कहां यह कहा गया कि ये अधिकार भी सरकार को दे दिये जायं disbursal of functions न किया जायं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मथाई कमीशन की रिपोर्ट के पेज नं० ३७१ पर यह है: The original report part three: " The Local Self Government Ministers Conference held in New Delhi in the year 1948, was of the view that the technical staff should be recruited to the State cadre. We are in agreement with this view." It is very clear here. If you read the report you will find it.

श्री हरिकृष्ण व्यास— I am very much thankful to the hon'ble members for now having referred to the Report. We are suffering from suppressio veri and suggestio falsi.

यह सही है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट मिनिस्टर्स के कॉन्फ्रेन्स में इस प्रकार की सिफारिश की थी लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने इस सेन्टेन्स को पूरा नहीं किया;

" we accordingly recommend firstly that all municipalities should have chief executive officers in whom the executive powers and administrative responsibilities should vest by statutory provision and secondly that the chief executive officer should be selected and appointed by the Government or by an independent statutory board.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह आप कौन से पेज से पढ़ रहे है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—(जारी रखते हुए) जिस पेज का उल्लेख आपने किया उसी पेज से पढ़ रहा हूं — My hon'ble friend is only quoting the further quotation.

श्री अध्यक्ष—Come to the relevant point.

श्री हरिकृष्ण व्यास—(जारी रखते हुये) माननीय अध्यक्ष, लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स के डिसीजन का माननीय मंत्री ने जिक्र किया किन्तु कमीशन ने इस कोटेशन का

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जिक्र किया जिस समय इस क्वेश्चन को कमीशन ने एग्जामिन किया उसको कोट करना आवश्यक हैं। मैं आपके सामने कमीशन की राय को कोट कर रहा हूं और आपने कान्फ्रेन्स के डिसीजन का कोटेशन दिया। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मथाई कमीशन का नाम लेकर इस प्रकार की बातें कही गईं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—The Commission says, "We are in agreement with the views of the Local Self Gevernment Conference." वह मैंने पढ़ा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप जो कोट कर रहे हैं ऊपर का पेरेग्राफ वह कमीशन का व्यू नहीं है, आप उसकी रिकमन्डेशन कोट करिये ना।

श्री बद्रीप्रसाद—आप कहें तो फिर मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष — Only those points which the hon'ble Minister has touched, they should be replied. The hon'ble member has already taken one hour and now I do'nt want that he shoud take more time.

श्री हरिकृष्ण व्यास — I do'nt intend to take more time but when particular references are quoted here...

श्री अध्यक्ष—The hon'ble Minister did not quote anything, He only referred.

श्री हरिकृष्ण व्यास I therefore, said that his eferences were not correct. The Local Self Government Ministers Conference held in New Delhi in the year 1948, was of the view that all higher executive and technical staff should be recruited to the State cadre. We are in agreement with this view. That is only in respect of the recruitment on a State wide besis of technical cadre but immediately after that the next paragraph is—

" We are of the opinion that the division or disbursal of responsibility should be like this.........and responsibility must be vested in a single individual who should be answerable to the municipality. "

My grievance is—why should this not be quoted when he quoted that,

इतना ही मैं इस सिलसिले में अर्ज करके, मैं यह कहना चाहता हूँ, मथाई कमीशन का यदि जिक्र करना था तो वे कर सकते थे, टेक्सेशन के बारे में गौर करते और उसके माफिक लागू

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

करने की कोशिश करते तो हम यह समझते कि आप मथाई कमीशन की रिपोर्ट को मान देते हैं। मथाई कमीशन ने ऑक्ट्रोय के सिलसिले में जो राय व्यक्त की, डिसीजन में जो लगातार शब्दों का प्रयोग किया जहां तक संभव हो इनको रद्द करने का विचार व्यक्त किया तो भविष्य में कमसे कम इसे कम करने का तो प्रयत्न किया ही जाय। पहले तो आप क्वोट कर गये और अब क्वोट करना नहीं चाहते, इसका इलाज इस बिल में होता तो यह बात हमारे समझ में आने वाली होती कि आपका मथाई कमीशन के प्रति रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड है।

तीसरी चीज जिससे मेरा सख्त मतभेद है उस संबन्ध में पोलिसी स्टेटमेंट माननीय मंत्री महोदय ने किया इसलिये मैं यह चाहता हूँ कि इसका भी स्पष्टतया उल्लेख करके सदन के सामने इस बात का आदर्श पेश करें जो पोलिसी स्टेटमेंट किया गया उसका जड़ोन्मूल कारण इस बिल के फंक्शन्स के बारे में है। अभी अभी अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि हम कभी यह नहीं चाहते कि बड़े बड़े शहर, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अलवर हैं, इन शहरों के लोगों की सुविधा के लिये वहां के लोग तो टेक्स न दें, गांव से पैसा लेकर वह खर्च किया जाय यह कभी नहीं होने वाला है। मैं भी पूरी तरह से इस राय में एकमत हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये, न होने की आवश्यकता है, न वाजिब है और न होना भी चाहिये। लेकिन कम से कम यह भी नहीं होना चाहिये कि नाम तो गांव वालों का लिया जाय और खर्चा दूसरों पर किया जाय। शहर के लोगों से जो पैसा लिया जाता है वह भी दूसरों के प्रभुत्व के लिये खर्च किया जाय, यह भी नहीं होना चाहिये। जहां हम गांव वालों के पैसे को शहर के लोगों की सुविधा के लिये खर्च करने के हामी नहीं वहां यह नहीं हो सकता कि चन्द लोगों को ऐसी सुविधा मिले जिससे म्युनिसिपैलिटी को आर्थिक नुकसान हो। शहर के लोगों, से जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के लोगों से पानी की रेट्स के रूप में आप पैसा वसूल करते हैं। आपने कोवेनेन्ट में कुछ वादे किये होंगे, राजाओं के राज के सिलसिले में; लेकिन शहर के लोगों से कोवेनेन्ट में कुछ नहीं। आज इन जगह के नरेशों को मुफ्त में आप पानी सप्लाई करते हैं जिससे लाखों रुपया का डेफीसिट हमारे यहां चलता आ रहा है।

(घण्टी बजने के कारण)

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत मेटीरियल पोइन्ट है।

श्री अध्यक्ष—जब वह सैक्शन आवे तब कहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो नीति से सम्बन्धित है सरकार की।

श्री अध्यक्ष—यह क्लियर कर दिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्लियर किया यह सही है पर......

श्री अध्यक्ष—When the relevant clause comes you can have your say. There is no occasion here.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The point is that this will have to be explained because in so many aspects......

श्री अध्यक्ष—But no occasion for this at present.

श्री हरिकृष्ण व्यास—लेकिन उन्होंने कहा तो है इस सिलसिले में...

श्री अध्यक्ष—That is an unequivocal language.

कु० श्री जसवन्तसिंह—which ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I use equally clear cut language.

श्री अध्यक्ष—He is mis-using that occasion.

श्री हरिकृष्ण व्यास—If the State Government is very anxious to honour the commitments, which to my mind are absolutely no commitments they must shell out their own coffers but not try to sponge upon the resources of the municipalities, that is my contention. इसलिये मैं अर्ज कर रहा था कि यह ठीक है कि आप कहेंगे, कहीं से पैसा लाकर यहां नहीं खर्च करने देंगे; लेकिन आपने अगर रियायत देने का मन में फैसला कर लिया है, चाहे वाजिब हो या गैर वाजिब हो तो राज्य सरकार के खजाने से देने की कोशिश करें। इसका कोई दूसरा निर्णय करेंगे या नहीं करेंगे ? फिर म्यूनिसिपल कमेटी पर इस प्रकार का बोझा क्यों ? बिजली से लगातार घाटा होता है.......

श्री अध्यक्ष—You are introducing new matters. I don't want them to be introduced in reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It was said, Sir.

श्री अध्यक्ष—In reply you cannot introduce a new matter.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am not introducing a new matter. My contention is that the State Government is not giving municipal revenues to the municipalities and that is why the entire deficit in the municipal finances.

कु० श्री जसवन्तसिंह—एक स्पष्टीकरण मैं चाहता हूँ एक मिनट के लिये।

श्री अध्यक्ष—These are explainations which will tend to extend the debate. Now the hon'ble member will conclude.

कु० श्री जसवन्तसिंह—पोइन्ट समझ में नहीं आया। वह पोइन्ट यह है कि आपने राजाओं के लिए तो इतना रोष प्रकट किया, जब कि उनके पास कोई कुछ नहीं रह गया है, पर रूस के नेता एक दिन के लिये आये थे उनमें राजस्थान सरकार ने कोई छोटी रकम खर्च नहीं की है। सुनते हैं पांच लाख रुपया जनता का इसमें साफ हो गया। मैं पूछता हूँ उनको कि इसके लिए अफसोस है या नहीं है।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, इसके लिए भी मौका...

श्री अध्यक्ष—No occasion for reply. Let the question stand.

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक कहे जाय और मुझे उसका जवाब देने का मौका नहीं दिया जावे।

(हंसी)

श्री गोपीलाल यादव—इसका मौका भी माननीय सदस्य को आवेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तब मैं भी यह कहता हूं कि आप भी तसल्ली रक्खें, इसका मौजू जवाब आपको मिलेगा। (हंसी)

श्री गोपीलाल यादव—क्या करियेगा, इसका समर्थन करियेगा ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसका समर्थन करूंगा या न करूंगा, यह जानने के लिए उतावलेपन की जरूरत नहीं है और अगर इस वक्त सुनना चाहें आप इसका जवाब और माननीय अध्यक्ष, अगर इसके लिए भी समय दें तो अभी जवाब ले लें आप। मुझे कोई परेशानी नहीं है।

तो मैं इस विषय पर···

(इसी बीच श्री अवनिकुमार मुकर्जी द्वारा वक्ता महोदय, श्री हरिकृष्ण व्यास, के सामने से सदन में निकलने पर)

श्री अध्यक्ष—इस तरह से क्रोस नहीं करें।

श्री अवनिकुमार—I am sorry.

श्री अध्यक्ष—I have seen members crossing. when one hon'ble member is speaking other members should not cross. This is a contempt of the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास--(जारी)मैं यह निवेदन करना चाहता था माननीय अध्यक्ष महोदय, कि म्युनिसिपल रेवेन्यूज़ के बारे में उनको पूरी तरह से देने के सम्बन्ध में कोई प्रोवीजन इस पूरे के पूरे बिल में नहीं है। ऐसी सूरत में यह कह दिया जाना कि पूरे पूरे अधिकार दिये है सही नहीं है, जमीन के बारे में अलबत्ता दे दिये हैं। पर उस जमीन के सम्बन्ध में दिये गये अधिकारों में थोड़ा सा अड़ंगा जरूर है जिसका नाम अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड है और वे अधिकार अब भी दिये नहीं गये हैं; कहीं कहीं डेवलपमेंट के नाम पर। इस डेवलपमेंट के नाम पर जो जो जमीन बेची जाती है उसका रुपया नहीं दिया गया है पर बाकी के अख्तियार दे दिये गये हैं। फिर जमीन के अलावा कोई रेवेन्यू के अधिकार दे दिये गये हैं, यह कहना गलत होगा।

जितनी रेंट्स हैं; वाटर रेंटस इलेक्ट्रिसिटी रेंट या और कोई दूसरा रेंट है, इस सब के अधिकारों में से एक भी अधिकार नहीं दिया है और मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर अर्ज करूं १९५२-५३ के एन्युअल फाइनेन्शियल ईयर में जोधपुर वाटर वर्क्स के ऑडिटेड स्टेटमेंट जो कि यहां सदन में भी पेश हो चुका है, के अनुसार उसे २४० लाख रुपयों का प्रोफिट,पी. आर. ओ. एफ. आई. टी.,फायदा था और वह मुनाफा 'फायदा' इसके बाद में ज्यादा हुआ है अध्यक्ष महोदय। पर मैं समझता हूँ कि जोधपुर म्युनिसिपेलिटी को एक टका भी नहीं दिया गया बल्कि पानी की रेट जो कि बड़े लोगों को दी जाती है इसके बाद भी उनसे पैसा लेने का कोई इरादा नहीं बताया जा रहा है। तो यह जो नीति है उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है और वह परिवर्तन लाने के लिये पूरी जांच की आवश्यकता है और वह जांच नहीं की गई इसका एक बड़ा सुबूत तो यह है कि अब कह दिया गया है कि मकानों के सम्बन्ध में, इन बड़े आदमियों के मकानों में सम्बन्ध में एक्सेप्शन है, इसके अलावा बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पेज ८३ पर क्लॉज़ ८७ के सब क्लॉज़ (१६) के भाग (बी) में यह लिखा है कि, "no tax of any kind imposed as aforesaid shall be leviable on any building or part of building used or intended for the occupation of the rulers of the Covenantting States or on the members of their family or for the location of the establishment of such Rul''s or members, or in respect of any vehicle, animal or other property belonging to such Rulers or members:'

तो यहां तो वैहिकल और एनीमल सब एग्ज़ेम्प्ट हो गये। The next (c) is; "No toll shall be leviable in respect of any vehicle used for the passage of troops or the conveyances of the property of the Rulers of the Covenanting States..."

उनकी वैहिकल के अन्दर कोई सामान आवे तो उस पर भी कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। इसी प्रकार से किस्सा यह मिल रहा है कि हम उनको हाउस टैक्स इत्यादि की प्रोपर्टी के सिलसिले में भी मुक्त कर रहे हैं। इसके अलावा पानी बिजली से मुक्त किया गया है; वाटर रेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी रेन्ट, टोल, एनीमल ओर प्रोपर्टी वैहिकल के टेक्स से मुक्त किया गया है। जब इतना सब कुछ कर दिया गया है तो फिर इसके बाद कौनसी ऐसी लम्बी चौड़ी चीजें हैं जिनसे आमदनी होती है और जिन से पाबन्दी करनी बाकी रहती है ?

Page No.60

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो हकीकत यह है कि एक बहुत ही दकियानूसी विचारधारा इसमें है। म्युनिसिपल कमेटियों की, रेवेन्यू के जो साधन मौजूद हैं उनमें इधर उधर कुछ लोगों को रियायतें दे देना और फिर यह कहना कि कोवानेन्ट में है जब कि उसमें ये चीजें हैं नहीं और फिर यह कहना कि हम बाहर से लेकर पैसा खर्च नहीं करेंगे, लोगों पर टेक्सेज़ लगावेंगे तो लोग भी कह देंगे कि टेक्स लगाओ तो टेक्स लगावोगे, पर चन्द आदमियों के लिए अगर तुम रियायतें करोगे, उनसे वसूल नहीं करोगे और खर्च उन पर करोगे और वसूली हम से करोगे तो फिर टेक्स ले लेना तो। तो माननीय अध्यक्ष मैं इतना ही कहना चाहता था।

आगे एक पोइन्ट है ऑडिट के बारे में...

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Minister has replied in twenty minutes and you have taken thirty minutes already.

वे तो शोर्टली देते हैं और आप उनसे अधिक समय ले रहे हैं। General Question of policy पर बोलिये। For these things sections are coming and amendments can be tabled.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That policy need be changed.

इस पोलिसी के कारण ही तो यह गड़बड़ हुई है। पोलिसी को परिवर्तन करने के लिए कहने का मौका मुझे दिया जावे।

बस मुझे एक ही पोईन्ट कहना है सिर्फ ऑडिट के बारे में। तो अन्त में मैं यह कहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि यदि हमारा यह दृष्टिकोण है कि पंचवर्षिय योजना और सामाजिक कार्यों के लिए ठीक तरह से काम हो, इसके लिये पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिये, देख-भाल होनी चाहिये, सुपरवीजन होना चाहिये; कन्ट्रोल होना चाहिये, तो मुझे बड़ी खुशी होती दरअसल। वास्तव में इस पॉलिसी के अन्तर्गत ऑडिट का जो पोर्शन है हिसाब की जांच पड़ताल का जो पोर्शन है उसमें ऐसी धारा होती कि यदि अमुक समय तक किसी म्युनिसिपैलिटी अपने हिसाब का आडिट नहीं कराये तो ऑटोमेटीकली अमुक डिस्क्वालिफिकेशन उसकी हो जायगी, जिस तरह की ट्रेड यूनियन्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में रखी जाती है। लेकिन सुपरवीजन और कन्ट्रोल नामीनेशन के लिये चाहिये, अपील सुनने के लिए चाहिए, सस्पेन्शन के लिए चाहिए, टेक्स का आदेश देने के लिए चाहिए लेकिन ऑडिट मसला आया तो लिखा है कि हर म्युनिसिपैलिटी को यह चाहिए कि वह हर साल के अन्त में जहां तक संभव हो अपने हिसाब का ऑडिट कर ले। करा ले तो भी अच्छा है और न कराये तो भी अच्छा है। जो दे उसका भी भला और जो न दे उसका भी भला।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसके लिए लोकल फन्ड ऑडिट का अलग कानून बना हुआ है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह सही है, पर लोकल फन्ड ऑडिट के कानून के अन्तर्गत ऑडिट का इनको अधिकार मिला है, लेकिन ऑडिट कोई कराये हो और अमुक अवधि के अन्दर कराये ही नहीं तो डिस्क्वालिफाई होंगे, ऐसी एक भी क्लॉज़ लोकल फन्ड ऑडिट के अन्दर मुझे बता दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह कम्पलसरी ऑर्डर है। ऑडिट होता है उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर ऑफिसर जाकर ऑडिट करना चाहता है तो वे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑफिसर्स की तादाद कम है तो कोई जाये ही नहीं। पूरे चार-चार साल तक ऑडिट नहीं हो तो no disqualification will accrue either under that Act or under this Act. ऑडिट के बारे में ऐसी कोई क्लॉज़ नहीं है, अध्यक्ष महोदय, और मैं दरख्वास्त करता हूं कि अगर है और मेरे ध्यान में नहीं आया है तो बताएं।

श्री गोपीलाल यादव—वह रख देते तो आप तो उसकी भी मुखालफत करते।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह रख देने के बाद मालूम होता।

श्री **अध्यक्ष**—Finished.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं गलतफहमी का कोई तरीका नहीं अपनाता हूं, अध्यक्ष महोदय, वह तो इधर उधर कहीं होता है।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि इन्सपेक्शन और कन्ट्रोल वास्तव में म्युनिसिपैलिटीज़ के क्षेत्र की दृष्टि से नहीं किये हुए हैं। वह ऑटोक्रेटिक पावर्स के कन्स्ट्रक्शन की दृष्टि से किये हैं। इसलिए राइट आफ रिकॉल जैसे डेमोक्रेटिक प्रोवीजन्स इन्ट्रोड्यूस करना है, न वे अनडेमोक्रेटिक प्रोवीजन्स को हटाने के लिए इसको रिकमीटल करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। गलत बातें जो इसके अन्दर हैं उनको शुद्ध नहीं कर सकते हैं। इतनी खामियां पचासों जो इसके अन्दर रह गई हैं उनको शुद्ध नहीं कर सकते हैं तो ये खामियां आगे जाकर हमें नुकसान देंगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं।

श्री **अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री एच. के व्यास ने रखा है इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के विचारार्थ फिर से भेजने का उसे स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं साहब, हां पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष—What is the intention ? To call the Members or a division is desired ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—पता चल जायगा कि किधर राय किसने दी है।

(विभाजन घन्टी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान म्युनिसिपल विधेयक को उसी प्रवर समिति के वापिस सुपुर्द किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान म्युनिसिपल विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विराम)

Now we come to clause 2. Repeal and Savings. Proviso (a).

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—Yes, Sir

श्री अध्यक्ष—There are no amendments to proviso (a).

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ के प्रोवीज़ो का (ए) भाग स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ के प्रोवीज़ो का (ए) भाग स्वीकार किया गया।

(विराम)

भाग (बी), श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ के प्रोवीज़ो के भाग (बी) की लाइन ४ और ५ में मेरा इस प्रकार का संशोधन है कि "Nominated, appointed or" इस प्रकार के जो शब्द वहां है तथा "Limits defined" इस प्रकार के शब्द वहां है, इनको विलोपित कर दिया जाय, डिलीट कर दिया जाय।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

क्लॉज़ २ के प्रोवीज़ो के भाग (बी) का सम्बन्ध उन सब बोर्ड्स के कस्टीट्यूशन से है जो मौजूदा एक्ट पास होने से पहले के बने हुए हैं, और मौजूदा एक्ट पास होने से पहले नोमिनेशन की प्रणाली भी थी। मौजूदा एक्ट पास होने के पहले इस प्रकार से नोमिनेट किये हुए सदस्य भी हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। प्रोविज़ो के भाग (बी) के जरिये मौजूदा स्थिति को रेगुलराइज़ करते वक्त जैसी भी आज स्थिति है उसको कानूनी रूप दे दिया जाय, यह करते समय छूट रखने को जो शब्द प्रयोग किये गये हैं वे इस प्रकार है:

"And all municipalities constituted, members nominated, appointed or elected......"

इस प्रकार मेम्बर्स जैसे हैं वैसे ही वे पुनः मेम्बर्स समझे जायेंगे। मेरा ऐसा कहना है अध्यक्ष महोदय, कि इलेक्टेड मेम्बर्स जो हैं उनकी बात जुदा है लेकिन जब मौजूदा बिल में हमने नोमिनेशन प्रणाली को रद्द कर दिया और अपोइन्टिंग का सवाल नहीं है, क्योंकि अपोइन्ट करने का प्रश्न पुराने एक्ट में होगा तो होगा लेकिन राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट में नहीं था। इसलिये इन दोनों शब्दों की आवश्यकता नहीं है और नोमिनेटेड मेम्बर्स जो थे वे इस एक्ट के लागू होते ही ओटोमेटिकली सीज़ हो जायेंगे। जब कि नोमिनेशन की प्रणाली ही नहीं है तो सिवाय इलेक्टेड मेम्बर्स हो के दूसरे मेम्बर्स ही नहीं रह सकते। आगे दो शब्द लाये गये हैं "कमेटीज फोर्म्ड" और "लिमिट्स डिफाइन्ड"। जो भी समय नियुक्त किया गया है; पुराने बोर्डों की अवधि किसी एक्ट में ३ साल की थी, किसी में ४ साल की और किसी में ६ साल की अवधि थी। यह जुदी बात है लेकिन हम यह कहें कि पुराने कानून के अंतर्गत बोर्ड बना है उसको रेगुलेराइज़ करना है। तत्काल ही कल का कल नया बोर्ड नहीं बना सकते। पुराने एक्ट में ६ साल की अवधि थी और उनका चुनाव हुए २ साल ही हुए हैं। तो क्या यह समझा जाय कि इस अवधि तक पुराना बोर्ड वहीं का वहीं रहेगा, तो यह लिमिट डिफाइन्ड है। उसमें बोर्ड के कार्य-काल की अवधि शामिल हो जाती है। यदि यह मंशा है कि पुराना कार्यकाल बदस्तूर कायम रहे तो बात दूसरी है, नहीं तो "लिमिट डिफाइन्ड्" शब्द हटा दिये जाय। ये दो मेरे संशोधन हैं और मुझे उम्मेद है कि वे स्वीकार कर दिये जायेंगे।

श्री भैरूसिंह—मेरा भी संशोधन है।

श्री अध्यक्ष—आपका संशोधन क्लाज़ (बी) पर है क्या ?

श्री भैरूसिंह—इसी पर है।

श्री अध्यक्ष—आपका सब क्लाज़ (२) पर है।

श्री भैरूसिंह—मेरा संशोधन सब क्लाज़ (२) पर नहीं है, क्लाज २ पार्ट (बी) पर है।

श्री अध्यक्ष—अच्छा, आप बोलिये।

श्री भैरूंसिंह—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ पर मेरा संशोधन इस प्रकार है :

Part (b): Delete the words 'so far as may' and 'unless the State Government directs otherwise' appearing in the ninth and tenth lines.

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ के अनुसार इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि इस नये एक्ट के लागू होने के पश्चात् जितने भी शिड्यूल में दिये हुए कानून हैं वे सब रिपील हो गये, ऐसा समझा जायगा। लेकिन जो इसका प्रोविजो है उसमें इस बात की व्यवस्था है कि नये एक्ट के लागू होने के पश्चात् भी जो पुराने कानून के अनुसार जितने भी म्युनिसिपल बोर्डस्, कॉर्पोरेशन्स, कौनसिल्स्, टाउन बोर्डस् और दूसरी प्रकार के जो म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं वे जिस ढंग से बने हुए हैं और उनके द्वारा जिस प्रकार के कानून, नियम आदि बने हुए हैं, जिस प्रकार की आज्ञाएं जारी की हुई हैं या जिस प्रकार के अमल उनके द्वारा बनाये हुए हैं वे सारी चीजें इस कानून में ऐसी समझी जायेंगी जैसी कि इस कानून से बनी हुई हों। लेकिन इसमें भी सरकार ने अपने हाथ में डिस्क्रीशन रखा है और इसको बताने वाला "सो फार एज़ मे बी" जहां तक सम्भव हो सके और दूसरे शब्द हैं "अनलेस दि स्टेट गवर्नमेन्ट डाइरेक्टस् अदरवाइज़"; इन दोनों सेन्टेन्सेज़ से इस बात का शक होता है कि पुराने कानूनों के अन्तर्गत बने हुए जितने भी म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं और जितनी भी उनके अन्तर्गत की हुई कार्यवाही है और वे सरकार की मंशा के अनुसार नहीं हैं तो भी सारे के सारे एक्ट्स, म्युनिसिपल बोर्डस् आदि इस प्रकार समझे जायेंगे जैसे इस कानून के अन्तर्गत ही बने हुए हों। लेकिन सरकार यदि उनको नहीं चाहती हो और उनके खिलाफ आज्ञा दे दे तो वे सब इस कानून के अन्तर्गत बनी हुई नहीं समझी जायेंगी, उनके द्वारा दी गई आज्ञा इसके द्वारा दी गई आज्ञा नहीं समझी जायगी। मेरे समझ में नहीं आता कि जब एक प्रकार का सिद्धान्त मानते हैं तो फिर क्या आवश्यकता सरकार को ऐसा क्लॉज़ रखने की पड़ी। जितने भी कानून हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये या पंचायत एक्ट आदि को देख लीजिये, हमने एक सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि पुराने पंचायत बोर्ड्स ने जो आज्ञाएं दी हैं वे इस प्रकार की समझी जायेंगी कि वे नये कानून के द्वारा ही दी गई हैं। लेकिन जब म्युनिसिपल बोर्ड्स के बारे में यह तरीका अपनाते हैं जो दूसरी स्वायत्त संस्थाओं के कानून के प्रतिकूल है तो मैं अर्ज करूंगा कि म्यूनिसिपल बोर्ड्स के बारे में सरकार को डिस्क्रीशनरी पॉवर्स नहीं दी जानी चाहिए। इससे कोई फायदा नहीं है। इससे केवल एक फायदा है कि जब सरकार समझे कि विरोधी दल के सदस्यों का किसी म्युनिसिपल बोर्ड में बहुमत है तो उसके दुबारा चुनाव कराकर हम अपने लोगों को ले आवें। इस कानून के अनुसार यह समझा जाय कि नये बोर्ड इसके द्वारा बने हुए ही समझे जायेंगे लेकिन चुनाव दूर है तो सरकार अपने अधिकार से उस म्युनिसिपल बोर्ड को भंग करदे और प्रोविजो के पार्ट (बी) में सरकार को यह अधिकार है कि दूसरी प्रकार की आज्ञा सरकार दे तो उसको भंग किया हुआ समझा जायगा, रिट्रोस्पेक्ट करने की आज्ञा दी जायगी। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि सरकार को डिस्क्रीशन की पॉवर्स नहीं दी जांय वरना सरकार के हाथ में पोवर होगी कि विरोधी दल के

Page No.65

[श्री भैरोंसिंह]

मेम्बरोंवाले बोर्ड्स को खत्म करदे। शायद मंत्रीजी अपने जवाब में कहेंगे कि इस पॉवर का दुरूपयोग नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि समय पड़ने पर कि सरकार अपने पॉवर का कितना दुरूपयोग करती है। मैं एक लिस्ट पेश करूंगा जिससे पता चलेगा कि कई म्युनिसिपल बोर्ड्स को सरकार ने केवल इस नाते खत्म किया है कि विरोधी दल की संस्थाओं को दबाया जाय। इस प्रकार का प्रयास कई बार किया गया। इसमें वे कितने सफल हुए यह मैं नहीं कह सकता लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से प्रयत्न करने में कमी नहीं की। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को यह अधिकार नहीं दें। मैं सदन से अपील करूंगा कि मेरा संशोधन स्वीकार करे।

श्री **अध्यक्ष**—आप सभी अमेन्डमेन्ट्स मूव कर दीजिये।

श्री **भैरूसिंह**—मैं समझता हूँ, एक दूसरे का सम्बन्ध है, इसलिये अलग अलग जवाब मिले तो अच्छा हो। इसका जवाब मिल जाता है तो (सी) पर के अमेन्डमेन्ट पर जो कुछ मुझे कहना है वह दूसरी तरह से होगा।

श्री **अध्यक्ष**—ये को-रिलेटेड (Co-related) हैं इसलिये एक साथ मूव कर दीजिये

श्री **भैरूसिंह**—को-रिलेटेड हैं इसीलिये तो मैं चाहता हूँ कि एक का जवाब मिल जाय तो दूसरे पर बोलूं।

श्री **अध्यक्ष**—Move all the amendments.

श्री **भैरूसिंह**—मेरा दूसरा संशोधन पार्ट (सी) में इस प्रकार है:

"Part (c): Insert the words 'dissolved and be' between the words 'be' and 'reconstituted' in fifth line."

अध्यक्ष महोदय, इस प्रोविजो के पार्ट (सी) में यह व्यवस्था की गई है कि जिन म्युनिसिपल बोर्डस् को पूरे तौर से या अधूरे तौर से नोमिनेटेड मेम्बर्स है उन पर सरकार की ऐसी आज्ञा होगी कि:

"At the time of the commencement of the Act, the State Government may order that the same shall be reconstituted in accordance with this Act."

माननीय अध्यक्ष, हमने नोमिनेशन की प्रणाली को खत्म किया है। अब सवाल यह आता है कि जितने नोमिनेटेड मेम्बर्स के बिना भी बोर्ड्स हैं, सारे के सारे या कुछ सदस्य नोमिनेटेड हैं तो उस समय सरकार का क्या फर्ज होगा? इस क्लॉज् में यह है कि उन्हें रीकॉन्स्टीट्यूट करने का प्रोविजन है। चाहे अधूरे हों चाहे पूरे हों, जिस दिन से यह कानून लागू हो वे बोर्ड्स डिज़ोल्व्ड समझे जायगें

[श्री भैरोंसिंह]

और सरकार को अधिकार होगा कि इस कानून के अधिकारों के अन्दर जो अवधि मुकर्रर की है उस अवधि के अन्दर अन्दर उन्हें रीकॉन्स्टीट्यूट कर दें।

यह जो नोमिनेशन की प्रणाली है वह दूषित है, तो यदि इस बोर्ड को डिज़ोल्व नहीं करते हैं और तीन महीने, ६ महीने की अवधि में इन्हें रीकॉन्स्टीट्यूट करते हैं तो एक प्रकार से हम उन बोर्डों को अधिकार देते हैं कि उनके खिलाफ जो वातावरण बना है उसको शुद्ध बनायें और इलेक्शन जीतने के जितने भी हथकडे हो सकते हैं उनको अपनायें।

तो इसलिये कि वे लोग आम लोगों को भुलावे में न डाल सकें और उन बोर्ड्स का जो धन है वह अपने लिए सुन्दर वातावरण बनाने में अपने काम में नहीं ले सकें, इसलिये उनको तुरन्त समाप्त किया जाय और आज्ञा दें कि जल्दी से जल्दी उनकी रीकॉन्स्टीट्यूशन हो।

दूसरे अमेंडमेंट पार्ट डी. को डिलीट करने का है—

Municipal board, corporations, councils, town munieipalities other other municipal authorities; ये अन्य प्रकार की म्युनिसिपैलिटीज हैं जिनमें ज्यादा मेम्बर्स का चुनाव हो चुका है और कुछ मेम्बर्स को सरकार नोमिनेट करना चाहती है, आधे मेम्बर्स का चुनाव हो गया, किसी महिला को या हरिजन सदस्य को नोमिनेट करना चाहती है तो जितने नोमिनेशन के अधिकार सरकार लेना चाहती है, उसको सोचना होगा कि उन अधिकारों का सरकार कोई दुरूपयोग तो नहीं करेगी। आज सरकार की कैसी ज्यादतियां चल रही हैं, अमुक बोर्ड में एक हरिजन और एक महिला को नोमिनेट करना है तो सरकार अपनी इच्छानुसार करती है, योग्यता नहीं देखती है कि काफी प्रतिनिधित्व किसी के प्रति है कि नहीं, बल्कि सरकार का एक ही दृष्टिकोण रहता है कि वह आदमी हमारे पक्ष का है कि नहीं। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण पेश करूं सूरजगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड का, कि सूरजगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव हुआ, उसके बाद यह आवश्यकता समझी गई कि जितने विरोधी दल के सदस्य इस चुनाव में आ गये हैं उनको मात दी जाय और इसके लिये यह किया कि सूरजगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड में ऐसे सदस्य को नोमिनेट किया जाय कि जो हमारा पिछलग्गू हो, और एक हरिजन को नोमिनेट किया, और कोई स्त्री उनको नोमिनेट करने के लिये नहीं मिली क्योंकि सरकार को डर था कि कहीं विरोधी दल में नहीं मिल जाय, इसलिये उसी हरिजन की स्त्री को नोमिनेट कर दिया। इस प्रकार का डर है कि सरकार को यदि छूट दी गई नोमिनेट करने की तो इलेक्टेड म्युनिसिपल बोर्ड में जो चुनाव से प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है और उससे जो लाभ हो सकता है उस पर कुठाराघात होगा।

इसलिये मैं माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि नोमिनेशन को प्रणाली को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है कि पार्ट डी. को डिलीट कर दिया जाय।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष,

श्री अध्यक्ष—आपका अमेंडमेंट तो मूव हो गया ।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं इसी सम्बन्ध में दो शब्द अर्ज कर दूं । प्रोविजो डी. को डिलीट करने के लिये जो दलीलें दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने पेश कीं हैं उनकी इतनी जरूरत नहीं थी ।

जिस तरह का म्युनिसिपेलिटी बिल सिलेक्ट कमेटी से आया है उसमें नोमिनेशन की प्रथा को बिल्लकुल खत्म किया गया है । सिलेक्ट कमेटी में जाने से पहले इसमें नोमिनेशन का प्रोविजन था सिंगल कान्स्टीट्यूएन्सी के लिये । सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद बिल्कुल उसे खत्म कर दिया और जितने मेम्बर होंगे वे सब इलेक्टेड होंगे, तो फिर मैं नहीं समझता कि प्रोवाइज़ो डी. को यहां रखने का क्या कारण है ? नोमिनेशन का एक प्रोविज़ो है मैंने आगे चल कर ४७ में अमेंडमेंट रखा है । उपधारा (११) में है और वह इस तरह है:

"When a vacancy in the office of the Chairman is created by resignation, death or removal and there is no Vice-chairman to take over, the State Government shall nominate the Chairman from amongst the members of the Board......

श्री अध्यक्ष—वह तो कन्सीडरेशन में नहीं है ।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ।

तो इसमें यही सिर्फ नोमिनेशन की धारा है । वही अध्यक्ष महोदय, चेयरमेन या वाइस-चेयरमेन के नोमिनेशन की इसमें धारा है, मेम्बर्स के नोमिनेशन के लिये थ्रूआउट होल दी बिल नहीं है । यहां जो नोमिनेशन की व्यवस्था की गई है उसको रखने से सरकार को क्या फायदा होगा, मैं कहता हूं यह बिल्कुल रिडन्डेन्ट है । नोमिनेशन तो हम करने वाले नहीं हैं, तो (डी) में यह प्रोविजो रखना बिल्कुल निरर्थक होगा, इसे डिलीट किया जाय ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मुझे बोलना है । मेरा अमेंडमेंट है सीरियल नम्बर २३ पर ।

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्लॉज़ दो के भाग (डी) को रद्द करने के सिलसिले में जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन ही कर सकता हूं क्योंकि पेश हो गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं और मुख्य कारण इसको डिलीट करने के बारे में एक माननीय सदस्य ने दिया वह तो है ही; वह यह है कि जब इस बिल में नोमिनेशन की गुंजायश ही नहीं रखी है, अधिकार ही नहीं रखा है तो फिर केवल रीकॉन्स्टीट्यूशन के लिये नोमिनेशन का अधिकार देने की क्या जरूरत है ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

पर इतना ही कारण इसको डिलीट करने के लिये हो यह नहीं, इससे ज्यादा मौजूं कारण है, और मैं पेश करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, और वह यह है कि यदि कोई म्युनिसिपल कमेटी इलेक्टेड मेम्बर्स की इस एक्ट के कमेन्समेंट के समय है और उसे हम रिकॉन्स्टीट्यूट करना चाहते हैं नोमिनेशन के जरिये, तो ऐसी स्थिति में यह एक्ट बना कर हम और अधिक सुधार करना चाहते हैं या पहले से जो हालत है उससे बदतर हालत पैदा करना चाहते हैं ? यदि हमने नोमिनेशन शब्द को यूज़ किया तो " Reconstitute in accordance with the provisions of this Act". इसका तात्पर्य तो यह होना चाहिये कि वहां जल्दी से जल्दी चुनाव करादे जायं और चुनाव होंगे तो बोर्ड अपने आप रीकॉन्स्टीट्यूट हो जायगा लेकिन नये एक्ट में रीकॉन्स्टीट्यूशन का तो है, तो इससे सैकड़ों म्युनिसिपेलिटियां आने वाले चार वर्षों के लिये तो नोमिनेट रह जायंगी । ऐसा मेरा खयाल है कि यह खतरनाक प्रोविजन रखने के न केवल मंशा के रूप में है लेकिन आगे के क्लॉजेज़ से यह मेल नहीं खाता । इसलिये मैं यह कहूंगा कि इसको डीलिट कर दिया जावे । प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया है इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं ।

(श्री मुक्तिलाल मोदी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—आप इसका जवाब सुन लीजिये, आपको जवाब सुनने से संतोष हो जावेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं इसका समर्थन करना चाहता हूं ।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—आपका समर्थन मान लेते हैं कि आपने इसमें समर्थन किया है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, ये रिपील क्लॉजेज़ हैं और इस सम्बन्ध में जो एमेंडमेंट आये हैं उनमें से सबसे पहले श्री हरिकृष्ण व्यास ने यह संशोधन पेश किया है कि "Delete the words 'nominated and appointed" मैं समझता हूं कि अगर इनमें से ये वर्ड्स 'nominated' निकल जाते हैं तो इस समय मेम्बर्स सारे..

श्री अध्यक्ष—अब से चुने हुये, this the Hon' ble Member does not want.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—गवर्नमेंट से नोमीनेटेड होंगे । यह तो ४ साल तक रहेंगे । इससे क्या दिक्कत है । वोट के सब ..

श्री हरिकृष्ण व्यास—The Board constituted of elected members, nominated members also can go together.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—That is why this clause.

Page No.69

श्री हरिकृष्ण व्यास—There is no proper constitution of the Board unless members are elected there under the present constitution.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वोट में ८ आदमी सिलेक्ट होते हैं और अगर नोमीनेशन वर्ड्स यहां नहीं रखते हैं तो वह सारा बोर्ड खत्म हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—इलेक्टेड मेम्बर्स नहीं हो तब तो proper Constitution. नहीं होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उनका होना जरूरी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप एक एक अलग अलग ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष—नोमीनेशन की स्पिरिट है सारे में।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अगर आप नोमिनेटेड मेम्बरों को नहीं रखना चाहते और यह कहते हैं कि नोमिनेटेड मेम्बर को नहीं रहने दिया जावे तो क्या होगा? एक तो लेडी है ही वह तो नोमीनेटेड होगी ही...

श्री हरिकृष्ण व्यास—पार्ट (सी) देखिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—This is provided in (b). (सी) में यह प्रोवाइड किया गया है कि जो nominated members, boards comprising of nominated members only in (b); उनको भी यह दिक्कत आने वाली है। अगर नोमिनेटेड मेम्बर्स को निकाल देते हैं तो there are no wholly nominated boards, only partly nominated boards are there. So the boards will become illegal. इसलिये मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। (बी) के मुतल्लिक ठीक है: "Government may order for the nomination in accordance with this Act"

इसमें हमने कोई प्रोविजन रखा ही नहीं है।

(डी) उनके लिये है जिनके इलेक्शन होंगे और नोमिनेशन्स नहीं होंगे। बीच में मामला है। उनके लिये (डी) एप्लाई करते हैं उसके लिये मैं एग्री करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—जब आप (डी) को एग्री करते हैं तो (बी) में कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(डी) में कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—That is a question of principle.

श्री हरिकृष्ण व्यास—And a little knowledge of law.

Page No.70

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—I may state that in case of Municipal boards, comprising of elected members at the time of the commencement of this Act, the State Government may order for the nomination of members there to.

इलेक्टेड तो (डी) में है, लेकिन नोमीनेटेड नहीं है Nomination will take place in accordance with the provisions of this Act. Now we have made no provision foir xomination in this Act.

इसलिये जो (बी) और (सी) में दिक्कत है वह इसमें नहीं है।

Those who are already constituted in the Board वह कम हो जावेगा। Therefore I accept (d).

श्री अध्यक्ष—and the rest is opposed

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—The rest should be with-drawn-

मैंने जवाब दिया कि बोर्ड के कोन्सीट्यूशन को मद्देनजर रखें तो आपको मालूम होगा कि....

श्री भैरोसिंह—आप नोमीनेशन का जवाब दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद—आप तो सिर्फ एक दृष्टि से देखते हैं। "Unless the State Government directs otherwise" This applies to all. लिमिट्स डिफाइन्ड के बारे में this applies to all आपने यह लिखा है कि इसको निकाल दिया जावे "members nominated, and appointed, committes formed, limits defined लिमिट से मतलब नहीं है of time-limit, but it means boundary limits डिफाइन्ड तो रहना चाहिये। This applies to the boudaries that have already been defined Then there is another amendment "so for as may be". This applies to all the Clause. और इस क्लॉज में नोमिनेशन की बात नहीं है It applies to the town municipalities and all ot her municipalities. इसलिये हरएक बात में यह कहना कि गवर्नमेंट ज्यादती करती है, वाजिब नहीं है। There is one policy and one law for all. इसमें खास अडचन आवेगी, there is nothing like that. This equally applies to all the municipalities. इसलिये मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इसको वापिस ले लेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इसमें गल्त फहमी हो गई है उसके कारण या मैं साफ नहीं समझा सका इसके कारण गलती हो गई है। (डी) को मंजूर करने के लिये आपने कहा मगर जिस बोर्ड में पहले से नोमिनेटेड मेम्बर्स हैं उनका क्या होगा और अगर उनके साथ में कोई सुविधा नहीं रखेंगे तो वह बोर्ड पूरा का पूरा इल्लीगल हो जावेगा। मैं यह पार्ट (१), जिसमें कहा गया है पढ़ता हूँ "In case of Municipal boards, corporation, councils, town boards or other municipal authorities comprising of nominated members, wholly or partily," यानि जहां (३) का ताल्लुक है उन संस्थाओं से जिनमें या तो नोमिनेटेड नहीं हैं या पार्टली नोमिनेटेड हों। मसलन ८ आदमी हैं जिनमें दो नोमिनेटेड हैं उनके बारे में आपने अधिकार दिया है। The same shall be reconstituted in accorbance with this Act. यदि पार्टली

[श्री हरीकृष्ण व्यास]

नोमिनेटेड हैं तब it will be aeconstituted in accordance with the provisions of this Act. उनका मतलब यह है कि उनको री इलेक्शन करना होगा। जब आप एक तरफ ऐसा करते हैं तो दूसरी तरफ (ए) में ऐसे वर्डस यूज करते हैं, "in addition to elected members; members appointed or nominated shall be deemed to be..." मुझे तो यह समझ में नहीं आया कि एक बार जब आप नोमिनेशन के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते हैं तो ऐसी सूरत में क्या स्थिति है ? सारा का सारा बोर्ड इल्लीगल कैसे हो जायगा ? पार्ट (सी) में नोमिनेटेड हो जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप समझ लें इस बात को। ये लब्ज निकाल देंगे पार्ट (सी) में से...." appointed", then it will cease to function. (सी) में पावर्स दिये गये हैं। गवर्नमेंन्ट चाहेगी तो रिकोन्स्टिट्युट करा लेगी और रिइलेक्शन करा लेगी। मान लीजिये कि This is the difference. (b) applies to al those कानून आने के बाद भी लिगेलाइज कर लेंगे। सी में ये पावर्स दे रहे है कि...wholly or pratly....If You want to make it foolproof

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप छोटे से शब्द जोड़ दें कि अब नोमीनेटेड मैम्बर्स की अवधि खत्म हो गई तो बोर्ड की अवधि में कुठाराघात नहीं होगा। शायद कोई लीगल इम्पलीकेशन्स आवे तो ये शब्द रख दिये जाने चाहिये "

" Notwithstanding the fact the nominated members have ceased to become, they shall be deemed to have been constituted"

यह तो अपने अधिकार की बात हैं। स्पेसिफाई करना चाहें तो उस रूप में स्पेसिफाई कर दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, it will come to the same thing.

श्री अध्यक्ष—Let him finish, then other members will reply and then the Minister will say.

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि यदि केवल कानूनी कठिनता के कारण ही ये शब्द रिटेन किये जा रहे हैं, जो कि मेरी राय मे आवश्यक नहीं हैं, उसके लिए तरीका निकाला जाय और जिनके लिये सुझाव भी मैंने दे दिया है। उसी कानूनी कठिनाई के कारण नोमिनेटेड मेम्बर्स को रेगुलेट करना यह कानून की मंशा के खिलाफ है।

उसके आलावा लिमिट डिफाइन करने के सम्बन्ध में है। अभी वह कहा माननीय मंत्री महोदय ने कि उसका ताल्लुक तो बाउन्डरीज़ से है। मेरे कम से कम यह बात समझ में नहीं आयी अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ को पढ़ें, उसमें साफ लिखा है, in the middle of line 4, after the words " under this Act. "

" All municipaliti es constituted, members nominated"

Page No.72

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो पहले के शब्द हैं "म्युनिसिपेलटीज़ कोन्स्टिट्यूटेड"; उसका तात्पर्य क्या है ? एक स्पेसिफिक एरिया को आप म्युनिसिपेलिटीज़ कोन्सिटट्युटेड घोषित करते हैं और उसके बाद एक बोर्ड एग्जिस्टेन्स में आता है। अगर बाउन्डरी से तात्पर्य हैं तो वह म्युनिसिपेलिटीज़ कोन्स्टिट्युटेड के साथ जायगा। लिमिट का तात्पर्य अगर सीमा से है तो इस एक्ट के अन्दर जो चीज़ रहेगी वह अवधि के लिए ही लागू होगा। अगर मंत्री महोदय को बाउन्डरीज़ कायम रखना है और लिमिट डिफाइन करने के अन्दर अवधि नहीं लेना हैं तो मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि लिमिट डिफाइन की जगह बाउन्डरी लिमिट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--लिमिट से क्या समझते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—टाइम लिमिट।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—It is an insult to the English language if you do this. It is not for time.

श्री अध्यक्ष—It is not our mother-language.

श्री हरिकृष्ण व्यास—If at all it is an insult to the English language, it is an insult of the Director of Local Bodies for his having...

श्री अध्यक्ष—This is Select Committee's Report-

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is an order in existence of the Rajasthan Government.

श्री अध्यक्ष—Come to the point in issue.

श्री हरिकृष्ण व्यास—वही तो मैं अर्ज करता हूं।

श्री अध्यक्ष—Do not take it personally. There should be no discussi on of persons who are not present in the floor of the House.

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इनको कानून समझने में दिक्कत आ रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दिक्कत आ रही है। इसलिए आ रही है कि हुक्म डाइरेक्टर लोकल बोडीज़ का इस तरह निकला है।

श्री अध्यक्ष—Be proof to all these interruptinos.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am generally proof and immune, but I cannot resist the temptation of replying, Sir.

तो यह आदेश निकाला है और आदेश को इन्सल्ट मानकर समझा जाय तो दूसरी बात है। यह जो इन्टरप्रिटेशन किया गया है, वह सही नहीं है। बाउन्डरीज़ का सम्बन्ध तो म्युनिसिपेल्टीज़ कोन्स्टिट्युटेड है और लिमिट डिफाइन्ड का सम्बन्ध किसी दूसरे से है। लिमिट का उल्लेख इस पूरे कानून में आता है।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरुसिंह।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६):—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले संशोधन के उत्तर में माननीय स्वायत शासन मंत्रीजी ने बताया कि किसी भी म्युनिसिपल बोर्ड को आज्ञा उसके द्वारा बनाये गये बाई लॉज़, उसके द्वारा दिये गये आदेश, यदि कानून की मंशा के प्रतिकूल हों तो यह आवश्यक हो जाता है कि उनको इस नये कानून के अनुसार लागू नहीं किया जाय। मैं भी इस बात को मानता हूँ और जिस कानून में कभी भी इस प्रकार की धारा रखी जाती है तो उस धारा में सरकार को यह छूट न देकर उसमें इन चीजों का समावेश कर दिया जाता है कि नये कानून के बनने के बाद यदि जिन कानूनों को हम रिपील कर रहे हैं उनके द्वारा दी गई आज्ञा, किसी प्रकार का आदेश, उनके द्वारा बनाये गये बाई लॉज़ जो कि नये बने हुए कानून के मुताबिक न हों तो वे लागू नहीं होंगे। लेकिन यदि उसमें किसी प्रकार सरकार को छूट हो, सरकार कोई दूसरा आदेश दे तो वे लागू नहीं होंगे; ऐसी बात नहीं है।

हमने इस विधान सभा में टिनेन्सी एक्ट पास किया जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कानून था। राजस्थान में शामिल होने वाली विभिन्न रियासतों में अलग अलग कानून थे, उसमें भी हमने यह बात रखी है। उन कानूनों के बनाने के बाद नये कानून की मंशा के विपरीत काम हुआ तो लागू नहीं होंगे। कानूनी टर्म्स होती हैं वे रखी हैं।

"If such custom or usage is repugnant to or inconsistent with the provisions of this Act."

यदि इन शब्दों को हम इसमें जोड़ देते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा उस मंशा की पूर्ति होती है। लेकिन इस मंशा की पूर्ति के लिए वे अपने पास इस तरह का अधिकार लेना चाहते हैं, जिस अधिकार पर किसी प्रकार का अंकुश न हो तो वह चीज बिल्कुल गलत होगी। इसलिए दुबारा मैं निवेदन करूंगा कि ये शब्द कानून में, जो किसी प्रकार को कानूनी टर्म्स होती है, जोड़ दें।

"Unless the State Government directs otherwise"

इस प्रकार खुली छूट देने वाले जो शब्द हैं उनको हटा दिया जाय। तो उनकी भावना का समावेश इसमें हो जावगा और जो कुछ मैं चाहता हूँ वह भी पूर्ण हो जायगा।

[श्री भैरोसिंह]

दूसरा मेरा संशोधन पार्ट सी के बारे में है। पार्ट बी को स्वायत शासन मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया। जिसका मतलब यह है कि इलेक्टेड म्युनिसिपेलिटी में नोमिनेट करने की प्रणाली नहीं रहेगी, पार्ट बी स्वीकार होते ही। इलेक्टेड म्युनिसिपेलिटी में नोमिनेट करने की प्रथा एक स्त्री के लिए और दूसरी हरिजन सदस्य के लिए है। उसको हमने स्वीकार किया कि नोमिनेटेड करने की आवश्यकता नहीं। हरिजन या स्त्री को जाना है उसके द्वारा इलेक्शन प्रणाली काम में लेते हैं, वहां इलेक्शन होगा। मोटी चीज तो स्वीकार कर ली, लेकिन छोटीसी चीज बाकी रह गई। जितने रिकोन्स्टिट्यूट होंगे वे स्वीकार कर लिये। वे कैसे होंगे? जो तरीका हम रिकोन्स्टिट्यूशन का पास करें प्रोविजो की धारा 'सी' है। यहां पूरे के पूरे सदस्य नामजद हैं। पूरे नहीं, तो पार्टली नामजद हैं, सरकार ने रिकोन्स्टिट्यूट करने की व्यवस्था की है। उसमें तीन महीने का समय लग सकता है या छः महीने का समय जो सरकार निर्धारित करने जा रही है, लग सकता है। संशोधन यह है कि नोमिनेटेड सदस्यों को लेकर जो बोर्ड बना हुआ है उसको तुरन्त भंग किया जाय और उनको तुरन्त भंग करके एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करें।

श्री अध्यक्ष—Administrator will also be a Government official.

श्री भैरूंसिंह—दलगत नीति के आधार पर नामजद हुए हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—तो फिर सारे बोर्ड ही डिज़ोल्व करने होंगे।

श्री भैरूंसिंह—यदि ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड हैं जिनमें पूरे नामजद सदस्य हैं तो उनको भंग किया जाय और बाद में उनका इलेक्शन हो। हमने नामजद कर दिया, अब चूंकि चुनाव करना पड़ेगा, उनको भंग करना पड़ेगा और कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी', यह कोई उचित कारण है कि जिसके कारण चुनाव टाल सकते हैं?

ऐसी म्युनिसिपेलिटीज़ को बेशक भंग किया जाय, जहां नामजद सदस्य हों। इसमें आपको कौन सी दिक्कत आती है, आप उनके नये चुनाव करा डालिये, जबतक चुनकर नहीं आते हैं तब तक आप दूसरी व्यवस्था कर दीजिये। इन शब्दों के साथ मैं [illegible] से निवेदन करूंगा कि जहां नामजद बोर्ड के सदस्य हों उनको तुरन्त भंग किया जाकर उनको रिकोन्स्टीट्यूट करने की व्यवस्था की जाय और मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे अपने संशोधन को पास कराने में मदद दे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री को इसमें दिक्कत क्या है? वे ऐसी जगह जहां नामजद सदस्य हों उनको भंग करके वहां एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकते हैं। अगर अफसरों की कमी हो तो [illegible] जब यह बिल एक्ट के रूप में आयेगा तो इस प्रकार के नोमिनेशन्स् रहना कोई एडवान्स स्टेप नहीं होगा, बल्कि यह रिट्रोगेड स्टेप होगा। कुछ समय लग

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

सकता है फिर से रिकोन्स्टीटयू्ट कराने में, किन्तु सिद्धान्त रूप में, इसको स्वीकार करने में आपको किसी प्रकार का एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)— अध्यक्ष महोदय, आयन्दा के तो नोमीनेशन का सवाल ही नहीं। अलॉरेडी जो नोमीनेटेड हैं वे करीब १४२ बोर्ड में हैं, जिनके इलेक्शन हो चुके हैं। इसके मुआफिक वे सब डिज़ोल्व होने चाहिये। अभी ऐसा है कि मान लीजिये किसी बोर्ड में २५ मेम्बर हैं, उनमें एक या दो नोमीनेटेड हैं, बाकी सब इलेक्टेड हैं; तो रिकोन्स्टीट्यूट का मतलब यह होगा कि उन सब का फिर से चुनाव कराया जाय।

श्री अध्यक्ष—इनका यह कहना है कि ये दो ही नोमीनेटेड क्यों रहें, why these two nominations should continue?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—It will be more democratic

श्री अध्यक्ष—वे दो जो नोमीनेटेड हैं उनका फिर से रिज़र्व बेसिस पर चुनाव करा लिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उसके लिये इसके सब क्लॉज़ (सी) में प्रोवीजन रखा है।

श्री भैरोंसिंह—मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस बोर्ड में पूरे के पूरे सदस्य नामजद हों उनको डिज़ोल्व कर दिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रिकोन्स्टीट्यूट का मतलब तो यही होगा कि सारे के सारे बोर्ड को पहले भंग कर दिया जाय और फिर से उसके चुनाव करा लिये जांय, जहां चाहे एक या दो भी नोमीनेटेड मेम्बर्स हों।

श्री भैरोंसिंह—पहले बोर्ड को भंग कर दिया जाय और जो नोमीनेटेड हैं उनकी जगह रिक्त करार दे दी जाय और फिर से चुनाव करा लिये जांय।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण यह चाहता हूँ कि इस बिल के एक्ट होने के बाद में हमने जब कि नोमिनेशन्स का प्रोवीजन ही नहीं रखा है तो नोमीनेशन्स तो होंगे नहीं। इसलिये जो बोर्ड अभी पार्टली या होल्ली नोमीनेटेड हैं वे ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व होजायेंगे और होने चाहिये। उनकी जगह एडमिस्ट्रेटर नियुक्त किया जा सकता है। अभी भी दो चार नोमीनेटेड हैं, उनको रिमूव करके उनके नये इलेक्शन करवा दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अब तक भी जो बोर्ड हैं उनमें केवल एक या दो आदमी नोमिनेटेड हैं होल्ली कोई बोर्ड नोमीनेटेड नहीं है। इसके लिये अगर हमने इसमें रिकोन्स्टीटयूट रखा तो उनको पहले डिज़ोल्व करना पड़ेगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आप यह तो प्रिन्सिपल्ली स्वीकार करते हैं कि जो बोर्ड होल्ली नोमीनेटेड हैं उनको भंग करके नये चुनाव कराये जांय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—होल्ली नेमीनेटेड तो कोई भी बोर्ड नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Should this all be recorded ? Then there should be regular debate , one member rising and another replying. It will be very difficult for the Reporters to take down.

कु० श्री जसवन्तसिंह—I think they have taken. Our reporters are very clever. They are used for taking down such speeches.

श्री अध्यक्ष—So I put to vote.

एक माननीय सदस्य—It may be deferred.

श्री अध्यक्ष—If the first clause be deferred, we defer the whole.

कु० श्री जसवन्त सिंह—In principle he has accepted.

श्री अध्यक्ष—I may point out that I am against deferring clauses. I am of opinion that clauses should not be deferred but decided and if it is necessary, they can bring another amendment bill also.

कु० श्री जसवन्तसिंह—But in principle he has accepted.

श्री अध्यक्ष—Then discuss it.

(कुछ विराम के अनन्तर)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है इस क्लॉज के प्रोविज़ो (बी) में उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ २ के सब क्लॉज़ (बी) में जो संशोधन श्री भैरोसिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रोवीजो का सब क्लॉज़ (बी) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (बी) स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (सी) में जो संशोधन श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (सी) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (सी) स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन सब क्लॉज़ (डी) को विलोपित करने का श्री भैरोसिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (डी) विलोपित किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (ई) स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (ई) स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ संशोधित रूप में विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ४

(विराम)

इसके सब क्लॉज (१) और (२) में कोई संशोधन नहीं है । अतः—

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ चार के सब क्लॉज़ (१) और (२) विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ (१) और (२) विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ (३) में श्री चान्दमलजी मेहता का संशोधन है।

श्री चान्दमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ के सब क्लॉज (३) में मेरा संशोधन इस प्रकार हैं :

"Insert the word 'or' between the words 'hut' and 'shed' and delete the words 'or enclosure' in line 1 of the part."

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३ का संबन्ध बिल्डिंग से रहता है। बिल्डिंग में किस किस को शामिल किया जायगा ? इसके संबन्ध में यह कहा गया है कि एन्क्लोजर भी इसमें शामिल होगा। मेरे संशोधन से मतलब यह है कि एन्क्लोजर इसमें से निकाल दिया जाय। उदाहरण की तौर पर बिल्डिंग बनाने के पहले किस तरह से इजाजत लेनी पड़ेगी, किस तरह क्या क्या कार्यवाही करनी पड़ेगी इन सब के लिये अलग२ धारायें है और उसी दृष्टि से बिल्डिंग की डेफीनिशन भी दी गई है। बिल्डिंग बनाते वक्त जैसे इसमें कि नियम हैं उन सब के माफिक यह भी आवश्यक हो सकता है, उसका नक्शा बनाकर पेश करना पड़े। यह भी आवश्यक है कि उसका नक्शा पेश हो, उसका मौका देखा जाय उसके बाद इजाजत दी जाय। इसतरह की कई कठिनाइयां आयंगी और जब एनक्लोजर बनना है तो एनक्लोजर ऐसा पक्का न हो चाहे किसी मेटीरियल का हो उसमें भी इसी तरह की दिक्कत आ सकती है। अव्वल बात तो हमें यह सोचना है कि जब कोई जमीन बेची जाती है, उसके बाद में कोई जमीन खाली पड़ी न रहे, बल्कि जमीन के ऊपर अहाता बन जाय। उस संबन्ध में व्यवस्था करनी चाहिये। जरूरत इस बात की है कि आपस में जो जमीन के आये दिन झगड़े होते रहते हैं वे झगड़े पैदा न हों। और दूसरी बात यह है कि कई बार यह मोका जाता है कि एक किसान को आवश्यकता है अपने बैलों के लिए या अपने जानवरों के लिए बाड़ बनाने की। वह चाहता है कि कांटे की बाड़ लगाकर या फूंस की बाड़ लगाकर अपनी खरीद की हुई जमीन पर एन्क्लोज़र लगा ले तो इस मौजूदा धार के अनुसार उसके लिए इस कच्चे एन्क्लोज़र के लिए भी यह आवश्यक हो जावेगा कि वह, जहां उसे बिल्डिंग के लिए इजाजत लेनी पड़ती है उसे, उसी तरह इसके लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी, नक्शा देना पड़ेगा और इस तरह से वक्त और खर्चा दोनों उसे देना पड़ेगा। इसलिए निवेदन करूंगा कि इस एन्क्लोज़र शब्द को निकाल दिया जावे। इसमें फिर वह बिल्डिंग की जो डेफीनेशन दी गई है यह टाउन म्यूनिसिपल एक्ट से ली गई है। इस सम्बन्ध में जहां तक दूसरे प्रान्तों में म्यूनिसिपल एक्ट लागू हैं उनको मैंने देखा है तो उनमें मुझे कहीं इस तरह की चीज नहीं मिली। यह ऐसी चीज है जिससे आम तौर पर जो काम बहुत जल्दी आवश्यक है उसमें देर हो जावेगी। एक आदमी अपने रहने के मकान के लिए दूसरे मकान में रह सकता है पर पशुओं के बाड़े के लिए इन्तजार नहीं की जा सकती। इस दृष्टि से मैंने यह संशोधन रखा है और उम्मीद करूंगा कि मन्त्र इसे स्वीकार कर लेंगे।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री श्याम लाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री मेहता सहाब ने रखा है बिल्कुल यह मेरा है और आपने यह बतलाया है कि क्यों इस संशोधन को मंजूर

[श्री श्यामलाल गोयल]

किया जाना चाहिए। मैं उन्हीं बातों को दोहराकर आपका समय नहीं लेना चाहूंगा, बल्कि उनके अतिरिक्त एक दो बातें और इस सम्बन्ध में सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

'एन्क्लोजर' शब्द को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और मैंने यह देखा भी है कि किसान लोग क्या करते हैं कि उनके जानवरों का रिफ्यूज़ या मेन्योर जो होता है उसको वे बाड़ लगा कर रख लेते हैं तो इस हिसाब से तो वह भी एन्क्लोज़र हो गया; या अपना चारा वगैरह रखने के लिये बाड़ डाल कर बागर लगावें तो उसको भी एन्क्लोज़र गिना जावेगा।

तो इसका दूसरा नतीजा और होने वाला है और वह है, धारा ८७ के तहत जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन पर टेक्स लगाने का प्रोवीजन किया है सरकार ने। तो अगर हम इस तरह के एन्क्लोजर को जो मेन्योर के काम आता है या ऐसा जिसमें सिर्फ फोडर रखा जाता है या ऐसा कि जिसमें सिर्फ कैटल रक्खे जाते हैं, बिल्डिंग की तारीफ में ले जाते हैं तो आइन्दा यह होने वाला है कि म्यूनिसिपेलिटी ऐसी चीजों पर भी बिल्डिंग में गिन कर एन्युअल रेन्ट वेल्यु के आधार पर टेक्स लेने लगे। तो मैं समझता हूं कि सरकार की यह मंशा नहीं है कि एग्रीकल्चरिस्ट पर ऐसा टेक्स लगा दे। तो जहां यह प्रोवीजन है कि ऐसे एन्क्लोजर्स के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी वहां छोटे छोटे एन्क्लोजर्स ऐसे जो होंगे उन पर भी टेक्स देना पड़ेगा। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इन शब्दों को साफ कर दिया जाना चाहिए और यह कोई जरूरी नहीं है कि गलती से चूंकि यह पिछले म्यूनिसिपल एक्ट में था तो उनको अब भी रखा जावे। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसको मंजूर कर लेंगे और इससे कोई नुक्सान किसी तरह का होने वाला नहीं है और काश्तकारों को फायदा ही होने वाला है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल--माननीय उपाध्यक्ष जी, जो अमेन्डमेंट अभी प्रस्तुत किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं। कोई भी एन्क्लोजर अगर बिल्डिंग की तारीफ में से निकाल दिया जावेगा तो नतीजा इसका यह होगा कि किसी एन्क्लोजर की इजाजत लेने की फिर लोग आवश्यकता नहीं समझेंगे और इस धारा का बड़ा दुरुपयोग होगा। बहुत से एन्क्लोजर्स एक तरह से कच्चे से बनते जावेंगे और फिर उनको पक्का कर दिया जावेगा। नतीजा यह होगा कि बहुत सी जमीन पर से सरकार का या म्यूनिसिपेलिटी का अधिकार निकल जावेगा और एक तरह से गैर कानूनी कार्यवाहियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसी सूरत में मैं उचित समझता हूं कि एन्क्लोज़र को बिल्डिंग की डेफीनेशन में जरूर सम्मिलित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं कासलीवाल जी का अमेन्डमेंट....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो अमेन्डमेंट है वह अगले क्लॉज़ पर है।

श्री भैरूंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष जी, कोरम नहीं है।

Page No.81

कुं श्री जसवन्तसिंह—No good whipping arrangements.

(गणपूरक घंटी के पश्चात्)

श्री जवानसिंह—The bell has stopped ringing but still the quorum is not there.

(हंसी)

(गणपूरक होने के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—Yes.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—जो अमेन्डमेंट आया है एन्क्लोजर निकाल देने का, मैं समझता हूं कि जिन अर्थों में वह रखा गया है उन अर्थों में रखा जाना इसका आवश्यक है, इसका कारण यह है कि शहरों में अगर म्यूनिसिपेलिटी की सेंक्शन ऐसे किसी भी एन्क्लोजर को नहीं होगी तो बिना मंजूरी के ही बहुत से एन्क्लोजर्स के केसेज़ हो जावेंगे और इस पर म्यूनिसिपेलिटीज़ को बहुत दिक्कतें होंगी। अगर काश्तकारों की बात होती कि काश्तकार को अपने ऐसे किसी एग्रीकल्चर परपज़ के लिए या जैसा बताया गया है वैसे एन्क्लोजर के लिए इजाजत लेनी पड़ती तो मान लेता। पर जयपुर जैसे शहर में मानें कितने काश्तकार होंगे, यह देखने की बात है और इतने बड़े शहर में काश्तकार को कौन ऐसा भी एन्क्लोजर लेने देगा। तो काश्तकारों का इसमें प्रश्न पैदा नहीं होता और अगर काश्तकारों के अलावा इस शब्द को यहां नहीं रखा गया तो बिना इजाजत बहुत से लोग चारों तरफ सरकारी जमीन पर एन्क्रोचमेंट करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि यह अमेन्डमेन्ट स्वीकार नहीं होगा।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्षजी, जो जवाब दिया गया है वह जवाब देते समय शायद मन्त्री महोदय की निगाहें सिर्फ जयपुर शहर पर ही थीं। शायद यह नहीं सोचा गया कि यह जो म्यूनिसिपल कानून बनाया जा रहा है उसमें जयपुर शहर जैसे कितने शहर हैं और दूसरे ऐसे कितने छोटे छोटे शहर हैं जिनमें देहाती कितने हैं क्योंकि कानून बनाने वालों के जयपुर में रहने के कारण उनकी निगाहें जयपुर में ही रहीं।

अब यह सवाल रहा कि इससे एन्क्रोचमेन्ट होगा। तो इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि एन्क्रोचमेन्ट के लिए अलग कानून है, अलग इसके लिए नियम हैं। इसके लिए अलग से सजा निर्धारित की हुई है। तो जो सजा इमारत बनाने के लिए दी जा सकती है वही एन्क्लोजर के रूप में एन्क्रोचमेन्ट करने वालों के लिए भी दी जा सकती है। इसलिये अर्ज करना चाहता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

[श्री चांदमल मेहता]

फिर मैंने हिन्दुस्तान के चार पांच प्रान्तों के एक्ट्स को स्टडी किया है और सिवाय अपने यहां के टाउन म्यूनिसिपल एक्ट के और कहीं ऐसा प्रोविजन नहीं था। तो निवेदन करूंगा सिर्फ इस दृष्टि से कि जयपुर शहर की ओर ही निगाह डालें एवं यहां पहले किस तरह की व्यवस्था थी, इसको हम महत्व न दें। दूसरों पर इसका क्या असर पड़ेगा इसे भी देखें और इस दृष्टि से इस पर फिर से विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष—श्री श्यामलाल।

श्री श्यामलाल—मैंने तो इसका केवल समर्थन किया था, सेपरेटली प्रस्तुत किया नहीं था कोई संशोधन।

श्री चांदमल मेहता—अगर फिर से विचार करने की स्पिरिट में माननीय मन्त्री महोदय नहीं हैं तो मेरा संशोधन वापिस लेने की सदन से मैं अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या यह सदन की स्वीकृति है कि श्री मेहता को उनका संशोधन वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह रोज के रोज मजबूरी से वापिस क्यों लिये जाते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—विरोधी तो सिर्फ आप एक ही हैं इसलिये।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री जी. सी. कासलीवाल का अमेन्डमेन्ट क्लॉज़ ४ पर, क्लॉज़ ४ में उपक्लाज (५) को निरस्त करने के सम्बन्ध में है।

(अनुपस्थित)

श्री जवानसिंह।

(श्री गुलाबचन्द कासलीवाल द्वारा अपनी बैठक पर आकर बोलने के लिये खड़े होने पर)

(श्री गुलाबचन्द कासलीवाल से) बोल रहे हैं क्या आप ?

श्री गुलाबचन्द कासलीवालः—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा संशोधन क्लॉज ४ के सब क्लॉज (५) को निरस्त करने का है, उसको हटा देने के मुताल्लिक है। इस विधेयक में तरमीम मैंने प्रस्तुत की है उसका अभिप्राय है कि यह कानून जयपुर शहर एवं अन्य शहरों पर नहीं लागू किया जाय। यदि इसमें से 'सिटी' की डेफिनेशन बिल्कुल ही हटा दी जाती है तो फिर यह केवल टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ के ऊपर ही लागू रहता है। यदि सरकार को इस तरह से उचित प्रतीत नहीं होता है और दूसरा अलग कानून शहरों के लिए बनाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है तो मैं यह सुझाव प्रस्तुत करूंगा कि सिटीज़ में इसी कानून को रखा जाय लेकिन शहरों की जो म्युनिसिपेलिटियां बनायें उनका नाम म्युनिसिपल बोर्ड के बजाय म्युनिसिपल कौंसिल किया जाय और वहां के चेयरमेन उस नाम के बजाय प्रेसीडेन्ट कहलायें। वहां के मेम्बर को सदस्य के बजाय कौंसिलर कहा जाय। चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर या एग्ज़ीक्यूटिव आफिसर के बजाय उनको म्युनिसिपल कमिश्नर कहा जाय। मैं सरकार के उत्तर की अपेक्षा करता हूं और यदि सरकार यह बात मानती है तो मैं अपनी तरमीम वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्षः—श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंहः—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा संशोधन उसी प्रकार का है जैसा कि मेरे से पूर्व के माननीय सदस्य ने पेश किया है। लेकिन मेरे वजूहात दूसरे हैं और उन्होंने कुछ और निवेदन किया है। मेरा ऐसा ख्याल है कि हमें अगर नगरपालिकाओं के लिए यह विधेयक पास करना है तो दोनों के काम करने के तरीके को, उनके फाइनेन्सेज़ के संबन्ध में तथा उनकी बनावट के संबंध में किसी प्रकार की कोई अदलाबदली या भेदभाव रखना उचित नहीं होगा, ऐसा मेरा खयाल है और अगर हम म्युनिसिपेलिटीज़ या नगरपालिकाओं को इस प्रकार से देखते हैं या इस प्रकार से विभाजित करने की कोशिश करते हैं तो आखिर उनकी बनावट, उनके फाइनेन्स या उनके काम करने का तरीका; इन तीनों के आधार के ऊपर अगर आम नगरपालिकाओं को देखें तो कहां तक एक दूसरे से भेदभाव, जो रखने की कोशिश की गई है, वह उचित है और कहां तक असलियत में वह भेदभाव इस कानून के प्रोवीज़न्स में आया है। जहां तक कन्स्टीट्यूशन का सवाल है नगरपालिकाएं चाहे वे एक लाख के ऊपर की आबादी की हों या १ लाख से कम की आबादी की हों का जहां तक नगरपालिकाओं की बनावट का प्रश्न है कहीं भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा है। इसी प्रकार से सिटी म्युनिसिपेलिटीज़ के वार्ड्स बनेंगे, उस और जिस प्रकार से चुनाव होगा उसी प्रकार से ५० हजार से कम की आबादी वाले शहरों की नगरपालिकाओं का भी चुनाव होगा।

अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जहां तक फाइनेन्स का सवाल है, हम चेप्टर ५ और ६ को जब देखते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं मालूम होता है; आया कि टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ के लिए या किसी भी ५० हजार से कम आबादी के शहर के लिए कोई अलग आमदनी के जरिये होंगे या सरकार वसूल करके देगी या खुद वसूल करेगी। इसमें

[श्री जवानसिंह]

किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं मिलता है और तीसरी कसौटी जो मैंने सदन के सम्मुख रखी है, माननीय उपाध्यक्ष, वह है एडमिनिस्ट्रेशन की। नगरपालिकाएं जो ५० हजार से कम आबादी वाली हैं उनके काम करने का तरीका एडमिनिस्ट्रेशन का वही रहेगा; जो एक लाख से ज्यादा की आबादी की नगरपालिकाएं हैं, उनका तरीका है।

इन तमाम के तमाम आधारों को जब हम कसौटी पर कसते हैं तो आखिर, किस कारण, किस वजह से भेदभाव रखते हैं एक टाउन म्युनिसिपेलिटी, एक साधारण नगरपालिका के लिए और एक शहर की नगरपालिका के लिए; तब हम कोई भी कारण नहीं पाते हैं। अलबत्ता कहीं एक-दो जगह जहां कि अपील का सवाल है कि नगरपालिकाओं के हुक्म की अपील कहां होगी तो उसके लिए तो जरूर यह मिलता है कि वह कमिश्नर के यहां होगी। नगरपालिकाएं जो एक लाख से ज्यादा की आबादी की हैं उनकी और जो ५० हजार से कम आबादी की होंगी उनके लिए कलेक्टर के यहां होंगी। कलेक्टर और कमिश्नर का अन्तर रखा गया है शहर की नगरपालिकाओं के लिए और साधारण नगरपालिकाओं के लिए। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि आया इस अन्तर को बिल्कुल ही मिटा दिया जाय, जैसा कि एक संशोधन अभी प्रस्तुत किया गया है कि अलग से शहर की नगरपालिकाओं के लिए दूसरा विधेयक पेश किया जाय। एक तरह से जो अभी संशोधन पेश किया गया है कि इन कारणों से अलग एक विधेयक पेश किया जाय उसका भी मैं विरोध करता हूं और उसके कारण यह हैं कि जो नगरपालिकाओं का आखिर शासन करने का जो तरीका है, उनके फाइनेन्स रेज़ कर सकती हैं, या जो कुछ भी वे काम कर सकती हैं उसमें क्या अन्तर रखा जाय। किसी की आबादी कम है या दूसरी नगरपालिका की आबादी ज्यादा है लेकिन काम करने का ढंग एक है, करीब करीब आमदनी का जरिया एक है और उसके आगे जब बनावट का तरीका एक है तो क्यों अन्तर रखा जाय? केवल इसी बिना पर, इसी आधार पर कि एक नगरपालिका की आबादी एक लाख से ज्यादा है या ५० हजार से ज्यादा है। कोई कारण नजर नहीं आता, कोई वजह ऐसी मालूम नहीं होती कि जिसके आधार पर यह माना जा सके कि शहर की नगरपालिकाओं का अलग कानून हो और ५० हजार से कम आबादी वाले शहरों की नगरपालिकाओं का अलग कानून हो। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें इनके लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना है और अगर इस उप-धारा को डिलीट कर दिया जाय तो फिर तमाम की तमाम नगरपालिकाओं की स्थिति एक सी रहेगी।

अब जैसा कि थोड़ी देर पहले यह निवेदन किया गया था कि शहर की जो नगरपालिकाएं हैं उनको तरजीह दी जानी चाहिए, इसलिए कि वे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या छोटे शहरों के रहने वालों की यह इज्जत की बात नहीं रहेगी जब कि शहरों के रहने वालों के लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात होनी चाहिए कि वे मेम्बर्स के बजाय कोन्सिलर्स कहलायें और वे बोर्ड्स के मेम्बर्स, साधारण सदस्य कहलायें। इस प्रकार का भेदभाव उनको केवल पुरानी

Page No.85

[श्री जवानसिंह]

मनोवृत्ति का सूचक है, उनका प्रतीक है जिसे कि शायद वे इस विधेयक में लाना चाहते हैं। यह इस वक्त, इस प्रजनातन्त्र के युग में, मेरे ख्याल से, उचित नहीं है और हमको इस आधार पर भेद भाव नहीं करना है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमें सब नगरपालिकाओं को सामान्य रूप से एक प्रकार के हक-हकूक देने चाहिए और काम करने का मौका देना चाहिए। अगर किसी के पास कम आमदनी है तो उस आमदनी के ऊपर वहां के कार्य चल सकते हैं। जिस नगरपालिका की आमदनी ज्यादा है उसके पास साधन ज्यादा हैं शहर की वजह से, तो लम्बे-चौड़े पैमाने पर काम हो सकता है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि जिन शहरों की आबादी कम है उनके हक हकूक कम होने चाहिए बनिस्बत उनसे जिनकी कि आबादी ज्यादा है। इसलिए मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि इस उपधारा को विलोपित कर दिया जाय।

श्री उपाध्याक्ष—श्री सोहनलाल भटनागर।

हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, ओन ए प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, जो निगेटिव ऐमेन्डमेन्ट्स हैं विलोपित करने के उन पर मत लिये जाने के बाद ही दूसरे प्रश्न उपस्थित किये जा सकते हैं। उपाध्यक्षजी, क्योंकि विलोपित करने के संशोधन स्वीकार कर लिये जाते हैं तो बाकी के संशोधन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस वजह से मेरी दरख्वास्त है कि उसके ऊपर जवाब हो कर मत ले लिये जांय। उसके बाद और संशोधन लिये जायें।

श्री सोहनलाल भटनागर—जितने भी एमेंडमेंट हैं वे सब एक साथ ले लिये जांय।

श्री उपाध्याक्ष—यह भी हो सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एक साथ मूव हो सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह आप मन्जूर करें तो। लेकिन जहां तक प्रोसीजर की बात है, हेन्डबुक है; इसमें साफ साफ दर्ज है, आप आज्ञा दें तो कोट भी कर दूं। Negative amendments should be disposed of first.

श्री उपाध्यक्ष—मुझे आपत्ति नहीं है।

इसके पहले जो डिसकस हो गये हैं, उनको तो पारित कर लेना उचित होगा।

क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (३) था। उसके बारे में दो एमेन्डमेंट्स थे, वे वापिस ले लिये गये। उनको पारित करने का कोई प्रश्न नहीं है यह तो लम्बे चलेंगे, अभी जो संशोधन पेश हुए हैं।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (३) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (३) स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (४), क्लॉज़ ४ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (४) स्वीकार किया गया।

(विराम)

सब क्लॉज़ (५) पर बहस चल रही है। वैसे तो निगेटिव साइड को पहले ले लिया जाय तो भी कोई हर्ज नहीं है। इसे बिल्कुल डिलीट करने का है, इस बारे में आप (मंत्री) क्या कहना चाहते हैं ?

श्री कंवरलाल जेलिया—मुझे भी बोलने की इजाजत दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री मंत्रीजी से) आप उत्तर दे दीजिये।

श्री कंवरलाल जेलिया—मुझे बोलने का मौका दीजिये।

कुं श्री जसवन्त सिंह—ये विरोध करना चाहते हैं तो आप क्यों रोकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—विरोध करना था तो पहले करते, अब तो मंत्रीजी उत्तर देने लगे हैं।

श्री चांदमल मेहता—विरोध तो सभी करना चाहते है, मुझे भी करना है।

श्री उपाध्यक्ष—सिवाय समय और लेने के कोई फायदा नहीं हो सकेगा।

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—यह तो उनको सुनने के बाद कहा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—आप अपने उत्तर में प्रकाश डाल देंगे।

श्री भैरूसिंह—लेकिन उनको मालूम कैसे होगा कि वे क्या क्या कहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—इसकी जानकारी आवश्यक नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—मुझे तो बोलने का मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप लेट हो गये।

श्री कंवरलाल जेलिया—में तो पहले से ही खड़ा हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सिटी और टाउन म्युनिसिपेलीटीज के बारे में जो डेफिनेशन्स दी गई हैं उन पर दो सदस्यों ने अमेन्डमेन्ट्स पेश किये है और वे दोनों ही सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे।

श्री उपाध्यक्ष—इनका डिसेन्टिंग नोट है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—डिसेन्टिंग नोट था। मैं इतना कहना जरूर चाहूंगा कि सिटी म्युनिसिपेलिटीज का हमारे यहां स्पेशल स्टेटस था और अब भी है। उनको दूसरी शिकायत यह है कि कोर्पोरेशन और कौंसिल से हमको नीचा क्यों करना चाहते हैं हमने पॉवर्स और फंक्शन्स के लिये एक ही तरह की चीज रखी है। नाम के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है। यदि कमिश्नर कलेक्टर के बजाय कहा जाय तो आपत्ति नहीं होगी। म्युनिसिपेलिटी को कौंसिल कहदें तो कोई हर्ज नहीं है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—वे खुश भी हो जायेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वे म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर के बजाय कौंसिलर कहे जांय तो कोई हर्ज नहीं है। दरअसल में काम तो एक ही तरह का होगा। उनको यदि नाम से प्रसन्नता हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।..

श्री कंवरलाल जेलिया—यह केवल जयपुर का ही प्रश्न नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं निवेदन करूंगा कि जो संशोधन रखे गये हैं उन्हें वापिस ले लिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री कासलीवाल को संशोधन वापिस लेने दिया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी गई।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री **जवानसिंह**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस नहीं लेना चाहता। मैं सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर जरूर था। यदि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट ध्यान से देखी जाती तो पता चलता कि मैंने साफ कहा है कि मैं सहमत नहीं हूं कि इस विषय में भेद-भाव रखा जाय। मैंने उसी भाव को यहां रखा है। सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर होने के नाते किसी का मुंह बन्द किया जाय तो बात दूसरी है।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—मैंने इस पर आपत्ति नहीं की।

श्री **जवानसिंह**—मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार का भेदभाव नगरपालिकाओं में नहीं होना चाहिये। मैंने उसके वजूहात पेश किये, लेकिन अफसोस है कि उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया और न कोई कारण बताया गया। यदि वे अपने आप में खुद समझ गये हों तो बात दूसरी है लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिला। मैं अपने संशोधन को प्रेस करना चाहता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ (५) पर जो संशोधन श्री जवानसिंह ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री **सोहनलाल भटनागर**—उपाध्यक्ष महोदय, ओरिजिनल बिल के अन्दर जो क्लॉज़ ४ या सब क्लॉज़ (५) में सिटी की डेफिनिशन में यह दिया गया था कि ५०,००० से ऊपर की आबादी वाले शहरों को सिटी गिना जायगा। इसके बाद सिलेक्ट कमेटी ने यह संख्या ५०,००० से बढ़ाकर एक लाख कर दी और साथ ही सब क्लॉज [७] और बढ़ा दिया जिसमें गवर्नमेंट को अधिकार दिया कि गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन निकालकर ५० हजार और १ लाख के बीच की आबादी वाले किसी एरिया को सिटी घोषित कर सकती है। इस बारे में मैं दो बातें अर्ज करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि सिटी म्युनिसिपलिटीज़ की जो डेफिनेशन दी गई थी वह १ लाख तक क्यों बढ़ाई गई और ५० हजार ही क्यों नहीं रखी गई। राजस्थान में कुछ ही शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी १ लाख या उससे अधिक है। इसमें जयपुर, जोधपुर और बीकानेर ही आते हैं। इनके बाद केवल तीन शहर रहते हैं; उदयपुर, कोटा और अलवर जिनकी आबादी ५० हजार से अधिक है।...

श्री **जसवन्तसिंह**—बीकानेर में दो चार टाउन ऐसे मिल जायेंगे जिनकी आबादी ५० हजार से अधिक है।

श्री **सोहनलाल भटनागर** (जारी)—आ जायेंगे तो अच्छा है, इससे डरने की बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ५० हजार की औरिजीनल लिमिट भी बही काफी है।

[श्री मोहनलाल भटनागर]

दूसरी बात यह है कि उदयपुर कोर्पोरेशन भी सिटी में सम्मलित है जिसके बारे में मैंने कल भी निवेदन किया था। आज यू० पी० के पांच शहरों में कोरपोरेशन कायम किये जा रहे हैं। हमारे यहां तो कोरपोरेशन ऑलरेडी मौजूद था जो कि एक प्रगतिशील कदम था, तो उसको रिट्रेसीड क्यों किया जा रहा है? कहा जाता है कि कोरपोरेशन तो ५-७ लाख की आबादी वाले स्थानों में होता है। मैं कहूंगा कि सीमा देखी जाय और दूसरे प्रदेशों के क्षेत्र से मिलाया जाय तो जैसलमेर आदि डिस्ट्रिक्ट दूसरे कलेक्टरों की डिस्ट्रिक्ट के बराबर नहीं बैठते। इसी तरह कई सब डिवीज़न्स की सीमाएं भी बराबर नहीं बैठतीं तो फिर उनको क्यों कायम रखा जाए उनके लिये सीमा और जन संख्या कम है लेकिन नाम है अवश्य, तो मैं निवेदन करूंगा कि सिटी म्युनिसीपेलिटी का नाम न रख कर कोर्पोरेशन रखा जायगा तो क्या हर्ज हो जायगा। जब कानून का इन्टीग्रेशन हो रहा है तो पहले का प्रगतिशील कदम है उसको बदस्तूर कायम क्यों नहीं रखा जाता?

और जो दूसरी जगह अच्छाइयां हैं उन्हें लिया जाय और उनमें बुरी बातें हैं उनको छोड़ा जाय। इस दृष्टि से मैंने यह अमेंडमेंट रखा है, इसको नोट शीट पर रख कर प्रिवेलेन्ट रखा जाय और ५० हजार की आबादी कर दी जाय।

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ (७) में मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है।

"Substitute 50,000 for one lac in part (5)".

उपाध्यक्ष महोदय, सिटी की जो परिभाषा दी गई है उसमें १ लाख से अधिक जन संख्या वाले शहरों को सिटी कहा गया है या जिनको कि सरकार की तरफ से सिटी डिक्लेअर कर दें उनको सिटी कहा जाय, ऐसी व्यवस्था की गई है।

मैंने जो संशोधन रखा है उसका कारण यह है कि ५० हजार से ज्यादा की जन संख्या वाले शहर सिटी माने जांय और सरकार चाहे तो ५० हजार से कम की जन संख्या वाले को भी सिटी घोषित किया जा सकता है। यहां हमने ओरिजिनल बिल में व्यवस्था की है, उसका मतलब यह है कि ३ शहरों को; जयपुर, जोधपुर और बीकानेर को सिटी का दर्जा दे रहे हैं। यह ठीक नहीं! सिटी का दर्जा किस किस शहर को दिया जाय इसमें पोपुलेशन के अलावा और और बातों को भी सोचना है कि वहां की जनता कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी अनुभवी है, क्या पुराना ऐतिहासिक स्थान है, वहां नगरपालिकाएं कितने समय पहले से हैं और उनको पहले से क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, इस दृष्टि से देखना होगा। और इसीलिये मैंने ५० हजार का लिखा है।

[श्री चांदमल मेहता]

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि सिटी और टाउन में हमने कैसे किया है, टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ की अपीलें सुनने के अधिकार कलेक्टर को दिये हैं और सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ की अपीलें सुनने के अधिकार कमिश्नर्स को दिये हैं। तो ऐसी सूरत में कमिश्नर का हैड क्वार्टर जहां है वहां हम चाहते हैं, वहां कोटा और उदयपुर भी इस डेफिनेशन में नहीं आते, इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि जहां एक लाख जन संख्या की बात कही गई है वहां ५० हजार कर दिया जाय और ५० हजार की आबादी वाले शहरों को सिटी घोषित कर दिया जाय और ५० हजार से कम की आबादी वाले जो हैं, उन नगरों की भी प्राचीनता को, पुराने अधिकारों को, और जनता वहां की कितनी काबिल है, जनतन्त्र के योग्य है कि नहीं, इन बातों को देख कर जहां जैसी स्थिति देखें, देख लें कि म्युनिसिपैलिटी सेल्फ सपोर्टेड है; तो इन बातों को देख कर ५० हजार से कम की जन संख्या वाले जो शहर हैं उनको भी सिटी का दर्जा दे दिया जाय।

इसीलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है और मैं आशा करता हूं कि इसे स्वीकार किया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, इस लिस्ट में क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ (५) पर मेरा संशोधन यह है कि एक लाख जन संख्या का जहां उल्लेख है उसकी एवज में उसे घटा कर २०,००० कर दिया जाय।

(हंसी)

अभी इस क्लॉज़ को विलुप्त करने के सिलसिले में संशोधन अलग से प्रस्तुत हुआ, अथवा इसे दूसरे रूप से सब्स्टीट्यूट करने का संशोधन प्रस्तुत हुआ, मेरी उन दोनों संशोधनों से पूरी सहानुभूति है

कुं० श्री जसवन्त सिंह—आपकी सहानुभूति से तो नुकसान ही होती है।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो दर्जा कहीं प्राप्त हो चुका, उन्हें काम करने की सुविधाएं प्राप्त हो चुकीं, उन्हें कम करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिये मैंने अर्ज किया था कि उनका पहले निर्णय कर लिया जाय। काबिल काबिल माननीय सदस्यों के सुझाव और मेरी सहानुभूति के बावजूद उसे स्वीकार नहीं किया। इस परिभाषा के बारे में मैंने जानने की कोशिश की कि कोई जगह सिटी घोषित कर दिया जाय तो क्या फरक पड़ेगा ? नाम का फर्क तो कोई फर्क नहीं होता, यह फर्क जरूर नज़र आया कि जहां सिटी घोषित कर दी गई तो वहां के मेम्बरों को इतना तो खयाल रहेगा कि हमें कमिश्नर ने हटाया है, कलेक्टर ने नहीं हटाया है, और उनकी अपीलों की सुनवाई कमिश्नर करेगा, कलेक्टर नहीं करेगा।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कितनी सुविधा हो, कितनी नहीं हो, इस पर राय नहीं देते हुए मैंने यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि इतनी सुविधा दे दें परिभाषा डाल कर कि कलेक्टर की बजाय कमिश्नर से ताल्लुक आयेगा, तो मैंने सोचा कि यह सौभाग्य लगभग हर जिले के हैड क्वार्टर को दिया जाय और डिविजन की जो एक सीढी रखी है उसमे एक सीढी और डाला जाय और इस दृष्टि से कमिश्नर से हटवाने की सुविधा प्राप्त करने का मौका मिल रहा है, तो दो-तीन जगह ही क्यों रहें, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की क्या खासियत है कि उन्हीं को यह सुविधा रहे, इसको ज्यादा डेमोक्रेटाइज किया जाय और कुछ माननीय मित्रों की राय के मुताबिक यह सुविधा मिल जाय इसलिये यह संशोधन रखा है। २०,००० से ज्यादा तो किशनगढ़ की जन संख्या है, पुरानी रियासतों की सभी केपिटल्स इसमें आ जायेंगी और यही तसल्ली के लिये यह उपधारा रखी है। अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि तसल्ली किसी को होती है तो इसमें किसी को क्या एतराज है। तो मेरा कहना यह है कि तसल्ली दी जाय तो सब को दी जाय; कलेक्टर से उनको न हटवाया जाकर कमिश्नर से हटाये जाने की सुविधा उनको दी जाय। उनकी अपीलें कलेक्टर से न सुनवाई जाकर कमिश्नर द्वारा सुनवाई जाने जाने की सुविधा उन्हें दी जाय। इसमें आपका क्या जाता है? इससे इस सारे एक्ट में किसी को कोई कठिनाई नहीं आयेगी और वैसे ही कमिश्नर्स के पास काम कम है। उनके पास इससे काम भी ज्यादा हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि लोगों के समाधान के लिये मन्त्री महोदय ने जिस प्रकार की दरियादिली दिखाई, वैसी ही और दिखायें।

श्री रामकिशोर ह(१६)— माननीय उपाध्यक्ष, क्लाज़ ४ के सब क्लॉज़ (५) में मेरा संशोधन इस प्रकार है:

"Delete the words, 'and any municipality which is a city by virtue of a noification under Section 7A.' and Substitute the words 'fifty thousand' for 'one lac'."

माननीय उपाध्यक्ष, सदन में चर्चा इस बात की है कि कितनी आबादी वाले कस्बे और शहर को कानूनन शहर माना जावे।। इसमें कई सदस्यों की विभिन्न राय है। लेकिन इस उपधारा की मंशा यह है कि जिन जगहों की एक लाख से कम की आबादी है उनको सिटी घोषित नहीं किया जावे और इसके साथ साथ यह भी अधिकार दिया गया है कि अगर सरकार आवश्यक समझे तो ५० हजार से ज्यादा की आबादी के स्थानों को सिटी घोषित कर दे। इसमें एक तो परिभाषा है और इस परिभाषा में सरकार को इसमें कस्बों को शहर में बदलने का अधिकार कि जिस वक्त सरकार यह उचित समझे किसी टाउन को शहर घोषित कर सकती है। अभी इस सम्बन्ध में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि यदि किसी कस्बे को शहर बनाया जावे तो उसकी आबादी बढ़ने के बाद ही बढ़ाया जावे, ऐसा न हो कि उसको बड़ा कर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई जावे। मगर

[श्री भैरोंसिंह]

सरकार ने यह अधिकार दिया है कि ५० हजार से २० हजार के बीच के टाउन्स को वह शहर घोषित करना चाहे तो कर सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष, जिस समय यह मूल कानून आया था उसके अन्दर जो उपधारा थी उसमें ५० हजार से ऊपर वाले आबादी के कस्बों को शहर माना था, लेकिन सिलेक्ट कमेटी में जब यह आया तो इसमें विभिन्न प्रकार से रायें आईं। लेकिन अगर सरकार इसको मुनासिब समझे तो: "The Committee considers that in order to enable the State Government to meet special cases in which it may be found necessary to declare a municipality having a population of less than one lac but not less than fifty thousand inhabitants, to be a city........."

स्पेशल केसेज़ में। ये स्पेशल केसेज़ क्या हो सकते हैं ? अगर इसको आप ए. से जेड तक पढ़ें तो आपको शुरू में एक लाख से ज्यादावाले और एक लाख से कम वाले शहरों और कस्बों में फर्क दिखाई देगा। गांवों में म्युनिसिपेलिटीज़ के सदस्यों को हटाने का अधिकार कलेक्टर और कमिश्नर को दिया जा रहा है। कल कई सदस्यों से बात चीत हुई तो ऐसा मालूम हुआ और मैं समझता हूँ कि सरकार चुने हुए सदस्यों को हटाने का अधिकार कलेक्टर और कमीश्नरों को दे रही है और इस प्रकार की सिफारिश सिलेक्ट कमेटी ने की है कि इस सदन की भावना का संशोधन है इसको स्वीकार नहीं किया जावे। लेकिन मैं इस बात को मान कर चलता हूं कि आज जो माननीय मंत्री स्वायत्त शासन हैं वे इस पर अपनी स्पष्ट नीति बता देंगे कि आया उनकी नीति इस बात को मंजूर करने की है या नहीं है।

अगर कलेक्टरों और कमिश्नरों को इस प्रकार के अधिकार रहेंगे तो मैं यह कहूंगा कि स्पेशल केसेज़ की परिभाषा नहीं है। अगर स्पेशल कोई बात टैक्स के बारे में हो तो ठीक है, अगर कोई धन संचय के बारे में स्पेशल केस हो तो हो सकता है। अगर म्युनिसिपेलिटी के काम में हस्तक्षेप करने के बारे में कोई विशेष बात हो तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो फिर इसमें स्पेशल केस की क्या डेफिनेशन इसको साफ करते। मगर इससे यह होगा कि जिसको गवर्नमेंट स्पेशल केस समझे कि इसको शहर बनाना है उसको स्पेशल केस लेकर १ लाख से कम और ५० हजार से ऊपर वालों को शहर बना देगी, यह बात न्यायोचित बात नहीं होगी।

हमें एक परिभाषा बनानी है और ऐसी परीभाषा बनानी चाहिये कि जिससे सबको सुख पहुंचे। ओरिजिनल में जो बात थी उसमें इसलिये रद्दोबदल किया गया है कि अगर सरकार किसी को शहर बनाना उचित समझे तो ऐसा कर सकती है। इस प्रकार धारा ७ (ए) में दलीलें दी हैं। हम स्पेशल केसेज़ की आड में जिनको चाहें शहर बना सकते हैं। इसलिये यह चीज स्पष्ट हो जानी चाहिये। मगर यह बात तो यहां पर स्पष्ट है कि सरकार की अब तक मंशा है कि ५० हजार वाले सारे ही स्थानों को शहर घोषित कर दें। मगर स्पेशल केसेज़ यहां पर रखे हैं इसलिये मैं

[श्री भैरूसिंह]

निवेदन करूंगा कि ५० हजार से ज्यादा की आबादी के जो कस्बे हैं उनको शहर घोषित कर दिया जावे।

अब प्रश्न यह है कि सरकार को अधिकार है या नहीं। सरकार हर बात में अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है, यहां तक कि वह शहर को आबाद करने और शहरों को घोषित करने के भी अधिकार उसने अपने हाथ में लिये हैं। इसलिये मैं तो यह कहूंगा कि जो कुछ किया गया है उसकी रूप रेखा ठीक नहीं है। कोई ले मेन यह कह सकता है कि आज एक कस्बा है और कोई माननीय मंत्री वहां पर रहते हैं। अगर उन माननीय मंत्री जी की यह इच्छा हुई कि इस कस्बे को शहर बना दिया जावे तो वे उसको आबादी बढ़ाकर शहर बना सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। माननीय मंत्री अकेले आबादी बढ़ा कर उसको शहर घोषित करादें यह ठीक नहीं है। अगर कानून से कस्बे को शहर बनाना चाहते हैं तो इसकी परफेक्ट परिभाषा होनी चाहिये।

अगर हम इन पर दूसरे ढंग से सोचे, माननीय उपाध्यक्ष, कि जहां तक कस्बों और टाउन्स इन दोनों का सवाल है अगर इन दोनों समस्याओं को हल करने का कोई मध्यस्थ तरीका है तो वह यह हो सकता है कि हम नगरपालिकाओं से संबोधित करते हुए इनको कस्बों आदि को नगर शब्द से संबोधित करते हैं, तो यह सारा झगड़ा ही साफ हो जाता है। नगर की परिभाषा भारतवर्ष में तो है लेकिन हमें उसी के अनुसार परिभाषा नगर की मुकर्रर करनी पड़ेगी। नगर एक बहुत प्राचीन और इतिहासिक चीज है। अगर हम यहां के चित्रों और इतिहास से प्रेरणा लेंगे तो हमें इसके लिये एक आधार बनाना पड़ेगा और वह आधार यह होगा कि ५० हजार की आबादी से ऊपर वाले कस्बों को शहर या नगर बना दिया जावे। इस प्रकार दूसरे प्रान्तों में भी ५० हजार की सीमा है। ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ५० हजार से ऊपर आबादी वाले कस्बों को शहर बनाने की परिभाषा में जोड़ दें कि ५० हजार से ज्यादा आबादी वाले कस्बे शहर घोषित कर दिये जावेंगे, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा होगा।

दूसरी बात यह है कि कलेक्टर और कमिश्नरों को अधिकार नहीं देने चाहिये जिस तरह की सदन भावना है। इसके लिये अलग से निवेदन किया गया है और एक स्पिरिट की भावना से काम किया जाना चाहिये। और जो कुछ सर्वे किया जावे वह बिल्कुल ठीक हो। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर गंभीरता से सोचा जावे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, क्लाज़ चार के सब क्लॉज़ ५ पर मैंने जनरल क्लॉजेज़ की बहस के समय यह निवेदन किया था कि सिटी और टाउन म्युनिसीपेलिटीज़ को मिलाने से कोई तात्पर्य नहीं निकलता। लेकिन जो इस क्लॉज़ पर बहस की गई है उसके संबन्ध में मैं भी कुछ कहूंगा। मैं यह कहूंगा कि पहले तो इस प्रकार की भावना और सेन्टीमेंट का प्रश्न ही क्यों पैदा होता है ? एक चीज है और वह यह कि जन संख्या के आधार पर हमें एक चीज तोलना है।

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

जहां तक उदयपुर का सवाल आ रहा है उसके लिये मैं यह कहूंगा कि उदयपुर की मान और मर्यादा, उदयपुर की जैसी रही है वैसी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की भी नहीं है । जयपुर निवासियों को यह विदित होना चाहिये कि उदयपुर का स्थान भारतवर्ष के इतिहास में इतना उज्वल है कि कोई उसको नीचा लाने की लाख कोशिश करे मगर नहीं ला सकता है । अब अगर हम यह कहते हैं कि विधान सभा में १६० सदस्य होंगे तो वे तो होंगे ही क्योंकि राजस्थान की जन संख्या भी इतनी है कि जिसके अनुसार १६० सदस्य ही हो सकते हैं । अगर हमें यह ईर्षा हो कि राजस्थान का गौरव और उसकी शोभा उत्तर प्रदेश से कितनी अधिक है, यहां वीरता एक एक पत्थर में दिखाई देती है, राजस्थान के एक एक कौने ने इतना गौरव कमाया है कि जिसका मुकाबला उत्तर प्रदेश, बंबई पश्चिमी बंगाल, मद्रास आदि प्रान्त नहीं कर सकते हैं और इसलिए यह विधान सभा के प्रतिष्ठा के खिलाफ बात बन गई है कि राजस्थान विधान सभा में १६० सदस्य हैं जब कि हमारे पड़ौसी उत्तर प्रदेश में ४०० सदस्य हैं । तो मैं यह कहूंगा कि यह बहस समझ में नहीं आती है कि क्या माने रखती है । यही सवाल हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है और जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से वहां की विधान सभा में प्रतिनिधि ज्यादा होंगे ही । राजस्थान की जनसंख्या कम है इसलिए यहां कम होंगे । इसी प्रकार एक सिटी है । पहले तो यह क्लाज़ ५ उड़ा दिया जाय तो मुझे इसमें बिल्कुल एतराज नहीं है सिवाय इसके कि जैसा जोधपुर से आये माननीय मित्र ने कहा कि एक टाऊन म्युनिसिपैलिटी के सदस्य को कलेक्टर हटायगा और दूसरा सिटी के सदस्य को कमिश्नर हटायगा; उसमें इज्जत और प्रतिष्ठा का क्या सवाल है । दोनों हो हटाये जावेंगे, अगर ऐसी कार्यवाही करेंगे । अपील कलेक्टर के पास और कमिश्नर के पास जायगी । अच्छा होगा या बुरा होगा, वह ऑफिसर निर्णय करेगा । इसमें कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं आता है ।

यह अरिथमेटिकल केल्कुलेशन है । सरकार की नीति है और जिस नीति को माननीय मंत्रीजी निभा रहे है कि हमें सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ को किस कारण से रखना है । उसमें जन-संख्या आवेगी चाहे किसी को पसन्द आवे या नहीं । प्रतिष्ठा का सवाल नहीं होता है । यह तो अरिथमेटिकल केल्कुलेशन है । कुछ तत्वों को खुश करने के लिए जोधपुर से आये माननीय सदस्य २० हजार की संख्या रखा कर सिटी म्युनिसिपैलिटी बनाना चाहते हैं । उनको सहानुभूति से तो नुकसान पहुंचा । हमारे मित्र की जिनके साथ सहानुभूति होगी वे उनको साथ ही ले बैठेंगे ।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरी तो इस सब क्लॉज़ के साथ ही सहानुभूति है ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—सब क्लॉज़ के साथ सहानुभूति नहीं थी । कुछ मित्रों के साथ सहानुभूति है ताकि इसकी तादद करें तो कस्बे की म्युनिसिपेलिटीज़ को सिटी में शुमार करदें ।

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

तो सिटी शब्द को रखेंगे तो जनसंख्या के आधार पर सोचना पड़ेगा या इसको बिल्कुल ही उडा देते हैं तो मुझे भी और किसी को, मैं समझता हूँ कि कोई एतराज नहीं होगा। अगर नहीं तो फिर भेदभाव सामने आवेगा; खास कर उदयपुर के बारे में। उदयपु की मानमर्यादा बढी हुई है, उनके भाव होते हैं जो कि स्वाभाविक है और उसके लिए हम उनको दोष नहीं दे सकते। सिटी म्युनिसिपेलिटी रखेंगे तो जनसंख्या का आधार रखना पड़ेगा। अगर आप सेन्सस रिपोर्ट जो कि जनसंख्या पर आधारित होती है, उनमें जनसंख्या की गणना होती है, मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो, अगर यह देखी जायगी तो मालूम होगा कि सेन्सस रिपोर्ट में सिटीज़ उन्हीं को कहा गया है कि जिनकी गणना एक लाख या एक लाख से ऊपर हो।

श्री चांदमल मेहता—सेन्सस रिपोर्ट में किशनगढ़ को भी सिटी डिक्लेयर किया गया है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह मैं मान नहीं सकता कि किशनगढ़ को सिटी कह सकते हैं। मैं जो बात करता हूं उसके लिए जब तक आंखों से न देख लूं तब तक विश्वास नहीं कर सकता हूं। यह मिस्प्रिन्ट भी हो सकता है।

श्री चांदमल मेहता—मिस्प्रिन्ट नहीं, बल्कि सेन्सस कमिश्नर ने चिट्ठी लिख कर भेजी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किशनगढ़ के माननीय सदस्य हैं, उनका दर्जा देखते हुए सेंसस कमिश्नर ने लिख भी दिया हो तो कोई भूल नहीं है।

(हंसी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—सेंसस रिपोर्ट में दी हुई परिभाषा को देखें तो पता चलेगा कि एक लाख या उससे ऊपर की जहां जनसंख्या होगी वे शहरों की गिनती में आवेंगे। उसी आधार पर हिंदुस्तान के शहर है और वे सब सिटी कहलाते हैं। सेन्सस रिपोर्ट में जहां टाउन की गणना होती है तो वहां इतनी जनसंख्या होनी चाहिए, वे ही टाउन कहलावेंगे और उनसे कम होगी तो वे विलेजेज़। यह तो बिल्कुल अरिथमेटिकल केल्कुलेशन के माफिक एस्टेब्लिश्ड फेक्ट है। उसीको इसमें लिखा गया है और इस बात का ख्याल रखते हुए कि कुछ शहर हैं जो इस परिभाषा में नहीं आते हैं और न आने की वजह से यह समझा जाता है कि उनकी भावना पर कुठाराघात होता है। कुठाराघात क्यों हो उनकी भावना पर, वैसे दो और दो चार ही होंगे, १५ तो नहीं हो सकते....

श्री हरिकृष्ण व्यास—२२ हो सकते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) उनको सिटी बनायें तो आवश्यक हो जाता है कि दुनिया भर के स्टेन्डर्ड माफिक रखें। उससे बाहर जाना चाहें तो यह दूसरी बात है।

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

तो जहां तक सरकार का, सरकार का सवाल नहीं है, प्रवर समिति ने रिकमंड किया है, प्रवर समिति ने ठीक ही किया है कि दुनिया में जो स्टेन्डर्ड है उसको उन्होंने माना है। फिर भी कुछ हमारे शहर हैं, जिनका ऊंचा इतिहास है और जिनके इतिहास का हिन्दुस्तान के कई शहर मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उनमें दुर्भावना होती है कि हमारे शहर का इतिहास इतना ऊंचा था उसको नीचा कर दिया। तो उनको भी शामिल करने के लिए प्रवर समिति ने गुन्जाइश रखी है ७ ए में कि किन शहरों को सिटी की परिभाषा में लिया जा सकता है जो कि स्टेन्डर्ड पैमाने पर सिटी की परिभाषा में नहीं आते हैं। प्रवर समिति ने बहुत बुद्धिमत्ता से यह भी रख दिया है कि किसी एस्टेब्लिश्ड स्टेन्डर्ड को नीचा करे तो उसकी क्या हद होनी चाहिए। पचास हजार से नीचा भी स्टेन्डर्ड चलेगा तो एक मजाक हो जावेगी। प्रवर समिति ने ठीक कहा है कि सिटी की यही परिभाषा ठीक होगी। कुछ कारणों से कुछ म्युनिसिपेलिटीज़ को सिटी की परिभाषा में लाना आवश्यक समझा जाय तो कम से कम यह गणना होना आवश्यक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। यह अरिथमेटिकल केल्कुलेशन है और दुनिया में जो मान्यता है उसी की मान्यता यहां की गई है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों को मंत्रीजी संतोष दिलाना चाहते हैं, अगर खुश करना चाहते हैं तो सब क्लॉज़(५)को हटा दें लेकिन अगर किसी कारण से सब क्लॉज़(५)रखना है तो जो परिभाषा 'सिटी' की प्रवर समिति द्वारा की गई है वह बिल्कुल सही है। यदि दुरुस्त नहीं है तो राजस्थान विधान सभा की हंसी होगी, यही मैं कहना चाहता हूँ।

(कई सदस्यों के बोलने के लिए प्रस्तुत होने पर)

कर्नल श्री दिलीपसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलना है इस पर।

राज श्री हिम्मतसिंह—समय भी हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—सदन की कार्यवाही आज स्थगित की जाती है। कल ८॥। बजे पुनः बैठक होगी।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही १२ बज कर ४४ मिनट पर, दिनांक २२ दिसम्बर, १९५५ के प्रातः ८॥। बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन, — मनसाराम पुरोहित
जयपुर, — सचिव,
दि० २१ दिसम्बर, १९५५ — राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २७२ का उत्तर देखिये)

तालिका नं. १

Statement showing the progress of the long term loans sanctioned by The Governmeut of India 1950—56 (Ang, 1955)

Name of the Scheme.	AMOUNT UTILIZED							Remarks.
	1950—51	951—52	1952—53	1953—54	1954—55	1955—56 Upto (Aug,) 55	Total	
Installation of Pumping sets.	—	1,50,000	2,98,056	1,56,849	8,000	80,284	6,93,189	
Installation of Persian wheel.	—	...	...	—	1,95,833	4,85,000	6.80,838	
Construction of wells.	...	...	4,99,935	19,99,600	27, 80,000	25,00,000	77,79,535	
Tube wells.	—	—	—	21,250	—	—	21,250	
Mechanised cultivation.	--	—	4,76,803	4,93,899	1,86,105	64,140	12,20,947	
Total	—	1, 50,000	12,7 4,794	26,71598	31,69,943	31,29,424	1,03,95,759	

सूची नं० २

Statement showing the expenditure incurred on Short term G I M. F. Schemes.

No.	Name of Scheme.	Amount sanctioned.	Reference to sanction (Number and date)	Expenditure incurred.	Remarks.
		1952-53			
1.	Distribution of Maize seed.	96,000	F,4(10)Agr/52 dated 7-10-52	80,440	
2.	-do- Wheat seed.	1,00,000	-do-	76,525	
3.	-do- Bajra Seed.	36,000	-do-	30,227/8/-	
4.	-do- Ammonium Sulphate.	10,000	-do--	3,900/--	
				Grand total 1,91,092/8/—	
		1953--54			
1.	--do-- Wheat seed.(Rabi)	6,00,000	F.5(16)Agr/52 dated 23-4-53.	4,96,600	
2.	-do-- Kharif seed.	Reducing the sanction of Rs.2,00,000(Govt. sanction No. F.5(16)Agr/5 dated 23-4-53) to Rs.1,90,000/—	--do--	2,00,000	
3.	--do- Amonium Sulphate.	17,88,000	--do--	30,10,050	Adjustment figures as intimted by Accountant General his letter No. dated.
4.	--do-- Superphosphate.	90,000	--do--	65,607/8/—	
				Grand total 37,72,257/8/—	

1	2	3	4	5	6
		1954-55			
1.	Popularising use of Ammonium Sulphate.	3,15,000	--	3,52,796	
2.	Distribution of wheat seed.			8,59,071/12/-	
3.	--do-- kharif seed.			--	
4.	--do-- Potato seed.			included in item No. 2.	
				Total: 12,11,867/12/-	

During 1952-53	--	1,91,092/8/-
During 1953-54	--	37,72,257/8/-
During 1954-55	--	12,11,867/12/-
GRAND TOTAL:		51,75,217/12/-

परिशिष्ट २

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति हैं ।

प्रश्न

२६१. (८६ / एम. एल. एम.) श्री जयसिंह एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ४६— क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) डाइरेक्टर मेडिकल व पब्लिक हैल्थ के जिम्मे राजस्थान के विभिन्न जिलों के दौरे और अस्पतालों के निरीक्षण का कार्य है या नही ?

(ख) उन्होंने भीलवाड़ा जिले का उनकी इस पद पर तैनाती के बाद कितनी बार दौरा किन २ तारीखों में किया है ।

(ग) क्या यह सही है कि लगभग एक डेढ़ वर्ष पहिले एक डाक्टर की शिकायत पर उन्होंने वहां तार द्वारा इत्तला दी है कि उनके वहां पहुंच कर जांच करने तक उक्त डाक्टर का स्थानान्तरण स्थगित रखा जाय ।

(घ) क्या डाइरेक्टर महोदय इसके बाद अब तक उस जिले में पहुंचे हैं और जांच की है यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) जी हां ।

(ख) कोई दौरा नहीं किया ।

(ग) तार तो दिया गया था मगर जांच जिस केस की की जाने वाली थी, उसके कलेक्टरी में जाने से इस विभाग द्वारा नहीं की गई ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
८६४	२१	tablet with	teblets with
८६६	शीर्षक	(वधकरण)	(वैधकरण)
,,	६	puestion	Question
८७०	१४	Order, Sir	Order, Sir.
,,	२४	ग्रोब्जेक्टस	ग्रोब्जेक्ट्स
८७२	२	the futurie	The future
,,	११	follow. the	follow. The
८७३	अन्तिम से ५	चाहिए । को	चाहिए
८७६	१३	क्लोलेज	क्लोजेज
८८६	१	ग्रापर्क सिटी	ग्रापके सिटी
,,	७	करन पड़ते हैं	करना पड़ता है
८८६	शीर्षक	बैधकसरण	वैधकरण
,,	१६	जनतत्रिक	जनतांत्रिक
८६५	६	गड़बड़ें	गड़बड़ियें
८६६	१३	फंकन्स	फंक्शन्स
६००	१४	को दवे	को दबे
६०१	अन्तिम से ८	न्यूरोक्रेस	न्यूरोक्रेटिक
६०५	७	भयगर	भयंकर
६११	१८	of Ralajasthan	of Rajasthan
,,	२४-२५	Preambl	Preamble
६१२	११	श्री मैरोंमिह	श्री भैरोंसिंह
६१४	५	है ग्रार	है ग्रौर
,,	२१	Dou you	Do you
६१६	४	have declared	have been declared
६१७	शीर्षक	विधयक	विधेयक
६२०	७	काश्त की	काश्त की
६२५	११	(Feom	(From
६२८	५	n	—
६२६	सीरियल १६	Gangwai	Gangwal
६३४	शीर्ष	६३५	६३७

शुद्धि–पत्र

पृष्ठ सं०	लाईन सं०	अशुद्ध	शुद्ध
१५०७	६	श्री बद्रीप्रसाय गुप्ता	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
१५०७	१८	श्री बद्रीप्रसाद पुप्ता	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
१५५०	२६	तो दू[illegible] ।जब	तो दूसरी बात है । जब
१५६७	१६	श्री भैरूरिंह	श्री भैंरूसिंह